खण्ड-461, अंक-3
मंगलवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1928
(5 दिसम्बर, 2006 ई0)

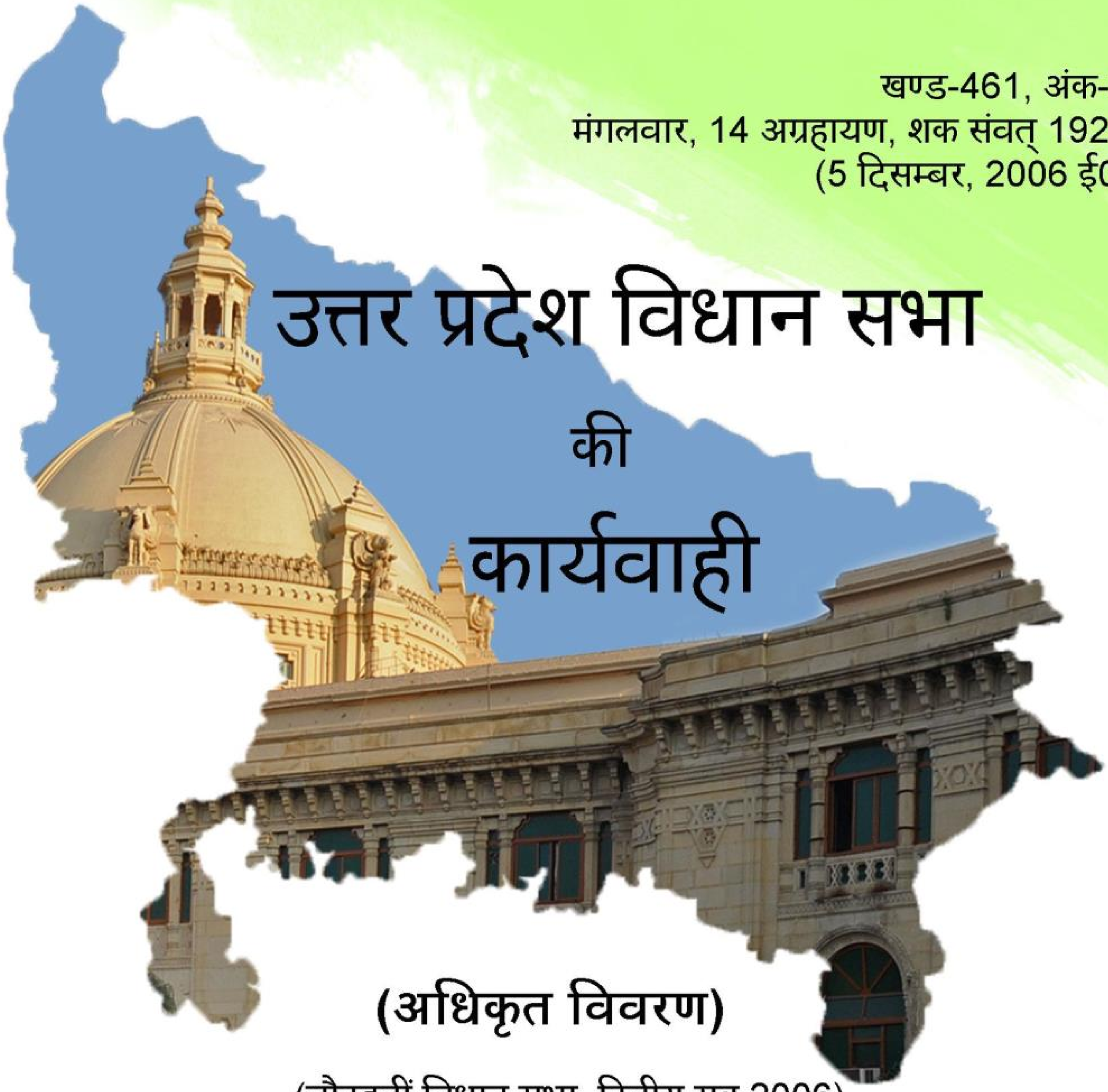

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 461 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
प्रश्नोत्तर	1-48
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	48
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	48-49
आगरा निगम क्षेत्रान्तर्गत लगभग 30-40 कालोनियों/बस्तियों में व्याप्त पेयजल समस्या का निराकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम गजरौला निवासी स्व0 राजेश कुमार की बस दुर्घटना से हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
प्रदेश में देशी घी पर लागू मण्डी शुल्क समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0 संख्या-95/06 में अवैध रूप से फर्जी मुकदमें में फंसाये गये लोगों को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
मेरठ महानगर के क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों/भवनों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	52
बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त डाक्टरों एवं अधीक्षक पद पर तैनाती करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई लक्ष्मीगंज जनपद कुशीनगर के विस्तारीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत चयनित कतिपय समग्र गांवों को पक्की डामर सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा अन्तर्गत ग्राम हतौड़िया में स्थापित हड्डी कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	53-54
रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत अमिलिहा का पुरवा व रायपुर गौरी के मध्य नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
लखीमपुर के निवासन क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त बेलरांवा से तिकुनिया मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना। ...	54-55

विषय	पृष्ठ-संख्या
मिर्जापुर के मंझवा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में अवशेष 20 प्रतिशत हैण्डपम्पों को स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	55
आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत मोहीउद्दीनपुर एवं ग्राम मौलानीपुर में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जेदारों का कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत दपसौरा पम्प कैनाल के क्षतिग्रस्त पाइप बदलवाने एवं बहादुर पम्प कैनाल को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत शिकारपुर-पहासू मार्ग, शिकारपुर-अनूपशहर मार्ग व शिकारपुर शिवाजी मार्ग पर रोडवेज/प्राइवेट बसें चलवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	57
हाजी याकूब कुरैशी के कार्टूनिस्ट प्रकरण में अध्यक्ष पीठ से सुरक्षित किये गये निर्णय के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57
मिडडे मील योजना के कारण बीमार बच्चों के प्रकरण में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा तीन दिन में जांच पूरी कर दोषी को दण्डित न करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57-58
जनपद वाराणसी में कपिलदेव मौर्या की पुलिस द्वारा की गई हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 11 एवं 22 नवम्बर, 2006 को मा0 अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	58
उत्तर प्रदेश व्यायलर आप्रेशन इंजीनियर्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	59
उत्तर प्रदेश व्यायलर अटेन्डेन्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	59
उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सरसठवां संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	59
उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (अड़सठवां संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	59
उत्तर प्रदेश कारखाना (उन्हत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	59
उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	59

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (इकहत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	60
श्री संजीव दरियाबादी, सदस्य, विधान सभा की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ...	60
उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच बसों के संचालन हेतु समिति के गठन की सूचना	60-61
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	61-63
दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 को घटित हुई घटनाओं से सम्बन्धित सूचना को लिए जाने की मांग	63-64
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 की ग्राह्य एवं अवशेष कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ...	64-88
नियम-56 में एक सदस्य को एक ही सूचना पर बोलने के नियम के बावजूद दूसरी सूचना लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	88
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 की ग्राह्य एवं अवशेष कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं... ...	88-101
उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा सदन के माध्यम से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 की क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किसी भी धर्म के अनुयायी को समान रूप से आरक्षण की सुविधा दिये जाने सम्बन्धी भारत सरकार से की गई मांग का संकल्प पर चर्चा	101-123
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	123-129
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)...	129-134
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	134
विधेयक के पुरःस्थापन सम्बन्धी अनुपूरक कार्य-सूची उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	134-135
प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन	135
प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन ...	135

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन	135
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव का स्थगन	135-136
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन	136
प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन	136-137
डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचनाओं पर ...	137
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार के प्रकरण का स्थगन ...	137
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन	137
स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन की संस्तुतियों के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के स्थगित किये जाने पर आपत्ति	137-142
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	142-144
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाये जाने विषयक दिनांक 23 अगस्त, 2006 की कार्य-सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गई सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	144
नत्थी	145-149

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-309

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरन पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फागू, श्री	मऊ
वंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0काम, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रंगनाथ मिश्र, श्री	संतरविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश पाण्डेय श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	
"भगत राजा", श्री	ललितपुर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, (भदोही)
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-औद्योगिक विकास मंत्री, श्री ख्वाजा हलीम, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, श्री राम आसरे विश्वकर्मा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, श्री अजित कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गिरते भूजल स्तर की समस्या के निराकरण की नीति

*1-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में भारी जल दोहन के कारण जल स्तर काफी तेजी से कम होता जा रहा है जिसके कारण प्रदेश के कई जनपद बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिये क्या कोई कार्य-योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी हां।

प्रदेश में गिरते भूजल स्तर की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भू-जल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिसमें तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण, चेक डैम का निर्माण, रूफटांप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों की स्थापना आदि योजनायें सम्मिलित हैं।

उक्त के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा तालाबों एवं अन्य रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने का नीतिगत निर्णय लिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थायें एवं निर्देश निर्गत किये गये हैं :--

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की दृष्टि से अधिक से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबों के निर्माण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(ii) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ होगा तथा गहराई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(iii) नवनिर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

(iv) समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में भी रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना अनिवार्य कर दी गयी है।

(v) वर्षा जल संचयन एवं भूजल संरक्षण योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये प्रदेश के 36 जनपदों के 141 प्राथमिकता वाले समस्याग्रस्त विकास खण्डों को चिन्हित किया गया है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज के उद्देश्य से रु0 682 करोड़ की एक "आदर्श जलाशय योजना" स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब/जलाशय का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे देश के अन्दर, विशेष रूप से प्रदेश के अन्दर भारी जल दोहन हो रहा है, बड़े-बड़े हैण्डपम्प लग रहे हैं, वर्षा का भी जो पानी है वह भी नदियों वगैरह में बह जाता है, वह जमीन के अन्दर नहीं जाता है, इसके कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहूंगा और प्रश्न भी करना चाहूंगा। मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 146 ऐसे विकास खण्ड हैं, जिनमें 10 से 20 से0मी0 प्रतिवर्ष जल स्तर नीचे जा रहा है, 65 ऐसे विकास खण्ड हैं, जिनमें 20 से 30 से0मी0 प्रतिवर्ष जल स्तर नीचे जा रहा है, 29 ऐसे विकास खण्ड हैं, जिनमें 30 से 40 से0मी0 प्रतिवर्ष जल स्तर नीचे जा रहा है, 12 ऐसे विकास खण्ड हैं, जिनमें 40 से 50 से0मी0 प्रतिवर्ष और 8 ऐसे विकास खण्ड हैं, जिनमें 50 से0मी0 से अधिक प्रतिवर्ष जल स्तर नीचे जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानकारी चाहूंगा कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसे कितने जनपद हैं और कितने विकास खण्ड हैं, जिनको मैं कह सकता हूं कि वह अति दोहित है, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल है ? जल स्तर की दृष्टि से इसकी पहले जानकारी दे दें फिर दूसरा प्रश्न करूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो जानकारी आपने दी है वह तो बिल्कुल सही है लेकिन जहां से आपने दिया है वह मेरे पास भी है, उस पर गोपनीय की मुहर लगी हुई है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 301 का उत्तर मिला है, तब गोपनीय कहां है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गोपनीय है, लेकिन आप गोपनीय बता रहे हैं। यह सही है, बिल्कुल है, जाहिर है अगर आपके आंकड़े सही नहीं होते तो यह स्कीम ही क्यों बनाई जाती ? मदद भी दी जा रही है।

आपने कई बार सदन में सुना होगा, नेताजी ने इस पर भी चिन्ता व्यक्त की है और कई माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि जहां-जहां पर तालाब हैं, कुएं हैं उन्हें रिस्टोर करने की आवश्यकता है। कुंए और तालाबों को बचाने का काम हो रहा है। जितनी बड़ी इमारतें, होटल बन रहे हैं या कालोनी विकसित हो रही हैं उनके नक्शे तब तक पास नहीं किये जाते हैं जब तक कि वह इस स्कीम को लागू नहीं कर लेते।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं दिया। क्या योजनाएं हैं उसको थोड़ा बतायें। प्रदेश के अन्दर 29 जनपद ऐसे हैं जिसमें 22 विकास खण्ड अति क्रिटिकल हैं, 53 सेमी-क्रिटिकल है। 70 में से 29 जनपदों में गम्भीर समस्या है। माननीय मंत्री जी कहा कि नए तालाब बनाए जायेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने तालाब बनाए जा चुके हैं। आपने उत्तर में कहा कि नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में 5 प्रतिशत

भूमि पर भूजल रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किए जाने की व्यवस्था की गयी है, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ होगा तथा गहरायी 3 मीटर से अधिक नहीं होगी। ऐसी आपने व्यवस्था की है। आप तीन प्रश्नों का उत्तर दे दें कि कितने तालाब बनाए गये और कितने नगरों में यह योजना लागू हुयी है और अभी तक शहरों के अन्दर क्या यह मानक तय किया गया है कि अगर इतना बड़ा कोई मकान बनता है तो उसमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लागू की जाएगी। मान्यवर, इसका उत्तर दिला दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 68 जनपद ऐसे हैं जिसमें जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, मान्यवर, उसमें काम शुरू हो गया है। चूंकि यह योजना प्रस्तावित है इस पर काम हो रहा है और काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश के अन्दर कुल तालाब 84 हजार 647 हैं और जिन तालाबों में निर्माण कार्य किया है वह संख्या 9 हजार 314 है। आपका तीसरा प्रश्न क्या था ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

कितने शहरों में अभी तक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लागू की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप अगला प्रश्न करें मैं अभी यह बताता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न था, 2004 में शासनादेश है, दो साल से ज्यादा हो गया अभी तक यह सरकार उदासीन है या निष्क्रिय है। मान्यवर, अगर वाटर लेवल हम नहीं नियंत्रित कर सके तो अगले 20 साल में प्रदेश के अन्दर जल की गम्भीर समस्या हो जाएगी। इसलिए मैंने तालाबों की संख्या बताने के लिए कहा था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 36 जनपदों में काम चल रहा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

एक महानगर का उदाहरण बता दें कि इस महानगर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लागू की गयी है और कितने मकान में लागू हुयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, महानगरों में इलाहाबाद में भी लागू की गयी हैं आप कुम्भ के बारे में प्रश्न करते हैं, आपको कुम्भ की योजनाओं के बारे में नहीं मालूम है। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप यहां लगे हुए हैं थोड़ा क्षेत्र में भी समय देना चाहिए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आपने यह योजना कितने मकानों में अब तक वहां पर लागू की है यह तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

इलाहाबाद में आप स्वयं देख लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, यह इलाहाबाद में लागू है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, वहां पर लागू है। असल में हुआ क्या है, हुआ यह है कि वहां से सख्ती से लागू किया है, जहां पर नयी कालोनीज और होटल्स बन रहे हैं हो सकता है कि उन्होंने परेशानी बतायी होगी तो उस हिसाब से प्रश्न तो बनता ही है। जहां तक मकानों की सर्वे की बात है तो उसमें हमें थोड़ा सा समय दे दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 2004 में लागू हुए शासनादेश के बाद क्या सरकार सैम्पुल सर्वे कराने पर विचार करेगी ? जिन 36 जनपदों में यह लागू है, शासनादेश के पास हो जाने के बाद नक्शे पास हुए है, जिसमें इस प्रकार रूफ टाप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, क्या सरकार उसका सैम्पुल सर्वे करायेगी ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने नक्शे पास करते समय खाली कागज में यह व्यवस्था कर ली हो। तो यह देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में यह है कि नहीं और अगर लागू कराने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही है तो वह दूर हो सके। तो क्या सरकार इसका सैम्पुल सर्वे करायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह एक वैचारिक प्रश्न है और प्रेक्टिकल भी है। एक तो हम किसी योजना पर काम शुरू करते हैं तो जाहिर है कि योजना को जारी करेंगे फिर लागू कराने की कोशिश करेंगे। उसमें कितना हो सका, कितना नहीं हो सका यह देखने की जिम्मेदारी सरकार की हैं अवश्य ही इसको देखा जायेगा और जहां पर कमी पायी जायेगी वहां पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैं इस पर जिज्ञासा लेकर खड़ा हूं। मान्यवर, इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार प्रयास कर रही होगी लेकिन उसका परिणाम यह हो रहा है कि अभी तक कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है। जल स्तर का गिरना जारी है। इसका कारण यह है कि यह सारी स्कीमस् को अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं, या फिर लागू नहीं की जा रही हैं जिससे इस तरह का प्रश्न सामने उभरकर आया है। अगर लागू होता तो यह बात न होती, इतना जल स्तर न गिरता। मान्यवर, माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं, इतना यह जल स्तर गिर गया है कि वहां पर जो हैण्ड पम्पस् लगे थे उसमें से पानी नहीं निकल रहा है। जितने भी ऐसे जनपद हैं, जैसे प्रतापगढ़ में यह समस्या आ रही है वहां गहराई को बढ़ाने पर विचार करेंगे ? दूसरा एक दिन की बात यह नहीं है, यह एक सरकार की बात नहीं है अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का जो खतरनाक भविष्य है, गंगा जमुना की दोआबा जमीन बंजर हो जायेगी, ऊसर हो जायेगी अगर इसी तरह से जल स्तर गिरता रहा। तो सरकार एक जल आन्दोलन के

रूप में जल संचयन करे। पुराने जमाने में जब मकान बनता था तो कच्ची जमीन निकाली जाती थी और तालाब बनता था। आज कच्चे मकान नहीं बन रहे हैं इसकी वजह से तालाब में मकान बनने शुरू हो गये हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि क्या यह सुझाव स्वीकार करेंगे कि इसमें एक सर्वदलीय बैठक बुलायें और इसे एक आन्दोलन के रूप में चलायें, अधिकारी/कर्मचारी के बस में नहीं रहा है, अन्यथा यह ऊसर हो जायेगा। तो यह आने वाली पीढ़ियों का सवाल है।

क्या सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस संदर्भ में इसे आन्दोलन के रूप में चलाने का और जहां हैण्ड पम्प सूख गये उन्हें और नीचे तक बोरिंग कराने का और तीसरा मान्यवर जो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे मुझे दुःख भी है कि भारत सरकार ने जो वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम चलाई है उसमें उड़ीसा और बंगाल जैसे प्रान्तों ने पैसा लिया है लेकिन उत्तर प्रदेश ने उसमें अपना हिस्सा नहीं लिया है यहां स्कीम नहीं दी गयी है तो मान्यवर, कैसी गम्भीरता है यह कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई स्कीम ही नहीं वाटर हार्वेस्टिंग की भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय को दे रही है जबकि बिहार, उड़ीसा और बंगाल में यह हो रहा है मान्यवर और जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि यहां से ऐसी कोई विशेष योजना अभी नहीं आयी है तो क्या भारत सरकार को कोई भी ऐसी कोई योजना भिजवायेंगे और इसके अलावा मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इसके महत्व को समझते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर विचार-विमर्श करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक तो प्रतापगढ़ का उनके अपने क्षेत्र का प्रश्न है और दूसरा व्यापक प्रश्न है और एक आरोप के साथ है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो जानकारी सही नहीं है आपकी, आप जैसा जिम्मेदार नेता सही जानकारी नहीं रखेंगे और भारत सरकार को लांछित कर देंगे तो अच्छा थोड़े होगा, वह आपका जवाब तलब कर लेंगे। भारत सरकार से पूरा सहयोग लिया जा रहा है, भारत सरकार के सहयोग से ही यह स्कीम चल रही है। मान्यवर, ऐसे विकास खण्ड जिनका जल स्तर गिर रहा है उनकी तादात 456 है और इस स्कीम के लागू होने के बाद और पूरी तत्परता से भारत सरकार की स्कीम का फायदा उठाते हुए और प्रदेश सरकार का हिस्सा उसमें शामिल करते हुए ऐसे 299 विकास खण्ड हैं जिनका जल स्तर अब बढ़ रहा है तो इस पर कन्ट्रोल करने की मान्यवर, पूरी कोशिश है। जाहिर है एक चीज सामने आयी है तो एकदम तो नहीं उसको हल किया जायेगा, उसमें समय लगेगा लेकिन इस पर पूरा ध्यान है और जल स्तर 299 विकास खण्डों का ऊपर आया है। जहां तक प्रतापगढ़ का मामला है इसके लिए मैं आज ही देख लूंगा और हमारी स्कीम में या नेता जी की घोषणा में नल लगाना और नल से पानी देना है वह कितना गहरा लगेगा यह जल निगम का काम है देखने का और कितनी ही गहराई पर अच्छा पानी मिले वह गहराई सुनिश्चित की जायेगी और नलों की गिनती भी सुनिश्चित होगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं नये हैण्ड पम्पों की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुराने हैण्ड पम्प लगे थे वहां लेबिल गिर जाने से वह नीचे चले गये हैं, यह मैं कह रहा हूं वाटर लेबिल फाल्ट, यह नहीं कह रहा हूं कि अब जो आप लगायें। जो पुराने लगे हैं और वाटर लेबिल नीचे चला गया है मैं उनकी बात कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जो पुराने लगे हैं उसमें क्योंकि आप तो वाकिफ हैं मान्यवर, सर्वे होता रहता है और ऐसे सारे नल जिनका जल स्तर गिर जाता है या कोई खराबी आ जाती है उन नलों को ठीक भी किया जाता है कोशिश की जाती है और कमी भी रह जाती है मैं तो बिल्कुल उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं ले रहा हूं लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है उतना बेहतर बनाया जा रहा है और जल निगम को पहले से कितना बेहतर बनाया जा चुका है इसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है मान्यवर, भारत सरकार से यह जो योजना है, उसमें दो हजार करोड़ रुपये की मांग की गयी है जिसमें कुल योजना दो हजार करोड़ की है। दो हजार में 150 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का है और पांच सौ करोड़ भारत सरकार का है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, 15000 करोड़ रुपये है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हां 15 सौ करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का है। आपकी तो जानकारी भारत सरकार के बारे में थी और मेरी गलती अपनी हिमाकत के बिना पर थी तो आपने मुझे यहीं सही कर दिया और दिल्ली वालों ने सही किया तो बात जरा बड़ी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आजम खां साहब को तो ऊपर वाला भी सही नहीं कर सकता, यह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, 20 मिनट हो गये हैं सवाल पूछे हुए, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अब तो खड़े हो गये हैं। मान्यवर, जिस तरह से जल का दोहन हो रहा है और जल संरक्षण की समस्या पैदा हो गयी है और जमीन से जितना जल दोहन हो रहा है उसको देखते हुए माननीय मंत्री जी ने कुछ विकास खण्डों को कहीं न कहीं प्रभावित बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन विकास खण्डों में निजी बोरिंग या फ्री बोरिंग द्वारा जल का दोहन हो रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे विकास खण्डों में फ्री बोरिंग या निजी बोरिंग पर जिस तरह का पहले प्रतिबन्ध था वह प्रतिबन्ध लगायेंगे या जो चिन्हित विकास खण्ड हैं वहां पर फ्री बोरिंग और निजी बोरिंग जो हो रहा है क्या उस पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं ? यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह योजना भारत सरकार के सहयोग से चलती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जहां यह जल स्तर नीचा है वहां फ्री बोरिंग या जो बड़ी बोरिंग है उस पर रोक लगायेंगे जिससे जल स्तर और नीचा न जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, प्रदेश स्तर पर पानी का लेबिल नीचे जा रहा है इस पर सबकी चिन्ता है। मान्यवर, इसी उद्देश्य को लेकर वर्ष 2000 में भूगर्भ जल निदेशालय को इसकी बाबत नोडल एजेन्सी बनाया गया था और जिला स्तर पर वर्ष 2004 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी जिसमें 13 सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक गांव में एक तालाब या जलाशय के निर्माण की बात उसके अन्तर्गत आयी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक जनपदों में इन दो सालों में कोई मानीटरिंग की गयी है। मान्यवर, अगर जिला स्तर पर मानीटरिंग नहीं होगी तो फिर कठिनाई बनी रहेगी तो क्या माननीय मंत्री जी जिला स्तर पर मानीटरिंग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देंगे। जिससे समस्या का समाधान हो जाय ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आप जिला स्तर पर निर्देश देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ठीक है।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु कार्य योजना

*2-कुं0 भारतेन्द्र सिंह-

(अनुपस्थित)

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अधिकांश बच्चे अभी भी प्राथमिक शिक्षा के लाभ से वंचित हैं ? क्या सरकार सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

जी नहीं। कुछ बच्चे शिक्षा के लाभ से वंचित हैं। 6-14 आयु वर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष परिवार सर्वेक्षण कराया जाता है। वर्ष 2006-07 के लिए परिवार सर्वेक्षण गतिमान है।

जी हां। 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान को और प्रभावी बनाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में लगभग 21000 विद्यालय भवनों तथा 76000 अतिरिक्त शिक्षा कक्षों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.5 लाख शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की भर्ती करायी गयी जिससे छात्र अध्यापक अनुपात में सुधार हुआ है। विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु बेहतर परिवेश सृजित हुआ है।

शिक्षा की पहुंच को और अधिक सुगम बनाने हेतु शासन द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने के मानक संशोधित किये गये हैं जिसके अनुसार 1.0 कि0मी0 की दूरी तथा 300 की आबादी में नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 2.0 कि0मी0 की दूरी और 800 की आबादी में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकेंगे। तदनुसार असेवित ग्रामों में चरणबद्ध रूप से नवीन विद्यालय स्थापित किये जाने की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 2850 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 82117 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। अवस्थापना सुविधाओं के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-श्री रामवीर उपाध्याय-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

श्री अध्यक्ष-

हम प्रश्न सं0 4 लेते हैं।

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन खाने से बीमार छात्रों की घटना की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी

*4-डा0 सुशील चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन खाने से छात्रों के बीमार होने की घटनाओं पर टास्क फोर्स का गठन जनवरी, 2006 में किया गया है ? क्या उक्त टास्क फोर्स में छह भारतीय प्रशासनिक सेवा और छह शिक्षा विभाग के अधिकारी नामित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या टास्क फोर्स में नामित अधिकारियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जांच में जनपद मेरठ में स्पष्ट हुआ है कि प्राथमिक स्कूल, खखरौदा, विकास खण्ड में मध्यान्ह भोजन खाने से मृत दर्शाए गये 2 बच्चों की मृत्यु मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने से नहीं हुई थी, इन छात्रों द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया था जिससे उनकी मृत्यु हुई है।

जनपद उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर विकास खण्ड सफीपुर में मध्यान्ह भोजन विद्यालय के समीप स्थित अत्यन्त पुराने ग्राम पंचायत भवन में बनाया गया था जिसके कारण प्रदूषित हो गया था। इस प्रदूषित भोजन को ग्रहण करने के कारण विद्यालय के कतिपय बच्चों को फूड प्वाजिनिंग हो गयी थी। सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था किन्तु किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई थी।

जनपद आजमगढ़-प्राथमिक विद्यालय आलमपुर विकास क्षेत्र अजमतगढ़ में फूड प्वाइजिनिंग के कारण उल्टी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच से ज्ञात हुआ कि कतिपय बच्चे खिचड़ी खाने के उपरान्त अस्वस्थ हुए थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के उपरान्त घर भेज दिया गया था। विद्यालय के रसोइये तथा अध्यापक को दण्डित किया गया। किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई।

कानपुर देहात-प्राथमिक विद्यालय भावर तथा अकना में एक-एक बच्चे की मृत्यु मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने से हुई दर्शायी गयी थी किन्तु जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों बच्चों में से एक बच्चे की मृत्यु डेंगू ज्वर से तथा दूसरे बच्चे की मृत्यु किसी अन्य बीमारी से हुई थी। प्राथमिक विद्यालय, काशीपुर में बच्चों के अस्वस्थ होने की अफवाह नवचयनित ग्राम प्रधान तथा पूर्व ग्राम प्रधान की प्रतिद्वन्दिता के कारण फैली थी। किसी भी बच्चे की मृत्यु मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने से नहीं हुई थी।

जनपद सुल्तानपुर के प्राथमिक विद्यालय बरवारी में बच्चों के अस्वस्थ होने की स्थिति अस्वच्छ वातावरण के कारण हुई थी किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई थी।

जनपद फिरोजाबाद के प्राथमिक विद्यालय मुईउद्दीनपुर विकास क्षेत्र नारखी में कतिपय बच्चे खिचड़ी खाने के उपरान्त अस्वस्थ हो गये थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के उपरान्त मुक्त कर दिया गया था। चिकित्सकों के अनुसार अस्वस्थता का कारण फूड प्वाइजिनिंग था।

उक्त रिपोर्ट मा0 अध्यक्ष जी के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जो किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

डा0 सुशील चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह विस्तृत उत्तर पढ़ा है इसमें कई जगह उन्होंने स्वीकार किया है कि फूड प्वाइजिनिंग की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई है। जो रिपोर्ट की बात है जो टास्क फोर्स आपने गठित की थी, उसमें भी कई जगह यह शिकायतें पायी गयी हैं। मान्यवर, जो बच्चों को मृत दिखाया गया है । उसमें एक बच्चे की डेंगू से मृत्यु दिखाई गयी है एक अन्य बच्चे की अन्य बीमारी से मृत्यु दिखायी गयी है। जिनको फूड प्वाइजिनिंग हुई है उसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करके केवल यह बताया गया है कि बच्चों का उपचार होने के बाद उनको अस्पताल से घर भेज दिया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मिड डे मील स्कीम में जो अनियमितताएं हो रही हैं उसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं ? यदि हां, तो अब कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

श्री किरन पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, टास्कफोर्स इसी नीयत से गठित हुई थी कि इसकी सच्चाई को जाना जाय। कतिपय समाचार-पत्रों में खबरें आईं उन मीडियावालों का भी धन्यवाद करते हैं कि खबरे दी लेकिन बहुत अतिरंजित खबरें थीं वह। एक बच्चा मरेगा और 360 बच्चे खाना खायेंगे और कोई और बच्चा बीमार नहीं होगा तो यह कामनसेन्श की बात है कि फूड प्वाइजिनिंग या खाना खाने से वह नहीं मरा है। जहां-जहां भी यह शिकायत आई है तत्काल अखबार की रिपोर्ट के आधार पर यह तो 5 टास्कफोर्स बताई है हमने जहां-जहां भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है फूड प्वाइजिनिंग की जहां से रिपोर्ट आती है अखबार की रिपोर्ट को ही संज्ञान लेकर तत्काल हम जांच कराते हैं और जहां-जहां से कोई शिकायत आई है तो वहां स्वच्छता की कमी पाई गयी है और कोई बड़ी कमी नहीं पाई गयी है वहां हेडमास्टर के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, सस्पेण्ड किया गया है और ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ग्राम पंचायत राज विभाग को लिखा गया है, तो कोई शिथिलता नहीं बरत रहे हैं। वर्ष में दो बार पिछले वर्ष भी हमने इनके अलावा प्रत्येक जनपद में 2 बार टास्कफोर्स गठित की जो इलाहाबाद और लखनऊ के उच्च अधिकारी गये 3-3 दिन में जिलों में रहे और रैण्डम चेकिंग की। जिले में भी जो विभाग इससे जुड़े हैं जिलाधिकारी इसके नोडल आफिसर है सब विभागों को निर्देश दे रखा है कि मिड डे मील योजना एक बहुत संवेदनशील कार्य है और यह दो करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्य है। 2001 में सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया था प्रदेश सरकार को कि इस मिड डे मील योजना को लागू किया जाय लेकिन पूर्व सरकारें इसको लागू नहीं कर पाई थीं हमने बहुत कम समय में पूरे प्रदेश को इससे आच्छादित किया है और इसको सुचारु रूप से संचालन करा रहे हैं। जहां कहीं भी कर्तव्यपरायणता या शिथिलता या कमी मिलती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही करते हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अच्छी व्यवस्था किया है। शिक्षामित्रों का या भवनों का लक्ष्य प्रतिदिन बढ़ ही रहा है और बेहतर सुधार हो रहा है। मैं मान्यवर, केवल यह जानना चाहता हूं कि आज भी प्रदेश में तमाम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां एकल शिक्षक दो शिक्षक है और अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां 5-5, 10-10 शिक्षक हैं मानक से ऊपर उठ करके।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, प्रश्न मिड डे मील के ऊपर है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, प्रश्न में ऊपर देखें। शिक्षा मित्र और प्राथमिक विद्यालय के बारे में कहा है कि उसके ऊपर है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें है प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन खाने से छात्रों के बीमार होने की घटनाओं पर टास्कफोर्स का गठन जनवरी, 2006 में किया गया है क्या उस टास्कफोर्स में 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा और 6 शिक्षा विभाग के अधिकारी नामित किये गये हैं तो इसमें तो यह है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, उसी के ऊपर है।

श्री अध्यक्ष-

आप अलग से न पूछिये आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जब रहे तब रहे। मान्यवर, आगे है।

श्री अध्यक्ष-

आप खाना-पीना, टास्कफोर्स से सम्बन्धित प्रश्न पूछिये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं इतना ही जानना चाहता हूं और एक व्यवस्था चाहता हूं अब तमाम आपके संज्ञान में भी है यह हम लोगों की मांग रही है आपने शासनादेश के आधार पर कहा था कि मिड डे मील का भोजन बनायेंगे अनुसूचित जाति के लोग बनायेंगे तो क्या माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में है कि जहां अनुसूचित जाति के लोग भोजन बना रहे हैं वहां छात्र से लेकर अध्यापक तक बहिष्कार कर रहे हैं। क्या इस तरह की परम्पराओं को तोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी कोई अभियान चलाकर जहां अनुसूचित जाति के लोगों के मिड डे मील योजना का भोजन बनाने की व्यवस्था की जा चुकी है तो वहां वह न बनवाकर दूसरों से बनवाया जा रहा है या जहां वह बना रहे हैं वहां उनका लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि कुछ अखबारों में यह खबरें आई थीं। एक मोदी नगर की खबर आई थी कि इस आधार पर वहां बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। तत्काल अखबारी खबर आने के बाद हमने जिलाधिकारी, गाजियाबाद को निर्देश दिया कि आप मोदीनगर के एस0डी0एम0 को मौके पर भेजिये और मौके पर हमारा बी0एस0ए0 जायेगा और वहां स्कूल में बच्चों को, टीचर्स को और हारे-जीते हुये प्रधान को बुलाकर मोबाइल से इसकी रिपोर्ट देंगे इन सबके बीच में खड़े होकर। जनता के बीच में सारे बच्चों के बीच में खड़े होकर, अध्यापकों के बीच में खड़े होकर और गांव के लोगों को इकट्ठा करके मोबाइल से इसकी जांच रिपोर्ट बतायेंगे तो मोबाइल से जांच रिपोर्ट हमने सारे गांव के सामने ली थी और उन्होंने बताया था कि यहां हारे और जीते हुये प्रधान की प्रतिद्वन्दिता है। हारे हुये प्रधान ने अफवाह उड़ाकर खबर छपवाई थी। यह सही बात है कि जो महिला है, विधवा है, चाहे अनुसूचित जाति के कमजोर लोग हैं, यह आदेश दिया है कि उनको मिड-डे मील के बनाने में प्राथमिकता दी जाय। इसका पालन करवाया जा रहा है, पालन हो रहा है।

डा0 सुशील चौधरी-

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक समस्या रखना चाहता हूं। गंगो ब्लाक में खानपुर गूजर गांव है और वहां मिड-डे मील में अनियमितता है, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाकर यह चाहता हूं कि उसकी जांच करवा लें और एक जो शिक्षा मित्र लगा हुआ है उसका अपना निजी स्कूल भी है और वह प्राइमरी स्कूल में ही अपने नर्सरी के बच्चों की संख्या दिखाकर मिड-डे मील का खाना खिलवा रहा है ? यह गम्भीर अनियमितता है, इसकी जांच करा दें।

श्री किरन पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य लिखकर दे दें, हम जांच करा लेंगे और नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री जगदीश नारायण राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं मिड-डे मील में जो खाद्यान्न गांव सभाओं को दिया जाता है, ग्राम प्रधान उनको देते हैं, उनकी गुणवत्ता देखने में आती है कि बहुत ही नीचे स्तर की गुणवत्ता है जो पी0सी0एफ0 गोदाम से खाद्यान्न निकाला जाता है, उनका एक सेम्पलिंग करवाकर जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने निर्देश दे रखे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक या हेल्थ आफीसर उसकी जांच करेंगे और वह समय-समय पर उसकी जांच करते रहते हैं, निम्न क्वालिटी का भोजन बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जायेगा, इसके सख्त निर्देश दे रखे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, 22 नवम्बर को इस विधान सभा में मेरठ जनपद के अछरौदा के मिड डे मील की गड़बड़ी और उसके कारण बच्चों के बीमार होने का विषय हमने उठाया था और आपके निर्देश पर माननीय मंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर हस्तक्षेप करके उत्तर दिया था कि तीन दिन में हम उसकी जांच पूरी करके दोषियों को दण्डित कर देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि मिड डे मील से सम्बन्धित प्रश्न है कि क्या वह जांच पूरी हो गयी है अछरौदा सम्बन्धित और यदि पूरी हो गयी है तो उसमें क्या पाया गया और अगर दोषी पाये गये लोग है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है क्या ?

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न बिल्कुल अलग है और एक अलग घटना का है। इसमें एफ0आई0आर0 हो चुकी है और तफ्तीश जारी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश में आपातकाल के दौरान मीसा एवं डी0आई0आर0 में निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि स्वीकृत किये जाने की योजना

*5-श्री हुकुम सिंह-

*5-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान वर्ष 1975 में मीसा, डी0आई0आर0 के बंदियों को प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन अथवा राहत देने की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या है और इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपातकाल के दौरान (दिनांक 25-6-1975 से 21-3-1977 तक) मीसा, डी0आई0आर0 में निरुद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि स्वीकृत किये जाने की घोषणा प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।

योजना का प्रारूप शासनादेश संख्या-2145जेड/6-सा-1-06-55जी/90, दिनांक 4-9-2006 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निर्धारित किया गया है तथा योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से लागू की गई है।

उपरोक्तानुसार।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, मेरी एक जिज्ञासा है इस प्रश्न के माध्यम से कम से कम मैं चौधरी बाबूलाल जी के दर्शन करना चाहता था जिनके साइन इस पर है। बहुत दिन से दर्शन नहीं हो पाये थे। मैंने सोचा कि दर्शन करने के लिये प्रश्न ही कर दूं। वह प्रश्न भी कर लिया, बात वही नजर आई फिर भी। क्योंकि उसमें कोई संवैधानिक संकट तो नहीं है, लेकिन हम दर्शनों से वंचित रह गये।

श्री अध्यक्ष-

देखिये एक बात है जब भारसाधक मंत्री जी नहीं रहते हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, तो अध्यक्ष पीठ को उसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिये कि उनके प्रश्न का उत्तर सम्बन्धित मंत्री देंगे, यह परम्परा रही है और इस परम्परा का पालन होना चाहिये।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 145-149 पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस सेवक के पास सूचना आती रहती है और यह सेवक उसी सेवा के लिए है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो ठीक है लेकिन यह सूचना अध्यक्ष पीठ को भी मिलनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे इसे वाच करना है इसलिए मेरे पास सूचना आ जाती है।

श्री अध्यक्ष-

वह चिट्ठी अध्यक्ष पीठ को भी मिलनी चाहिए, ऐसी परम्परा रही है, इस परम्परा का उल्लंघन हो रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं सदन सेवक मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो राजनीतिक बन्दी शब्द आपने कहा है और जो शासनादेश जारी हुआ है, यह सही है कि राजनीतिक बन्दियों को वह सुविधा अनुमन्य है लेकिन कहीं भी यह सम्भव नहीं है और न कहीं पर यह परिभाषित है कि जो सामान्य अपराधी लोग है उस कार्यकाल के दौरान जिनको बन्द किया गया मीसा में डी0आई0आर0 में, धाराएं तो उन पर भी वहीं लगाई गई और वहीं राजनैतिक बन्दियों पर भी धाराएं लगायी गयीं, दोनों को अलग-अलग कैसे किया जाए क्या उसके लिए आपने कोई तन्त्र तैयार किया है ? क्या कोई ऐसी व्यवस्था आपने की है कि यह आधार राजनैतिक बन्दियों को राजनैतिक मानने के लिए होंगे और यह आधार नहीं होंगे। अगला प्रश्न बाद में करूंगा पहले इसका उत्तर आ जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह शब्द इसीलिए रखा गया है राजनैतिक बन्दी, क्योंकि जो लोग मीसा और डी0आई0आर0 में बन्द किये गये थे। पता नहीं आप गये थे या नहीं लेकिन मैं तो गया था। तो हम पर भी और उन सारे साथियों पर आपराधिक दफाएं ही लगायी गयी थीं, लिहाजा अगर यह राजनैतिक शब्द न लिखा जाता तो उन लोगों पर जिनको राजनीतिक होते हुए भी आपराधिक धाराओं में बन्द किया गया, उनको यह सुविधा नहीं दी जा सकती थी। लिहाजा इस बात का ध्यान रखा गया है और यही नियम लागू किया गया है कि ऐसे सभी राजनैतिक व्यक्ति, जिन पर वह धाराएं लगाई गई हैं, उन सबको इसका लाभ मिल सके।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि उन्हें राजनीतिक कैसे माना जाए ? आपने कहा कि राजनैतिक लोगों को ही मान्य होगा, यह तो सही है, लेकिन उन बन्दियों में कौन राजनैतिक व्यक्ति है कौन गैर राजनैतिक व्यक्ति है, इसे कैसे देखा जाएगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह जानकारी जिला स्तर पर मिल जाती है, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा और अगर कोई ऐसे साहब आपकी जानकारी में हों, जिनको यह पेंशन नहीं मिली या यह दर्जा न मिला हो तो वह हमें बता दें, हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसे मामले तो हैं तो क्रिमिनल मामलों में जेल गये, सात-सात केस उन पर लगे, उनके लिए बाकायदा पुलिस ने वेरीफिकेशन मांगा और हमसे कहा गया कि इसको वेरीफाई कर दो। हमने कहा कि लिख करके दे दो इस पर कि हम राजनैतिक नहीं आपराधिक मामलों में गये। तो मान्यवर, ऐसे मामले हैं, मैं स्पेशली दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक प्रोफार्मा संलग्न है, उसमें है कि जो पूर्व विधायक हों या वर्तमान विधायक हों वह बन्दी के बारे में वेरीफाई करें। इसमें प्रोफार्मा लगा हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह तो वैसे भी बड़ी अजीब बात होगी, एक अच्छी स्कीम के लिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं तो इसमें सुधार करना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह जिम्मेदारी तो खुद विधायकों को दी गई है कि वह वेरीफाई करेंगे। अब आप किसी राजनीतिक द्वंद में किसी को न लेने दें तो मत लेने दो समाजवादियों को, बस।

श्री अध्यक्ष-

अरे, खन्ना जी भी बन्द रहे होंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अकेले-अकेले वाले बन्द नहीं हुए थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बात तो यह की जो जिलाधिकारी द्वारा उनको सम्मानित करने की बात है तो क्या सरकार यह उचित समझती है कि विधायक या सांसद या सभी राजनैतिक व्यक्ति जो जेल गये थे और बन्द हुए, उनके लिए आपने शासनादेश में जो निर्देश दिये हैं कि जिलाधिकारी उनको सम्मानित करेंगे। सम्मान-पत्र उनको वही देंगे। क्या यह आपके लिए उचित है कि एक तरफ मा0 मुख्यमंत्री जी अनेकों कार्यक्रम अपने आप करते हैं और यहां राजनीतिक लोगों के सम्मान का प्रश्न है तो वह एक नौकरशाह के ऊपर छोड़ दिया गया। क्या यह राजनैतिक लोगों का अपमान नहीं है, क्या मा0 मंत्री जी इसमें संशोधन करके राजनीतिक लोगों का सम्मान उसी स्तर के या ऊपर के लोगों द्वारा करायेंगे ताकि गरिमा बनी रहे ? यह मेरा सुझाव है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस योजना को बहुत ही अच्छे मन से, उन लोगों ने जिन्होंने बहुत बुरे दिन देखे और सही बात है कि आजादी के बाद उस दशक में जब इमरजेंसी लगी और देश के लोकतन्त्र को बचाने वालों ने कुर्बानी दी। नये हिन्दुस्तान के निर्माण का काम कुर्बानी नहीं थी तो क्या था। ऐसे सभी लोगों को, उसमें यह नहीं देखा गया कि कौन किस दल का है, कैसा है, इसका भेदभाव न रखते हुए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश से बुलाकर उन्हें सम्मानित भी किया, बातचीत की और मिले तथा सबसे मिलकर अगर किसी की व्यक्तिगत समस्या थी उसका भी निदान किया, इस खुले मन से काम किया। हो सकता है कि कुछ बातें रह गयी हों जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो यह मंशा हरगिज नहीं है कि जिलाधिकारी सम्मानित करेंगे। उनको सम्मानित सरकार करेगी। जिलाधिकारी तो सरकार के

कारिंदे के नाते सर्टीफिकेट देने का काम करेंगे उसका मतलब यह नहीं है कि वह सम्मानित करेंगे। इसके बावजूद जो सुझाव है वह माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचायेंगे और आपकी भावना को अवश्य रखूंगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल तीन नामों का उल्लेख कर रहा हूं। माननीय विश्वकर्मा द्विवेदी, मा0 राम सिंह और मा0 शीतल पाण्डेय ये-तीनों ही मीसा के लाभार्थी नहीं हैं। उनके ऊपर जो धारायें लगायी गयी वह धारा-144 या कुछ और लगायी गयीं। जबकि ये वास्तविक लोग जिन्होंने जमाने से संघर्ष किया और तकनीकी कारणों से लाभ नहीं ले पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्हें आप निश्चित रूप से जानते हैं। क्या सरकार उन्हें भी निजी रूप से लाभ देने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

पहले से जो मानक हैं सो हैं। मैं माननीय विधायक जी से चाहूंगा कि उनका रिप्रजेन्टेशन अपनी सिफारिश के साथ दे दें, मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री राम प्रकाश त्रिपाटी-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लिपिकीय त्रुटि के कारण वल्दियत गलत लिख गयी है, ऐसे कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया जबकि वास्तव में राजनीतिक बन्दी हैं। जो छूटे हुए हैं और जिन्होंने सारी औपचारिकतायें पूरी कर दी हैं इस तरह के केसेज के बारे में भी आप विचार करने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस पर तो विचार हो ही जायेगा। मैं खुद भी बनारस जेल में था। कई लोग ऐसे भी आ गये थे जिन्होंने अपनी वल्दियत खुद ही गलत लिखा दी थी कि शायद बच जाएं। बचने के लिए जिन्होंने गलत लिखवाई उनका भी विचार कर लेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का व्यवहारिक कठिनाई की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो मीसा और डी0आई0आर0 में गये थे। सरकार ने योजना लागू की उसका लाभ भी लेना चाहते हैं लेकिन उनको यह बताया जा रहा है कि जेल से रिकार्ड ले आईये, थाने से रिकार्ड ले आईये। अध्यक्ष महोदय, जिस संवेदनशीलता से सहयोग करना चाहिए वह सहयोग नहीं मिल रहा है और वह उस लाभ से वंचित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप यह सीधे कहिए कि बहुत से लोगों को रिकार्ड नहीं मिल रहा है कि वह बन्द थे या नहीं। इस नाते नहीं मिल रहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि पात्र लोगों को जो वाकई क्रिमिनल नहीं हैं, राजनीतिक कारणों से जेल गये, लेकिन किन्हीं कारणों से लाभ से वंचित हो रहे हैं तो क्या सरकार

संवेदनशीलता से इस विषय को लेगी और जेलों के रिकार्ड तलाश करके ऐसे लोगों को सूचित करके उनका लाभ उनको दिलाने पर विचार करेगी। दूसरा बिन्दु यह है कि आपने प्रोफार्मा की बात कही है लेकिन मेरी जानकारी में, मेरे सामने कई लोग ऐसे आये और कहा कि इसको प्रमाणित कर दीजिये। मैं जानता हूं कि वह अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, आज भी है उस दिन भी थे, अब आप यह बताइये कि विधायक होने के नाते मैं उनको प्रमाणित करूं तो गलत कर रहा हूं और अगर नहीं कर रहा हूं तो उनका कोपभाजन बन रहा हूं। मैं किस रास्ते पर चलूं यह आप बतायें इसका कोई बीच का रास्ता निकालिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब इतने कम हिम्मत और डर जाने वाले व्यक्ति होंगे कि सदन में किसी को अपराधी एलानियां कहें और फिर डर कर दस्तखत कर दें, इतने कमजोर आप नहीं होंगे। आप बहुत बहादुर विधायक हैं, बहुत बहादुरी से अपने क्षेत्र में रहते हैं और इतना ही बहादुर होना चाहिए, अपराधियों से नहीं डरना चाहिए किसी विधायक को, और आप नहीं डरते हैं यह मुझे मालूम है। आपको ऐसे अपराधी के प्रमाण-पत्र पर दस्तखत नहीं करना चाहिए और आप नहीं करेंगे, इसके लिये मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं।

श्री राम करन आर्य-

आपके माध्यम से मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मीसा तथा डी0आई0आर0 के बंदियों को पेंशन मिल गयी लेकिन जब बस में चढ़ते हैं तो कंडक्टर उनको अपमानित करते हैं और बस से उतार देते हैं। तो क्या जिलाधिकारी के द्वारा परिवहन का जो पास है क्या विभाग द्वारा उसको जारी करेंगे जिससे वह बस से निकाले न जा सकें, जैसे एम0एल0ए0 का पास होता है उसी तरह से पास जारी करेंगे और बस में सीट रिजर्व करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी योजना लागू हुई है और अभी इसमें बहुत सुझाव आयेंगे, बहुत से संशोधन होंगे और बहुत सी और राहत दी जायेगी तो मान्यवर, इसमें सब कुछ आगे होगा।

प्रदेश में इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्या धन के आवंटन की राशि बढ़ाने की मांग

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्या धन योजनान्तर्गत दिये जा रहे प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। देखने में यह आ रहा है कि कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के लिये योजना लागू की गयी है। मान्यवर, सरकार ने तो कह दिया कि "प्रश्न नहीं उठता" लेकिन मैंने जो पूछा है कि अगर सरकार बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है तो उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि इस योजना में यह देखने में आ रहा है, अक्सर समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित होता है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है कि इसमें कमियां हैं जिसके चलते जो पात्र लाभार्थी हैं वह बहुत से प्रकरणों में वंचित रहे जा रहे हैं और जो अपात्र हैं वह विभिन्न कारणों से वह उसके लाभ को पा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसा मुख्य मंत्री जी ने कहीं नहीं कहा है कि अपात्र को पात्र मान लिया है। यह मुख्य मंत्री जी ने कहीं नहीं कहा है, क्योंकि कार्यवाही में जब छपेगा तो आपका यह इतिहास छपेगा कि ऐसे मुख्य मंत्री थे जिन्होंने अपात्र को पात्र मान लिया था, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया है। यह आपके जमाने की बात होगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका लाभ पात्र अभ्यर्थियों को मिले, यह सुनिश्चित करने के लिये और अपात्र लोग विभिन्न कारणों से प्रशासन को प्रभावित करके पात्र न बन जायं, इसके लिये और दूसरा सवाल मैंने पूछा कि इसमें राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है इस पर आपने कह दिया कि नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि नहीं तो क्यों नहीं विचार कर रहे हैं। क्या यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी ऐसा विचार नहीं है। क्योंकि नई योजना है अभी शुरू की है अभी इतना ही विचार है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

यह योजना उत्तर प्रदेश में इण्टरमीडिएट पास छात्राओं को कन्या विद्या धन देने की थी बाद में इसमें उर्दू विद्यालयों की छात्राओं को भी इसमें शामिल किया गया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि संस्कृत विद्यालय जो चल रहे हैं उसमें इण्टरमीडिएट के समकक्ष पात्र छात्राओं को भी कन्या विद्या धन सरकार देगी ?

श्री मानपाल सिंह-

अब तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

कब तक निर्णय ले लेंगे ?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि अभी निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय हो गया होता तो सवाल नहीं करते क्योंकि आपने उर्दू स्कूलों को यह सुविधा दी है। प्रश्न केवल इतना है कि उसी के समकक्ष जो संस्कृत विद्यालय हैं क्या उनको धनराशि देने पर विचार करेंगे ? विचार वाली बात कर रहे हैं।

श्री मानपाल सिंह-

संसाधन बढ़ेंगे तो। हम तो यह चाहते हैं कि सभी लड़कियों को मिले। फिलहाल शुरुआत में जब हमने किया था तो एक लाख लड़कियों को धन दिया गया दूसरे साल डेढ़ लाख लड़कियों को दिया गया अब तीन लाख ले रहे हैं। संसाधन बढ़ेंगे तो इस पर विचार किया जा सकता है।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कह तो दिया कि संसाधन होंगे तो सुविधा देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को यह ऐतराज है कि उर्दू स्कूलों को दे दिया गया।

श्री हुकुम सिंह-

हमने उर्दू स्कूलों के बारे में ऐतराज नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

चाहे कार्यवाही दिखवा लें। क्योंकि उर्दू स्कूल के बारे में उर्दू स्कूल के लिये कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं ऐसी पाठशालाओं के लिये जिन्हें अल्पसंख्यक पाठशालाएं माना गया है उनको भी यह सहूलियत दी गई है। इसमें उर्दू हिन्दी संस्कृत नहीं है। आपकी यह परेशानी अब तो मैंने दूर कर दी है। क्योंकि बहुत बड़ी तादात नहीं है संस्कृत पाठशालाओं की तो जैसा कि कहा गया है इस पर विचार चल रहा है यथाशीघ्र इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया अब हम प्रश्न संख्या-8 ले रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

यह सरकार संस्कृत विद्यालयों के साथ भेदभाव कर रही है। अल्पसंख्यक विद्यालयों को सुविधा दे दी गई संस्कृत विद्यालयों को नहीं दी जा रही है। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री हुकुम सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

*7-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

[दूसरे सोम0 के ता0 प्र0 सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

(प्रश्न संख्या-8 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य नहीं थे)

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने माननीय हुकुम सिंह जी की परेशानी दूर करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनके मन का भारीपन दूर हो जायेगा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने हुकुम सिंह जी के मन के भारीपन की बात की है या उनके पैर भारी होने की बात की है।

श्री अध्यक्ष-

आप भी पंडित जी कहां से अपने मन की मुराद पूरी करने की बात करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर उनके पैर भारी हैं तो उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था इतनी तेजी के साथ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह काम हम चिकित्सकों का है देखने का।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय बाजपेयी जी ही बता दें कि इनके पैर भारी हैं कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप इसके विशेषज्ञ हैं, पता लगाइये।

श्री प्रमोद कुमार-

आप मुझे अवसर दे दें मैं बता भी दूंगा और भारी भी करा दूंगा।

प्रदेश में अंशकालिक प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्यरत प्रवक्ताओं का विचाराधीन प्रकरण

*8-श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप लखनऊ विश्वविद्यालय एवं दीनदयाल विश्वविद्यालय, गोरखपुर में कार्यरत अंशकालिक/निश्चित मानदेय प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार महाविद्यालयों में कार्यरत निश्चित मानदेय शिक्षकों जो उच्च शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से कार्यरत हैं और वि0 वि0 अनुदान आयोग की निर्धारित अर्हता रखते हैं, को भी विनियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

अल्पकालिक/अंशकालिक प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण किया गया है।

जी नहीं।

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वेतन संदाय के रिक्त पदों पर कार्यरत मानदेय प्रवक्ताओं का प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

(श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप तो प्रश्न पुकारने पर भी बाहर निकल गये थे।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अल्पकालीन और अंशकालीन शिक्षकों का किया गया लेकिन निश्चित मानदेय पर जो 10, 15, 20 , 25 साल से डिग्री कालेज में कार्य कर रहे हैं उनको विनियमित करने में आपने बताया कि उनका उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है। उनका नहीं हो रहा है इस कारण ही तो वे न्यायालय में गये हैं। यदि वे न्यायालय से मुकदमा वापस ले लें तो आप उनको विनियमितीकरण करने पर विचार करेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी यह अल्पकालिक शिक्षकों और मानदेय वाले शिक्षकों दोनों में अन्तर है। राज्य विश्वविद्यालय की.....

(दो एक सदस्य अपने स्थान से उठकर अन्य सदस्यों के पास खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग अपने स्थान पर रहें। आप सदन की परम्पराओं को जानते हैं।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिये राज्य सरकार कुल नियमित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति की जाती है लेकिन अंशकालिक अध्यापक उन विषयों के लिये नियुक्त किये जाते हैं जो विद्वत परिषद् की राय में अध्यापन कार्य के हित में बहुत जरूरी हो या अन्य किन्हीं ऐसे कारणों से उनकी आवश्यकता हो तब ऐसे अल्पकालीन शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, और जहां तक मानदेय का सवाल है, मानदेय एक स्टाफ गैप अरेंजमेंट है, एक अन्तरिम व्यवस्था है। यदि किसी महाविद्यालय में कोई शिक्षक का पद रिक्त है और वहां तात्कालिक रूप से शिक्षण कार्य हेतु उसकी आवश्यकता है तो उस शैक्षिक सत्र के लिये कुल मानदेय के आधार पर, मासिक वेतन के आधार पर उस शैक्षिक सत्र के लिये नियुक्ति की जाती है। इस तरह से दोनों की नियुक्तियों में अन्तर है। इस तरह से जो केस हैं यह उच्च शिक्षा सेवा आयोग जो रेगुलर नियुक्ति करता है या राज्य महाविद्यालय में जो लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह एक स्टाफ गैप अरेंजमेंट

किया गया है। दोनों के नेचर में बहुत अन्तर है। पिछले दिनों यह विश्वविद्यालय में जो अल्पकालिक शिक्षक थे उनका नेचर अलग है। उनको विनियमित कर दिया गया है। जहां तक मानदेय वाले शिक्षकों का सवाल है इनको नियमित करने की कोई नीति नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अल्पकालिक/अंशकालिक शिक्षकों को विनियमित कर दिया गया है। सच्चाई यह है कि 31 दिसम्बर, 1997 के पूर्व के शिक्षकों का विनियमितीकरण कर दिया गया है सरकार ने इसी सदन में जवाब दिया था कि 31 दिसम्बर, 1997 के बाद के 198 शिक्षक ऐसे हैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं जिनका विनियमितीकरण नहीं किया गया मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस उ0 प्र0 विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम में पुनः संशोधन करके 31 दिसम्बर, 97 के बाद के गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत अल्पकालिक अंशकालिक शिक्षकों का विनियमितीकरण करेगी ताकि दोनों में समरसता स्थापित हो सके। सरकार ने संशोधन के माध्यम से दो ग्रुप पैदा कर दिये हैं 31 दिसम्बर, 97 के पहले जिनका विनियमितीकरण किया गया 31 दिसम्बर, 1997 के बाद के जो थे उनको छोड़ दिया गया। इसलिए क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के.....

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर तो आने दीजिए।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य या तो सुन नहीं पाये या समझ नहीं पाये। मैंने कहा जो विश्वविद्यालय में अल्पकालिक या अंशकालिक शिक्षक नियुक्त हुए थे उनका विनियमितीकरण कर दिया गया है जो मानदेय पर रखे गये हैं, मानदेय वाले का अलग केस है उनको नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद हम बता दें। पूरा प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय से जो आदेश होगा सरकार उसका पालन करेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं मंत्री जी की दोनों बातों का विरोध करता हूं कि मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया या सुन नहीं पाया। मैं उनकी बात को सुन भी पाया हूं और समझ भी पाया हूं मंत्री जी यह कहकर बरगलाने का प्रयास न करें। मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात कही है। मा0 मंत्री जी जवाब मुकदमों के बारे में दे रहे हैं जो डिग्री कालेजों के बारे में हैं। मैं यह पूछ रहा हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक 31 दिसम्बर, 97 के पहले ठीक उसी प्रकार से काम करते थे जिस तरह से 31 दिसम्बर, 97 के बाद के काम कर रहे हैं। जिनको पहले विनियमित किया गया क्या 1997 के बाद के शिक्षकों को भी उसी तरह विनियमित किया जायेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इनका प्रश्न यह है कि अल्पकालिक या अंशकालिक जो 1997 के पूर्व के शिक्षक थे उनको शासनादेश करके विनियमित कर दिया गया तो क्या 1997 के बाद के अंशकालिक या

अंशकालिक अध्यापकों के विनियमितीकरण करने पर विचार करेंगे ? जो मानदेय वाले शिक्षकों का सवाल है वह अलग है।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितने अंशकालिक शिक्षक थें वह 11 शिक्षक थे उनको विनियमित कर दिया गया है। वह नियमावली में.....

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 97 के बाद वाले शिक्षकों का करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

1997 के पहले के शिक्षकों को विनियमित कर दिया गया है। उसके बाद के अभी कोई अंशकालिक शिक्षकों के केस नहीं हैं मानदेय के हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं क्या इसे सदन का आश्वासन समझूं। 31 दिसम्बर, 1997 के पूर्व जिन परिस्थितियों में शिक्षक काम कर रहे थे उन्हीं परिस्थितियों में वर्तमान में शिक्षक काम कर रहे हैं तो क्या सरकार उनको भी विनियमित करेगी ? आप मानदेय शब्द कहकर भरमाना चाहते हैं। आप स्पष्ट कहें जिन नियमों के तहत 31 दिसम्बर, 1997 के शिक्षक विनियमित किये गये उन्हीं नियमों के तहत अगर वर्तमान में शिक्षक काम कर रहे हैं तो उनको भी विनियमित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न यह है कि 97 के बाद वहां कोई अंशकालिक अध्यापक नहीं हैं केवल मानदेय वाले अध्यापक हैं मानदेय के बारे में आपका कहना है कि मानदेय वालों की परिस्थिति दूसरी है उनके विनियमितीकरण का कोई विचार नहीं है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मा0 मंत्री जी समझ नहीं सके शायद मैं ही समझा नहीं सका। लेकिन मानदेय शिक्षकों ने ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जब उनकी बात नहीं सुनी गई। वह उच्च शिक्षा सेवा आयोग की अर्हतायें भी पूरी कर रहे हैं तो क्या उनका विनियमितीकरण करेंगे वह मुकदमा वापस लेने को भी तैयार है मुकदमा तो उन्होंने किया है, लेकिन यदि वह अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको विनियमित कर दिया जाए ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा कि जो मा0 उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा, उसका सरकार पालन करेगी ।

श्री जगदीश नारायण राय-

अध्यक्ष जी, यदि वह अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं तो क्या सरकार ऐसे शिक्षकों को विनियमित करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि मा0 उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा, उसका पालन किया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, मैं एक जानकारी देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के समय अपना घोषणा-पत्र जारी करता है, समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण अंकित है। अब मैं इसका उल्लेख करते हुए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उच्चतर शिक्षा सेवा नियमावली में 39(डी) जोड़कर प्रदेश में क्या उचित अर्हता के कार्यरत मानदेय शिक्षकों को, जिनका चयन विधिवत् शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से हुआ है और उनको निदेशक से स्वीकृति प्राप्त करके पत्र दिया गया है, एप्वाइंटमेंट आर्डर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों को अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र की घोषणा को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी यदि ईमानदारी से आश्वासन दे दें तो वह शिक्षक अपना मुकदमा वापस ले लेंगे।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, हम लोग भी विचार कर रहे थे, इतने लिटीगेशन हैं, एक लिटीगेशन नहीं है, उसमें एक केस हुआ था कु0 रेनू तिवारी बनाम गवर्नमेंट, उसमें फैसला होता है कि इसमें इसको कर दिया जाए, फिर अपील होती है, उसमें उच्च न्यायालय का फैसला है कि जितने मानदेय के हैं, उनको हटा दिया जाए। यह उच्च न्यायालय का फैसला है कि सभी मानदेय शिक्षकों को हटा दिया जाए और भविष्य में न रखा जाए। फिर उनका जो संघ है, वह गया। तो इस तरह के तमाम ऐसे लिटीगेशन हैं, जब तक मा0 उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता, हम खुद कोशिश कर रहे हैं, सरकार खुद कोशिश कर रही है कि इन सारे मुकदमों को बंच कराकर निर्णय करा दें और जो निर्णय हो उसे मान लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मा0 उच्च न्यायालय ने इनको नियुक्ति करने का निर्देश दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध गई, स्वयं एस0एल0पी0 मे सुप्रीम कोर्ट गई। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार चुनाव घोषणा पत्र में इस सम्बन्ध में की गई अपनी घोषणा को ईमानदारी से लागू करेगी ? कम से कम उन शिक्षकों को बारे में जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके बारे में सदाशयता दिखानी चाहिए। सरकार नौकरियां दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, तो जो ओवर एज हो गये हैं, उस पर सदाशयता से विचार करेगी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

माननीय बाजपेयी जी ने जो कहा, मैंने पहले ही बता दिया है कि उच्च न्यायालय का आदेश हुआ था कि अब तक जितने भी मानदेय शिक्षक हैं, सब को हटा दिया जाए और भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था न करें, यह उच्च न्यायालय का आदेश है। रेनू तिवारी का केस अलग है, फिर दूसरे केस में निर्णय आया और मा0 उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी मानदेय शिक्षकों को हटा दिया जाए, और भविष्य में कोई मानदेय पर न रखा जाए। मैंने कहा कि तमाम लिटीगेशन हैं। मान्यवर, सरकार कोशिश कर रही है कि सारे केसेज को बंच कराकर जल्दी उसमें निर्णय करा लें। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा उसको सरकार मानेगी।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक जिज्ञासा है माननीय मंत्री जी से, क्योंकि यह विषय उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है और मैं जानना चाहता हूं कि काफी बड़ी संख्या में अध्यापक ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अर्हता को पूरा करके रखे गये हैं लेकिन उन्हें पेमेंट न बैंक के द्वारा मिलता है और न उनका कोई निर्धारित मानक हैं। सरकार ऐसे हजारों अध्यापकों को जो वित्त पोषित कालेजों में हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम इकबाल जी, यह प्रश्न मानदेय का है। आप स्ववित्त पोषित इसमें ले आये। यह इसमें नहीं माना जायेगा। यह प्रश्न गोरखपुर विश्वविद्यालय का है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न भी उसी से लगा हुआ है। यह शिक्षक भी वही योग्यता रखते हैं जो अंशकालिक हैं या मानदेय वाले हैं। क्या उन्हें भी विनियमित करने पर विचार करेंगे ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय मंत्री जी अवगत हैं कि जब प्रदेश के अन्दर अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी तो जब हमारी सरकार थी तो उस समय यह व्यवस्था की गयी श्री कि ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों में निश्चित मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाये लेकिन उसमें यू0जी0सी0 की क्वालीफिकेशन को क्वालीफाई करना आवश्यक हो और उसके लिये एक प्रक्रिया भी बनायी गयी थी। आज जब वह यह क्वालीफिकेशन पूरा करते हैं तो सरकार को उनके प्रकरण पर सदाशयता से विचार करना चाहिए और जैसे एडहाक वालों को रेगुलर किया है वैसे ही इन्हें भी करना चाहिए।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

अगर आपको इतनी ही चिन्ता थी तो आप ही ने उस समय क्यों नहीं विचार किया। आप स्वयं जानते हैं कि जो मानदेय शिक्षक रखे जाते हैं वह केवल एक वर्ष के लिये अथवा एक शैक्षिक सत्र के लिये या 10 माह के लिये रखे जाते हैं। यह केवल एक शैक्षिक सत्र के लिये रखे जाते हैं। मान्यवर, इस तरह के हजारों केसेज हैं जो इस वर्ष रखे जाते हैं और अगले वर्ष नहीं रखे जाते हैं। हर वर्ष उन्हें शिक्षा निदेशालय से अनुमोदन लेना पड़ता है। जहां तक अंशकालिक और एडहाक का जो प्रकरण है वह अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो केवल एक सत्र के लिये रखे जाते हैं उन्हें भविष्य में कैसे रेगुलराइज किया जाय। इस तरह की शासन की कोई नीति नहीं है लेकिन फिर भी हमने कहा कि प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से एक्सपीडाइट कराकर इसे एक बंच कराकर निर्णय करा दें। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा वह हम मानेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार ने कल ही माध्यमिक शिक्षकों के एक प्रकरण में विनियमित करने का निर्णय लिया। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार के घोषणा-पत्र में भी है और रेतु तिवारी के केस में फैसला हुआ कि उन्हें रेगुलराइज किया जाये और उसके विरुद्ध सरकार उच्चतम न्यायालय में गयी। मेरा कहना है कि अगर सरकार निर्णय ले ले जैसे कि दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सीलिंग के

आदेश से लोगों को राहत देने के लिये लड़ाई लड़कर कुछ न कुछ राहत लोगों को दिलाई। तो अगर उच्चतम न्यायालय के इस प्रकरण पर सरकार कुछ निर्णय लेकर उन्हें विनियमित करने पर विचार कर ले। जिस तरह से माध्यमिक शिक्षकों का किया था आपको केवल सदाशयता दिखाने की आवश्यकता है, क्वालिफाइड भी हैं, भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है, उसी में उन्हें विनियमित कर दीजिये ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

माननीय बाजपेयी जी, पहले बता दिया था मालविका शेखर बनाम निदेशक, उच्च शिक्षा का केस, यह गौर साहब भी जानते होंगे। इसमें लिखा है, कहिये तो जजमेंट भी पढ़ दूं। इसमें लिखा है कि मा0 शिक्षक नहीं रख सकते। जितने रखे गये हैं उनको टर्मिनेट करें।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे यह बतायें कि क्या यह सम्भव है कि नहीं ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, हमने कह दिया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन हैं, सरकार एक्सपीडाईट करा रही है। जैसा निर्णय आयेगा उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, नियम-52 के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंशकालिक, अल्पकालिक शिक्षकों के सम्बन्ध में विचार हुआ था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार इसमें विचार करेगी। इसमें एक पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गयी थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी सब लोग उसके सदस्य थे। लेकिन आज तक इस कमेटी की बैठक नहीं हुई है। जब सदन ने एक कमेटी बना दी कि वह कमेटी 31 दिसम्बर, 1997 के बाद के शिक्षकों के विनियमितीकरण पर उसमें विचार किया जायेगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना उस कमेटी की मीटिंग हुए या बिना उस कमेटी के निर्णय पर माननीय मंत्री जी स्वयं निर्णय ले रहे हैं ? अगर स्वयं निर्णय ले रहे हैं तो यह सदन की अवमानना है कि नहीं ? दूसरी चीज यह है कि क्या समिति की बैठक करके उसमें निर्णय लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यह कमेटी बनी थी और मैंने स्वयं सारी सम्भावनाओं पर विचार किया था। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से बात की थी। उसमें बहुत पेचीदीगियां थी। इसमें फिर बैठक करके विचार किया जायेगा और आपको भी बुला लेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस बैठक में हमको बुलाया गया कि नहीं ? मेरे संज्ञान में यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपको बुलाया जाना आवश्यक नहीं है।

नोट :-प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सीतापुर के माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की जानकारी

1-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में सीतापुर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं की शिक्षिकाओं को 12 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त प्रोन्नति वेतनमान प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के ग्राम रामनगर व किशुनपुर के कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने की मांग

2-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-महाराजगंज की तहसील-निचलौल के अन्तर्गत ग्राम रामनगर, किशुनपुर के किसानों की जमीनों को बिना अधिग्रहण किये तथा बिना मुआवजे के भुगतान किये व्यास नदी के तट पर वर्ष 1984-85 में बंधे का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त बंधे की लम्बाई क्या है तथा बंधे में कुल कितने किसानों की कितनी भूमि का इस्तेमाल किया गया है ? उनके मुआवजे का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। प्रश्नगत बांध का निर्माण जिला स्तर से प्राप्त धनराशि जिला योजना के अन्तर्गत कराया गया था, जिसमें भू-प्रतिकर का कोई प्राविधान नहीं होता है। (ग्राम-रामनगर, किशुनपुर के समीप ब्यास नदी नही बल्कि प्यास नदी है।)

बंधे की लम्बाई 16.00 किमी0 है जिसमें कुल 349 कृषकों की 27.72 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल किया गया था।

ग्राम टूटीवारी (आंशिक) 123 कृषकों तथा ग्राम अराजी बैरिया (आंशिक) के कुल 26 कृषकों को, इस प्रकार कुल 149 कृषकों को रु0 24.37 लाख का प्रतिकर का भुगतान वर्ष 1995-96 में आपसी समझौते के आधार पर कर दिया गया था। अवशेष कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान मार्च, 2007 तक कर दिया जायेगा।

जनपद सीतापुर के माध्यमिक बालिका विद्यालयों की शिक्षिकाओं के रोके गये वेतन का भुगतान कराये जाने की मांग

3-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के माध्यमिक बालिका विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत कितनी ऐसी शिक्षिकायें हैं जिन्हें माह जनवरी व फरवरी,

2001 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? उक्त शिक्षिकाओं का वेतन रोके जाने का क्या कारण है ? क्या इस वेतन एवं उस पर मिलने वाले ब्याज की धनराशि का भुगतान सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, कुल 19 शिक्षिकाएं हैं।

सम्बन्धित विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2000-01 में मांग से कम धनराशि प्राविधानित होने के कारण माह जनवरी एवं फरवरी 2001 का वेतन भुगतान नहीं हो सका।

जी हां, नियमानुसार यथाशीघ्र वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध कालेजों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तथा मेडिकल कालेज व डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा दिये जाने की मांग

4-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध सभी कालेजों एवं संस्थाओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया।

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा इन्हें पूर्ववत् राज्य के प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण का लक्ष्य व प्रगति की जानकारी

5-श्री राम नरेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में कितने प्राथमिक और कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? प्रदेश में अब तक कितने प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण हो चुका है ? उक्त निर्माण में व्यय की जाने वाली धनराशि में प्रदेश सरकार की सहभागिता कितने प्रतिशत है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री किरनपाल सिंह-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में 2970 प्राथमिक विद्यालय एवं 4000 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 से अब तक 13219 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों तथा 12893 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2006-07 के विद्यालय भवनों का निर्माण प्रगति पर है।

उपर्युक्त विद्यालय भवनों के निर्माण पर कुल व्यय की जाने वाली धनराशि में 25% को प्रदेश सरकार की सहभागिता है।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना व उसके लक्ष्य की जानकारी

6-श्री राम नरेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में 3073 प्राथमिक विद्यालय तथा 5229 उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2004-05 में 2576 प्राथमिक विद्यालय तथा 2413 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं वर्ष 2005-2006 में 2421 प्राथमिक विद्यालय तथा 2308 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित था।

जी नहीं।

वर्ष 2003-04 में लक्ष्य के सापेक्ष समस्त प्राथमिक विद्यालय तथा 5229 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के सापेक्ष 5203 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित हो चुके हैं, तथा 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं हैं।

वर्ष 2004-05 में स्वीकृत 2576 प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष 2575 विद्यालय स्थापित हैं, 01 प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं है। 2413 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के सापेक्ष 2372 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है शेष 41 को स्थापना नहीं हुई है।

वर्ष 2005-06 में 2421 प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के सापेक्ष 2387 तथा 2308 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष 2268 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। 34 प्राथमिक व 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं हुए हैं।

वर्ष 2003-04 के कुल अवशेष 26 में से 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी के कारण तथा 01 विवाद के कारण स्थापित नहीं हो सका है।

वर्ष 2004-05 में अवशेष 01 प्राथमिक विद्यालय तथा 41 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 01 प्राथमिक विद्यालय तथा 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी के कारण तथा 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय मानक के अनुसार सेवित होने के कारण स्थापित नहीं हुए हैं।

वर्ष 2005-06 में 34 प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं जिसमें 16 सक्षम समिति से चयन न होने के कारण 2 शिक्षकों की कमी के कारण 16 मानक के अनुसार चयन न होने के कारण स्थापित नहीं हो सके हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40 विद्यालय स्थापित नहीं है, जिनमें 16 शिक्षकों की कमी के कारण 2 सक्षम समिति से चयनित न होने के कारण 2 न्यायिक विवाद के कारण 20 मानक के अनुसार चयनित न होने के कारण स्थापित नहीं हो सके हैं।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों के ड्रेस व किताबों की योजना एवं उसके योगदान सम्बन्धी जानकारी

7-श्री राम नरेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों के ड्रेस एवं किताबों के लिए प्रदेश सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस हेतु वर्ष 2006-07 में कितने करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान किया है ? उससे कितने बच्चों को ड्रेस व किताबें दी जायेंगी, और क्या यह भी बतायेंगे कि इसमें केन्द्र सरकार का कितने करोड़ का और प्रदेश सरकार का कितने करोड़ का योगदान है ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2006-07 में रु0 198.5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इससे लगभग 88 लाख बालिकाओं को ड्रेस तथा 159 लाख बच्चों को किताबें निःशुल्क वितरित हो सकेगी। इसमें केन्द्र सरकार का योगदान रु0 148.9 करोड़ है तथा प्रदेश सरकार का योगदान रु0 49.6 करोड़ का है।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के ग्राम हमीद पट्टी के डिपेंसी कालेज के भवन निर्माण की मांग

8-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-संत रविदास नगर (भदोही) के ग्राम हमीद पट्टी, ब्लाक-औराई में डिपेंसी कालेज को छप्पर डालकर चलाया जा रहा है, जिससे दुर्घटना होने का भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज के भवन का निर्माण कराने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के ग्राम-हमीद पट्टी, विकास खण्ड-औराई में अस्थाई मान्यता प्राप्त डिपेंसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित है। इसमें टीन शेड व छप्परों की व्यवस्था है।

अशासकीय विद्यालयों के भवन निर्माण का दायित्व विद्यालय प्रबन्ध समिति का है। मान्यता शर्तों के अनुरूप विद्यालय भवन का निर्माण कराने हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुए प्रबन्धक को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

9-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में कितने प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के पद 30 जून, 2006 तक रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 11043 प्रधानाध्यापक एवं 64120 सहायक अध्यापकों के तथा जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 5382 व सहायक अध्यापकों के 6655 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापकों के पद पदोन्नति के पद हैं। इन पदों को भरने हेतु पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान रहती है। प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के पदों को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से भरा जाता है। 35,000 विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। बी0टी0सी0 उर्दू के लिए लगभग 6,000 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है जिनका प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया है। दो वर्षीय प्रशिक्षण के उपरान्त इनकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों पर की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की पवित्रता की कार्ययोजना

10-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा, 2006 में हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट के अच्छे परिणाम का कारण स्वकेन्द्र परीक्षा पद्धति है ? यदि हां, तो क्या सरकार परीक्षाओं की पवित्रता बनाने हेतु क्या कोई नयी कार्ययोजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अच्छे परीक्षा परिणाम के कई कारण हैं, जिसमें एक स्वकेन्द्र परीक्षा पद्धति भी हो सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने हेतु सुनिश्चित व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में गत वर्षों में समग्र विकास हेतु चयनित ग्रामों में जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना

11-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कालपी जनपद-जालौन में वर्ष 04-05/05-06/06-07 में समग्र विकास हेतु चयनित सभी ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल स्थापित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो चयनित ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत वर्षवार स्थिति निम्नवत है:-

1-वर्ष 2004-05 के सभी चयनित ग्राम में मानक के अनुसार जूनियर हाईस्कूल स्थापित है।

2-वर्ष 2005-06 में सभी चयनित ग्रामों में मानक के अनुसार जूनियर हाईस्कूल स्थापित कर दिये गये हैं।

3-वर्ष 2006-07 के ग्राम घरतौनी एवं हथनौरा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल स्वीकृत कर स्थापित किए जा रहे हैं तथा ग्राम नाका का समग्र ग्राम के रूप में बाद में चयन के कारण विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सका है। चयनित ग्रामों में यदि विद्यालय स्थान परिवर्तन होता है तो इस ग्राम में विद्यालय स्थापित किया जायेगा अन्यथा वर्ष 2007-08 को कार्ययोजना में प्रस्ताव रखा जायेगा। शेष सभी ग्रामों में मानक के अनुसार पूर्व में ही जूनियर हाईस्कूल स्थापित हैं।

वर्ष 2006-07 के चयनित ग्रामों में कोई स्थल परिवर्तित होने पर अथवा वर्ष 2007-08 को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में नाका में विद्यालय प्रस्तावित कर स्थापित कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सिंचाई खण्ड जौनपुर व सुल्तानपुर के अन्तर्गत पड़ने वाली नहरों की सफाई

12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सिंचाई खण्ड-51 सिंचाई खण्ड-36 जौनपुर, सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अन्तर्गत पड़ने वाली नहरों की सफाई वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सिंचाई खण्ड में निर्धारित समय से अधिक कार्यरत अभियन्ताओं के स्थानान्तरण कराने की मांग

13-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के सिंचाई खण्ड-51 में कौन-कौन से सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एक ही जनपद प्रतापगढ़ में निर्धारित अवधि से अधिक समय से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कार्यरत अभियन्ताओं को अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् निशातगंज में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

14-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सरकार कृपया बतायगी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, निशातगंज, जनपद-लखनऊ में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त परिषद् में कितने अधिकारी/कर्मचारी पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह एवं अनुभाग में तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

53 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

05 अधिकारी, 15 तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कर्मचारी, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय से एक जगह (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ में) एवं आवश्यकतानुसार कार्य के निस्तारण हेतु पृथक-पृथक अनुभागों में कार्यरत हैं।

जी हां, स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा फूलपुर के ग्रामों में गत वर्षों में विद्यालयों में निर्माण कराये जाने सम्बन्धी विवरण

15-श्री राम नरेश यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों के लिए वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च

प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जाना स्वीकृत हुआ है ? क्या उन सभी विद्यालय भवनों का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक निर्माण कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में प्राथमिक विद्यालय हड़वा, टेउंगा, नेवादा, अमगिलिया, सिकन्दर-पट्टी, जाफरपुर कथकान व मिश्रौलिया तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु आंधोपुर मकसूदिया हेवती, नवेदीपुर, बसही असरफपुर, बस्ती चपगुलरा, सैदपुर, नेवादा, फदगुदिया, टेउंगा एवं सुल्तानपुर स्वीकृत हुए हैं। वर्ष 2005-06 में प्राथमिक विद्यालय हेतु अंजा नशहोद, तिवारियाकलां, रसूलपुर अहमदअली गालिबपुर, गोमकोठी व समानीपुर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु खानजहांपुर, फरीदपुर नरपतपुर, इब्राहीमपुर, जाफरपुर, कथकान, अरूसा, कटार स्वीकृत हुए हैं।

वर्ष 2006-07 में प्राथमिक विद्यालय हेतु दवदबा, चौबला, सैरूद्दीनपुर अलोबक्श, बसमढ़ा, पुरारामजी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु मौलनापुर, गोधना, अलीनगर फतेहपुर, शेरगली, गोमकोठी विद्यालयों का निर्माण कराया जाना स्वीकृत हुआ है।

जी नहीं।

वर्ष 2004-05 के सभी स्वीकृत विद्यालय पूर्ण हो चुके हैं।

वर्ष 2005-06 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय अंजानशहीद को छोड़कर सभी विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अंजानशहीद में भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम परिवर्तित होकर बूढ़ापुर बदल (नाजिर का पुरवा) का विद्यालय स्वीकृति का अनुमोदन अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा दिनांक 22-8-06 को किया गया है। शीघ्र ही प्राथमिक विद्यालय बूढ़ापुर बदल (नाजिर का पुरवा) का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। वर्ष 2006-07 में स्वीकृत 05 प्राथमिक तथा 05 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण प्रभारी के प्रशिक्षण के उपरान्त भवनों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रदेश में विद्यालयों की समस्यायों के निराकरण की जानकारी

16-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-7-2006 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा क्या अभी तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

संस्कृत विद्यालयों में पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान संशोधित किये जा चुके हैं, मितव्ययिता की दृष्टि से रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है,

शासन का आर्थोपाय स्थिति के दृष्टिगत --------- समस्त संस्कृत विद्यालयों में लिपिक/परिचालक के पद सृजित करना संभव नहीं हैं, शासन को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर नये विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जा सकेगा, संस्कृत विद्यालयों को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के कर्नलगंज इण्टर कालेज के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

17-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्नलगंज इण्टर कालेज, इलाहाबाद के प्रबन्धक द्वारा कालेज में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने हेतु दिनांक 25-1-2003, 6-8-2003 तथा 27-9-2005 के अधियाचन जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन अधियाचनों पर जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या एवं उनकी मांगों के समाधान हेतु विचार

18-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कितने शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं ? क्या प्रदेश के शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में 20 मार्च, 2006 को विधान भवन के समक्ष धरना दिया गया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा इन पर सरकार ने क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में कुल 1,87,800 शिक्षामित्र कार्य कर रहे हैं।

जी हां।

1-मानदेय बढ़ाया जाये।

2-स्नातक उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को बी0टी0सी0 में वेटेज दिया जाय, जो स्नातक नहीं हैं उनको स्नातक उत्तीर्ण होने पर वेटेज मिले। इण्टर पास शिक्षामित्रों को स्नातक करने में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर किया जाय।

3-शिक्षामित्रों को प्रत्येक माह में एक या दो दिन की अनुपस्थिति पर मानदेय नहीं काटा जाये और न ही अनुपस्थितियों पर कोई कार्यवाही हो।

4-महिला शिक्षामित्रों को प्रसूति अवकाश दिया जाय।

5-गोरखपुर, बस्ती, गाजियाबाद, आजमगढ़ जैसे जनपदों में नगरीय क्षेत्रों के निष्कासित शिक्षामित्रों को पुनः नियुक्त किया जाय।

6-शिक्षामित्रों के नवीनीकरण में ग्राम शिक्षा समिति की मनमानी रवैये के विरुद्ध जिलाधिकारियों को निर्णय करने का आदेश निर्गत किया जाय।

7-अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों की विवाहोपरान्त उनके पद से हटाया न जाये।

विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थापित नलकूपों की संख्या एवं उन्हें चालू कराने की मांग

19-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने और कहां-कहां राजकीय नलकूप स्थापित हैं ? क्या सभी स्थापित नलकूप चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थापित सभी नलकूपों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में कुल 15 राजकीय नलकूप स्थापित है, जो निम्नवत् हैं:-

क्रम संख्या	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3
1	पट्टी	कुकुवार
2	मंगरौरा	हंसारा
3	मंगरौरा	हरदोई
4	मंगरौरा	नरायनपुर
5	मंगरौरा	वारीकला-1
6	मंगरौरा	रायगढ़
7	मंगरौरा	भिवानी
8	मंगरौरा	भदौना
9	मंगरौरा	कंसापट्टी
10	मंगरौरा	पूरेभीखा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
11	मंगरौरा	नारी भेदपुर
12	मंगरौरा	वारीकला-2
13	मंगरौरा	सरांय उगई
14	मंगरौरा	चंदौका
15	मंगरौरा	चौखड़

जी नहीं। क्रम संख्या-1 से 15 नलकूपों में से क्रम संख्या-1 से 13 नलकूप चालू हालत में है। क्रम संख्या-14 एवं 15 पर अंकित नलकूप खारा पानी या अनुपयुक्त स्टेटा होने के कारण परित्याग हेतु प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण का कथित प्रकरण

20-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में निश्चित मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्य मंत्री की घोषणानुसार जनपद जौनपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि

21-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जौनपुर नगर में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा 6 फरवरी, 2006 को की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, बल्कि राजकीय महिला महाविद्यालय जौनपुर के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था।

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज ढिढुयी में आरक्षित पदों पर नियुक्त अध्यापकों से वसूली की मांग

22-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज, ढिढुयी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित पदों पर सामान्य जाति के कौन-कौन अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार सामान्य जाति के कार्यरत अध्यापकों की सेवा समाप्त करने एवं किये गये वेतन भुगतान की वसूली ब्याज सहित किये जाने के आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण

23-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो कितने लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया गया है ? क्या सरकार उक्त योजना को संस्कृत विद्यालयों में लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण योजना लागू है।

दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण हेतु कुल 6203 अभ्यर्थियों को मानक के अनुरूप चयनित कर इनका प्रशिक्षण गतिमान है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इण्टर उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन दिये जाने की योजना की तरह संस्कृत विद्यालयों में भी यह योजना लागू करने की मांग

24-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इण्टर उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्या धन दिये जाने की योजना लागू है ? क्या उर्दू विद्यालयों की उत्तीर्ण छात्राओं को भी उक्त योजना से आच्छादित

किया गया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार उर्दू विद्यालयों की तरह संस्कृत विद्यालयों की उत्तीर्ण छात्राओं को भी कन्या विद्या धन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2006 से इण्टर परीक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को वर्ष 2006-07 से सम्मिलित किया गया।

वर्ष 2006 में उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के लिए योजना वर्ष 2006-07 से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी पाठशाला जौनपुर में अध्यापकों के रिक्त पद एवं मूल निवासी अध्यापकों से इसे भरने की मांग

25-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में जिला परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में 30 जून, 06 तक अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्तियों को भरने के लिए जनपद के मूल निवासी अध्यापकों, जो प्रदेश के अन्य जनपदों में कार्यरत हैं, को तत्काल जौनपुर में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद जौनपुर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 30 जून, 2006 तक सहायक अध्यापक के 1190 पद तथा प्रधानाध्यापक के 245 पद रिक्त थे।

जी नहीं। जनपद के मूल निवासी अध्यापकों, जो प्रदेश के अन्य जनपदों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, का स्वतः स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। स्वयं अध्यापक के अनुरोध पर ही एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण करने पर विचार सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के राजकीय व मान्यता प्राप्त कन्या इण्टर कालेजों में वित्तविहीन अनुभाग खोलने की अनुमति

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर के राजकीय व मान्यता प्राप्त कन्या विद्यालयों में वर्तमान शिक्षा सत्र 2006-2007 में कक्षा-9 व कक्षा-11 के विज्ञान विषय में क्षमता से अधिक प्रवेश लिये गये हैं जिससे छात्राओं को अध्ययन करने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय कन्या इण्टर कालेज, आर्य महिला इण्टर कालेज, आर्या कन्या इण्टर कालेज में डबल शिफ्ट की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

आर्य महिला इण्टर कालेज एवं आर्य कन्या इण्टर कालेज शाहजहांपुर दोनों सहायता प्राप्त कन्या इण्टर कालेज में कक्षा-9 व 11 में वित्त विहीन अतिरिक्त अनुभाग खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय कन्या इण्टर कालेजों में संख्या से अधिक छात्राओं की समस्या के निराकरण हेतु निर्देश

27-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय कन्या इण्टर कालेजों में कक्षा-6, कक्षा-9, कक्षा-11 में प्रवेश लेने वालों की संख्या अधिक होने के कारण छात्राओं को अध्ययन करने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेजों में डबल शिफ्ट चालू करने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रवेश की समस्या के निराकरण हेतु पूर्व ही जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को यथानिर्देश प्रसारित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

सर्वेयर, नलकूप मिस्त्री व वाहन चालकों के वेतनमान में विसंगतियां दूर करने की मांग

28-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996 के वेतन आयोग के अनुसार सर्वेयर, नलकूप मिस्त्री, वाहन चालक का वेतनमान-3050-4590 किया गया था ? क्या संशोधित वेतनमान के अनुसार वर्तमान में नलकूप मिस्त्री तथा वाहन चालक को रु0 4000-6000 का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सर्वेयर को भी 4000-6000 का वेतनमान तथा जो सर्वेयर 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, को प्रथम व द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान दिलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

दिनांक 04-10-2001 से नलकूप मिस्त्री पदनाम को रु0 4000-6000 का वेतनमान दिया जा रहा है, परन्तु वाहन चालकों को रु0 3050-4590 का वेतनमान दिया जा रहा है।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत रु0 3050-4595 के वेतनमान में कार्यरत सर्वेयरों को 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर रु0 3200-4900 का वेतनमान एवं 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर रु0 4000-6000 का वेतनमान देय है।

प्रश्न नहीं उठता।

मिड डे मील स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था

29-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार उ0 प्र0 के विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मिड डे मील योजना में मानक के विपरीत भोजन से छात्रों की संख्या में गिरावट रोकने के उपाय

30-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिड डे मील योजना लागू किये जाने से विगत वर्षों से विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई थी, जो अब कुव्यवस्था एवं मानक के विपरीत भोजन वितरण के कारण निरन्तर छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गिरावट को रोकने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं। छात्र संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। छात्र संख्या वर्ष 2004-05 में 16996916 तथा वर्ष 2005-06 में 18644467 थी।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना भलीभांति संचालित है।

जनपद महाराजगंज विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण की गुणवत्ता में गिरावट की जांच कार्यवाही की जानकारी

31-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद- महराजगंज के ब्लाक स्तर के विद्यालयों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सितम्बर, 2005 में बच्चों को प्रयोग के तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले मध्याह्न भोजन का वितरण कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त भोजन की जांच जिलाधिकारी द्वारा सितम्बर, 2005 में की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां, सामान्य रूप से भोजन मानक के अनुरुप पाया गया।

जी हां।

आंशिक विद्यालयों में भोजन की कम मात्रा पायी गयी। कुछ विद्यालयों में सुधार का सुझाव जांच अधिकारी द्वारा दिया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर भोजन बनाने का दायित्व ग्राम पंचायतों को वापस सौंप जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये थे। दिनांक 1-10-2005 से भोजन बनाने का कार्य ग्राम पंचायतों को वापस सौंप दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड प्रतापपुर के ग्राम हरीपुर पट्टी में गत वर्ष छात्रवृत्ति व मिड डे मील के वितरणों में घपले की जांच

32-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम हरीपुर पट्टी, विकास खण्ड-प्रतापपुर, जनपद- इलाहाबाद में 44 बच्चों को सत्र, 2005-06 की छात्रवृत्ति नहीं बांटी गयी है तथा मानक के अनुसार खाना बच्चों को नहीं दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में "मिड डे मील" विधवा महिला से बनवाकर किसी अन्य पुरुष कर्मी द्वारा बनवाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

जी हां, प्रकरण की जांच करायी गयी और यह पाया गया कि इसमें ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक दोषी हैं। सम्प्रति प्रधानाध्यापक को निलम्बित किया जा चुका है। ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी को पत्र निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर की प्राइमरी पाठशाला हरीपुर पट्टी में मिड डे मील पोषाहार वितरण में धांधली की जांच हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

33-श्री धर्म सिंह सैनी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राइमरी पाठशाला हरीपुर पट्टी विकास खण्ड प्रतापपुर जनपद-इलाहाबाद में बच्चों को "मिड डे मील" पोषाहार अक्टूबर, 2004 से दिसम्बर, 2005 तक न देने के सम्बन्ध में ए0डी0, बेसिक शिक्षा इलाहाबाद द्वारा दि0 02-03-2006 को की गयी जांच में ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त ग्राम प्रधान ने बिना नीलामी एवं वैधानिक अनुमति के तीन कक्षीय पुराने विद्यालय की 115 कुन्तल सरिया, 42,000 ईंट 70,000 रुपये में बेच दिया है ? जिसकी

शिकायती-पत्र फूलचन्द्र यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य हरीपुर पट्टी द्वारा ए0डी0, बेसिक शिक्षा अधिकारी को दि0 02-03-2006 दिया गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी ग्राम प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हां।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, इलाहाबाद को पत्र लिखा गया है।

जी नहीं।

जी हां, शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच करायी गयी। जांच में ग्राम प्रधान के स्थान पर सम्बन्धित विद्यालय भवन प्रभारी को दोषी पाया गया है। सम्प्रति उन्हें निलम्बित किया जा चुका है।

जनपद सुल्तानपुर की ग्राम सभा हरखपुर में नाले की सफाई कराये जाने की मांग

34-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वखत का पुरवा पथईपुर ग्रा0 स0 हरखपुर से मठामहमूदपुर (वि0खं0 कुड़वार) जनपद-सुल्तानपुर लगभग 3 कि0मी0 तक नाले की सफाई पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से न होने के कारण आसपास करीब 300 एकड़ जमीन जलमग्न रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाले की सफाई मशीन द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उक्त ड्रेन के कैचमेन्ट क्षेत्र में वर्षाकाल के दौरान 100 से 125 एकड़ क्षेत्र जलमग्न रहता है।

जी हां। इस ड्रेन के पुनर्स्थापना का कार्य विश्व बैंक पोषित डब्लू0एस0आर0पी0 परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सार्वजनिक नलकूपों की स्थापना की नीति एवं जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र हथौड़िया में सार्वजनिक नलकूप स्वीकृत करने की मांग

35-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई हेतु प्रदेश में सार्वजनिक नलकूपों की स्थापना की नीति क्या है ? क्या मंत्री जी जनहित में 50-शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हथौड़िया में एक सार्वजनिक नलकूप की स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश संख्या-2035/04-27-सिं0-5, दिनांक 28-6-04 एवं संपठित शासनादेश संख्या-2409/05-27-सिं0-5, दिनांक 16-5-2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार मा0 सदस्य विधान

सभा एवं विधान परिषद् के क्षेत्र में उनकी अनुशंसा पर, चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण साध्य पाये जाने की स्थिति में एक-एक नलकूप लगाये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं। मा0 सदस्य विधान सभा की अनुशंसा पर वर्ष 2005-06 में एक नलकूप ग्राम जमुका ब्लाक आंवलखेड़ा जनपद-शाहजहांपुर में लगाया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ में पंचम वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों व कर्मियों को वेतन दिलाये जने की मांग

36-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ में तैनात शिक्षकों व कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति को लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सिफारिशें कब तक लागू कर दी जायेगीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु श्री जे0 एल0 बजाज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी, उ0 प्र0 सैनिक स्कूल भी राज्य सरकार द्वारा अनुदानित संस्था है, अतः बजाज समिति की संस्तुति के अनुसार सैनिक स्कूल के शिक्षकों व कर्मियों का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा गठित बजाज समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वेतनमान पुनरीक्षित किया जा चुका है।

सैनिक स्कूल सरोजनीनगर लखनऊ में सचिवालय कैडर के अधिकारी को प्रधानाचार्य के पद का कार्य सम्पादित करने के आदेश

37-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ में वर्तमान समय में सचिवालय कैडर के अधिकारी को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार द्वारा सेना के किसी उच्च अधिकारी को सैनिक स्कूल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, सचिवालय कैडर के अधिकारी को अपने कार्य के साथ-साथ प्रधानाचार्य के पद का कार्य सम्पादित करने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्यालयों में निःशुल्क राजकीय प्रकाशन की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित तिथि तक उपलब्ध न कराने पर कार्यवाही की मांग

38-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में निःशुल्क राजकीय प्रकाशन की पाठ्य-पुस्तकों की निर्धारित तिथि 20-7-06 तक आपूर्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो विद्यार्थियों को उपरोक्त पुस्तकें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ? पुस्तकों को समय से उपलब्ध न करा पाने का कौन जिम्मेदार है ? क्या इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

नहीं।

दिनांक 15-8-2006 तक पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी हैं।

तीन मुद्रकों द्वारा पुस्तकें समय से नहीं उपलब्ध करायी गयीं।

हां।

दोषी मुद्रकों/प्रकाशकों की सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नरहेजी इण्टर कालेज नरही में सृजित पदों पर पदधारकों को वेतनमान के अनुसार भुगतान सम्बन्धी जानकारी

39-श्री घूरा राम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-9-96 के निर्देश पर गठित शासन की उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 8-7-97 में नरहेजी इण्टर कालेज, नरही, बलिया में 30 सृजित पदों को वैध माना है और उसमें सर्वश्री रविशंकर पाण्डेय, मंगला सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिंह की नियुक्तियों को पद के सापेक्ष माना है ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्त पदधारकों को वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया के श्री नरहेजी इण्टर कालेज नरही रसड़ा, के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच में अवरुद्ध वेतन अवमुक्त करने की मांग

40-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री नरहेजी इण्टर कालेज नरही रसड़ा, बलिया के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की, नियुक्तियों की जांच सी0बी0सी0आई0डी0, उ0 प्र0 लखनऊ से कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या में की गयी संस्तुतियों के आधार पर संस्था में

नियमानुकूल पाये गये शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवरुद्ध वेतन को अवमुक्त कराने के निर्देश शासनादेश संख्या-161/15-12-05-1600 (912)/2003 शिक्षा अनुभाग-12 दिनांक 30 मार्च, 05 द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को दिये गये हैं ? यदि हां, तो शिक्षकों का वेतन कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गत वर्ष की परीक्षा में पकड़े गये नकलची व परीक्षा केन्द्रों की शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी

41-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की परीक्षायें प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न हुई तथा कितने केन्द्रों पर नकल के मामले पकड़े गये ? प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा सुपरिन्डेन्ट तथा कक्ष निरीक्षकों को नकल कराने में संलिप्त पाया गया तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कुछ जनपदों में सामूहिक नकल की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, ऐसे परीक्षा केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्य ... की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। प्रदेश में कुल 7362 केन्द्रों पर परीक्षा सम्पन्न हुई तथा प्रदेश में कुल 2848 परीक्षा केन्द्रों पर नकल के केसेज पकड़े गये थे।

प्रदेश में 203 परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा सुपरिन्टेन्डेंट/कक्ष निरीक्षक नकल कराने में संलिप्त पाये गये जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी थी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां, प्रदेश के 29 जनपदों के 125 परीक्षा केन्द्रों पर तत्समय चल रही परीक्षा को निरस्त कर जनपद मुख्यालय पर पुनर्परीक्षा करायी गयी तथा ऐसे परीक्षा केन्द्रों को आगामी तीन वर्षों के लिए अनर्ह मानते हुए काली सूची में डाल दिया गया था साथ ही केन्द्रों के व्यवस्थापकों की परिषद् के समस्त पारिश्रमिक कार्यों हेतु (केन्द्र व्यवस्थापक तथा अग्रसारण कार्य सहित) तीन वर्षों तक आमंत्रित न करने का निर्णय लिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला के राम रतन वर्मा का प्रवक्ता (कृषि) के प्रकरण पर मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की मांग

42-श्रीमती राजरानी रावत-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राम रतन वर्मा पुत्र श्री राम विलास, निवासी ग्राम-पाल्हाराई, तहसील-सण्डीला, जनपद-हरदोई का चयन, प्रवक्ता (कृषि) के पद पर उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा

चयन आयोग, इलाहाबाद द्वारा नवम्बर, 2005 में किया गया था ? क्या यह सही है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रीय किसान इण्टर कालेज, शामली जनपद-मुजफ्फरनगर में की गयी थी परन्तु उक्त विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा उनको कार्यभार न ग्रहण कराये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या-20875/06 पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 18-5-06 को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इलाहाबाद को यह आदेशित किया गया है कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति एक माह के भीतर अन्यत्र किसी कालेज में की जाए ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन चयन आयोग द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक सुनिश्चित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, इलाहाबाद द्वारा कृषि प्रवक्ता के साक्षात्कार में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों का चयन/अवशेष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी जानकारी

43-श्रीमती राजरानी रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 7-11-2005 को लिये गये साक्षात्कार में कृषि प्रवक्ता हेतु अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उनमें से कितने अभ्यर्थियों को माध्यमिक विद्यालयों में कार्य भार ग्रहण करा दिया गया तथा कितने शेष हैं ? शेष अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती के विद्या धर्मवर्धनी संस्कृत पाठशाला बभनान के भवन की मजबूती की जांच

44-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि प्रश्नगत विद्यालय भवन प्रथम बार किस वर्ष में बनवाया गया था ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त विद्यालय भवन की मजबूती की जांच किसी तकनीकी विशेषज्ञ संस्था से कराई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी जांच कराने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 1939 में।

प्रश्नगत विद्यालय (विद्या धर्मवर्धनी संस्कृत पाठशाला, बभनान बस्ती) के भवन की मजबूती की जांच अवर अभियन्ता, विकास खण्ड गौर, बस्ती से करायी गयी है।

जनपद गोरखपुर की तहसील मुख्यालय बांसगांव के राजकीय कन्या इण्टर कालेज के जर्जर भवन की मरम्मत कराये जाने की मांग

45-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि तहसील मुख्यालय-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज का भवन जर्जर है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है ? क्या भवन की मरम्मत का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त भवन की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा प्रश्नों से सम्बन्धित व्यवस्था का सवाल है। आज के एजेण्डे में अतारांकित प्रश्न संख्या-4 का कृपया सम्दर्भ लें। मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध सभी कालेजों एवं संस्थाओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, तो इसका उत्तर आया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है। दूसरा मैंने प्रश्न किया था कि यदि हां, तो क्या सरकार मेडिकल कालेज इलाहाबाद एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी ? इसका उत्तर आया है कि जी नहीं। तीसरा इसी में मैंने यह पूछा था कि यदि नहीं, तो क्यों, तो इसका उत्तर आया है कि राज्य सरकार द्वारा इन्हें पूर्ववत् राज्य के प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत यह दोनों कालेज केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अधीन हो गये हैं। यह भ्रामक उत्तर दिया गया है। सही स्थिति बतानी चाहिए कि यह इसके अन्तर्गत आ गये हैं, कार्य परिषद् ने अनुमति दे दी है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि.....मान्यवर, दूसरा प्रश्न है अतारांकित प्रश्न संख्या-17, मान्यवर, यह प्रश्न 28-7-2006 का है, सरकार को 14-08-2006 को सन्दर्भित किया गया और लगभग 4 महीने हो गये और मान्यवर, सिर्फ एक कालेज से जानकारी करने की बात है और उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, अतारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर भ्रामक नहीं है और इसका उत्तर शीघ्र दिलवा देंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाएं ले रहे हैं। आज 05 दिसम्बर, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई:-

पहली सूचना, श्री गंगा प्रसाद पुष्कर की आगरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लगभग 30-40 कालोनियों/बस्तियों में व्याप्त पेयजल समस्या का निदान कराने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना, श्री सुन्दर सिंह की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम गजरौला निवासी स्व0 राजेश कुमार की बस दुर्घटना से हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रदेश में देशी घी पर लागू मण्डी शुल्क समाप्त करने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0 संख्या-95/06 में अवैध रूप से फर्जी मुकदमे में फसाये गये लोगों को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों/भवनों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना, श्री जियाउद्दीन रिज़वी की बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त डाक्टरों एवं अधीक्षक पद पर तैनाती करने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना, श्री पूर्णमासी देहाती की उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई लक्ष्मीगंज, जनपद कुशीनगर के विस्तारीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना, श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत चयनित कतिपय समग्र गांवों को पक्की डामर सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा अन्तर्गत ग्राम हतौदिया में स्थापित हड्डी कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत अमिलिहन का पुरवा व रायपुर गौरी के मध्य नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना, श्री आर0एस0 कुशवाहा की लखीमपुर के निघासन क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त बेलरांवा से तिकनिया मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में है।

बाहहवीं सूचना, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की मिर्जापुर के मंझवा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में अवशेष 20 प्रतिशत हैण्डपम्पों को स्थापित करने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना, श्री भगेलू राम की है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

चौदहवीं सूचना, श्री सुखदेव राजभर की आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत मोहिउद्दीनपुर एवं ग्राम मौलानीपुर में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जेदारों का कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में है।

पंद्रहवीं सूचना, श्री मदन गोपाल वर्मा की फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत दपसौरा पम्प कैनाल के क्षतिग्रस्त पाइप बदलवाने एवं बहादुर पम्प कैनाल को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में है।

(उपस्थित सदस्यों की स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयी।)

आगरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लगभग 30-40 कालोनियों/बस्तियों में व्याप्त पेयजल समस्या का निदान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गंगा प्रसाद पुष्कर-

[आपकी सेवा में सानुरोध निवेदन करना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर जिला आगरा के अंतर्गत आगरा नगर निगम की 30-40 कालोनियां/बस्तियां जमुना किनारे स्थित है जिनके अंतर्गत खारी, कडुआ तथा जहरीला पानी होने के कारण पेयजल की गंभीर समस्या है, निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो बच्चे पैदा हो रहे है वह विकलांग, अंधेपन तथा बहरेपन के शिकार होते जा रहे है। ताज ट्रिपेजियम जोन के अंतर्गत उपरोक्त बस्तियां स्थित है। वर्ष 1999 में 72.80 करोड़ की पेयजल मास्टर प्लान के अंतर्गत योजना तैयार की गई थी अभी तक यह योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई है। इन बस्तियों के लिए मीठा पानी टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और प्रति बाल्टी 10-15 रु0 के हिसाब से कालोनी तथा बस्ती के निवासी खरीदते है जबकि दूध की कीमत पानी से कम है। शासन स्तर पर पेयजल की कोई योजना सफल होती नहीं दिखाई दे रही है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि यह लोकहीत का विषय है। जनहित मे जीवन यापन के लिए पेयजल की व्यवस्था अविलम्ब कराई जाय और इस पर विधान सभा में चर्चा करने की अनुमति प्र की जाय।]

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम गजरौला निवासी स्व0 राजेश कुमार की बस दुघटना से हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर सिंह-

[दिनांक 22-11-2006 को राजेश कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम थाना गजरौला ब्लाक ऊंचागांव थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर अपनी बहन के यहां से होकर लौट रहा था तथा बस पकड़ने के लिये बुलन्दशहर अनूपशहर मार्ग पर ग्राम पौड़री के सामने खड़ा था बस सं0 यू0पी0 14 जे-6546 का ड्राइवर लापरवाही से बस चला कर आया व राजेश कुमार को रौदता हुआ चला गया है जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी है। राजेश कुमार एक गरीब परिवार का व्यक्ति था। तथा उसके पिता पर मात्र 4 बीघा कच्चा जमीन है। मृतक के परिवार में पत्नी सहित दो पुत्री उम्र 3 वर्ष व 2 वर्ष व एक पुत्र तीन माह है तथा झोपड़ी में रहता था। मृतक के परिवार को अभी तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है।

अतः मा0 मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि परिवार भरण पोषण के लिये अपने विवेकाधीन कोष से 1 लाख रुपया व रहने के लिये एक पक्का आवास ग्राम गजरौला बनवाने की कृपा करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में देशी घी पर लागू मण्डी शुल्क समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[उ0 प्र0 राज्य में देशी घी पर ढाई प्रतिशत मंडी शुल्क लागू है जबकि देशी घी न तो मंडियों में बिकता है न मंडियों के माध्यम से खरीदा जाता है हमारे प्रदेश से लगे दिल्ली प्रदेश में देशी घी पर मंडी शुल्क लागू नहीं है जिसके कारण प्रदेश का व्यापार दूसरे राज्य को स्थानान्तरित हो रहा है। इस संदर्भ में शासन एवं व्यापारियों की एक बैठक जवाहर भवन, लखनऊ में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में भी स्वीकार किया गया था देशी घी पर मंडी शुल्क का कोई औचित्य नहीं है परन्तु इस विषय पर आज तक कोई निर्णय मंडी शुल्क समाप्त करने पर नहीं हुआ है। प्रदेश का व्यापार अन्य प्रदेश को स्थानान्तरित न हो इसलिये देशी घी पर मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए।

मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0 संख्या-95/06 में अवैध रूप से फर्जी मुकदमें में फंसाये गये लोगों को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु0अ0 सं0 95/06 में स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा श्री अखिलेश कुमार निवासी ग्राम सेतापुर के भाई, पिता एवं चाचा को श्रीमती उषा देवी से सांठगांट कर मुकदमें में फंसा दिया हैं जबकि श्रीमती उषा देवी द्वारा ही घटना अपने मित्रों से मिलकर की गयी है।

उपरोक्त मुकदमें में यादव बिरादरी के लोगों को परेशान करने की नियत से अवैध धन लेने के उपरान्त भी थाना आसपुर देवसरा के थानाध्यक्ष श्री राम नरेश एवं उप निरीक्षक श्री विक्रमा एवं आरक्षी रमेश चन्द्र, रामचन्द्र वर्मा, श्री अरविन्द ने और धन की मांग पूर्ण न होने पर उपरोक्त सभी को फंसा दिया और सबके घरों पर जाकर लूटपाट की। जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़, डी0आई0जी0, आई0जी0, इलाहाबाद, प्रमुख सचिव गृह, मा0 मुख्य मंत्री जी डी0जी0 पुलिस, महिला आयोग, भ्रष्टाचार निवारण संगठन को प्रार्थीगणों ने मिलकर एवं फैक्स द्वारा प्रेषित की गयी है। परन्तु अवैध रूप से फर्जी मुकदमें में फंसाये गये लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है जिससे जनमानस में रोष एवं भय व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब न्यायोचित कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ महानगर के क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों/भवनों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों, भवनों की अत्यन्त कमी है। कुल स्वीकृत 163 प्रा0वि0 में मात्र 147 चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक के 164 स्वीकृत पदों में 123 भरे हैं, सहायक अध्यापकों के 702 स्वीकृत पदों में 243 कार्यरत हैं, अर्थात 16 विद्यालय बन्द हैं, प्रधानाध्यापक के 41 पद तथा सहायक अध्यापकों के 459 पद रिक्त हैं। चल रहे 147 प्राथमिक विद्यालयों में 76 निजी भवनों में 52 किराये के भवनों में, 14 भवनहीन, 5 मांग के भवनों में चल रहे हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत 31 तथा 31 चल रहे हैं, प्रधानाध्यापक के स्वीकृत 31 पदो में 7 पद रिक्त, सहायक अध्यापक के स्वीकृत 136 में 65 पद रिक्त हैं कुल संचालित 31 विद्यालय में 27 निजी भवनों में, 2 किराये के भवनों, 1 भवनहीन, 1 मांग कर चल रहा है उल्लेखनीय यह है कि किराये के भवन जर्जर है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

मानक के अनुरूप आवश्यक विद्यालयों हेतु आवास विकास परिषद् से 13 विद्यालयों हेतु नगर निगम से 64 विद्यालयों हेतु तथा मेरठ विकास प्राधिकरण से 17 विद्यालयों हेतु कुल 94 विद्यालयों हेतु भूमि की आवश्यकता है कुल 70 विद्यालय खुलने हैं। (पूर्ण विवरण संलग्न है)

मेरठ महानगर क्षेत्र के लिये बन्द 16 विद्यालयों को खोलना, 70 विद्यालयों हेतु भूमि की व्यवस्था कर उनको चालू करना तथा 48 प्रधानाध्यापक तथा 524 सहायक अध्यापकों के पदों को भरना, 15 भवनहीन विद्यालयों हेतु भवन की व्यवस्था, 52 किराये के भवनों के स्थान पर अपने भवन की व्यवस्था के बगैर सर्व शिक्षा अभियान मात्र नारा है, धरती का यथार्थ नहीं।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बलिया के नगर पंचायत सिकन्दरपुर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त डाक्टरों एवं अधीक्षक पद पर तैनाती करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[बलिया जनपद के तहसील सिकन्दरपुर एवं नगर पंचायत सिकन्दरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है इस स्वास्थ्य केन्द्र पर 20-25 किमी0 से जनता चलकर उपचार कराने आते हैं इस समय इस स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक एवं डाक्टरों का स्थानान्तरण हो जाने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरपुर में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है केवल एक डाक्टर है वह भी हफ्ते में 3 दिन बाहर ही रहते हैं एक डाक्टर कनौजिया थे उनको भी मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया ने बधुडी पर भेज दिया है कहकर मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया से मौखिक एवं लिखित सूचना देने के बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरपुर पर डाक्टर नहीं भेजा गया जनता में बहुत आक्रोश है क्योंकि इस के नजदीक कोई चिकित्सालय नहीं है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं एवं तत्काल 3 डाक्टर एवं खाली पड़े अधीक्षक पद पर तैनाती की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई लक्ष्मीगंज, जनपद कुशीनगर के विस्तारीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी देहाती-

[अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 इकाई, लक्ष्मीगंज, जनपद कुशीनगर राज्य सरकार की चीनी मिल है जिसके विस्तारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में 1990 में कार्यवाही शुरू की गयी थी, उसके तहत जमीन भी एक्वायर की गयी और किसानों को मुआवजा भी दिया गया यहां तक कि कलकत्ता के एक फर्म को उपकरणों के खरीद के लिये लगभग करोड़ों रुपये का आर्डर भी दिया गया था, बीच में विस्तारीकरण की कार्यवाही रोक दी गयी जिसको लेकर आज किसान और मजदूर आन्दोलित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार से यह मांग करता हूं कि उपरोक्त विस्तारीकरण की कार्यवाही जनहित में कराये जाने के निर्देश देने की कृपा करें।]

हरदोई के बिलग्राम क्षेत्रान्तर्गत चयनित कतिपय समग्र गांवों की पक्की डामर सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्राम सिंह यादव-

[मान्यवर, हरदोई जनपद की 74-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में ग्राम मदहाइन, चटकापुर, भटोली, धारम, मदारपुर, बचनकापुर, समग्र गांव चयनित किये गये थे तथा वर्ष 2005-06 में नदुआपुर, नरौथा, मानीमऊ, बेहटाहरी तथा तेरिया समग्र गांव चयनित किये गये थे इसी प्रकार वर्ष 2006-07 में औल्दपुर, ज्यूरी, चन्द्रमपुर, बांसी, दस्यौली, टेभनापुर समग्र गांव चयनित किये गये थे। परन्तु यह सभी गांव पक्की डामर सड़कों से नहीं जोड़े जा सके हैं। इसलिये इन गांवों तथा आसपास की जनता को आवागमन में विशेष कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं जिससे जनता में घोर असंतोष तथा आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त समग्र गांवों को पक्की डामर सड़कों से जोड़ने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा अन्तर्गत ग्राम हतौड़िया में स्थापित हड्डी कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 50-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम हतौड़िया में एक हड्डी का कारखाना चल रहा है। हतौड़िया ग्राम के आस-पास ग्राम बसुलिया, त्युलक, कुरसण्डा,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खनवापुर, महोलियामुण्डी, बिलरिया तथा ददिपूरा ग्राम स्थित हैं। इन सभी ग्रामों को जाने के लिये एक मात्र मार्ग हतौड़िया ग्राम के हड्डी के कारखाने के सामने से गुजरना पड़ता है। लगभग 50 हजार की आबादी वाले इन ग्रामों में लोगों का निरन्तर आना-जाना रहता है। हतौड़िया ग्राम के चारों ओर आबादी के बीच इस हड्डी कारखाने के कारण बहुत अधिक बदबू रहती है। कभी-कभी तेज हवायें चलने पर इस रास्ते से निकलने वाले लोग मौके पर ही उल्टी कर देते हैं। इस हड्डी के कारखाने से भयंकर प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार के रोग फैलने की आशंका है। कारखाने को अन्यत्र स्थापित करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन कर चुकी है। नवम्बर-06 के प्रथम सप्ताह में उपरोक्त ग्राम के निवासियों ने बहुत बड़ा धरना कारखाने को बन्द करने या शिफ्ट करने की मांग को लेकर किया था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सार्थक पहल प्रशासन अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नहीं की गयी है। जनहित में कारखाने की शिफ्टिंग अत्यन्त आवश्यक है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त हड्डी कारखाना हथौड़िया ग्राम से अन्यत्र हटाया जाये।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत अमिलिहा का पुरवा व रायपुर गौरी के मध्य नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र-96 डलमऊ जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ग्राम अमिलिहा का पुरवा व रायपुर गौरी के बीच में गन्दा नाला पड़ता है जिस पर पुल न होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीणों को कमर तक पानी से होकर आना जाना पड़ता है जिससे ग्राम कलवारन का पुरवा केसरी का पुरवा, खबरगढ़हा, अमिलिहा, झड़िया पुरवा, देवगना तथा नेवलगंज के निवासियों के आवागमन का मुख्य मार्ग है पुल न होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीणों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिससे ग्रामीणों में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अमिलिहन का पुरवा व रायपुर गौरी के मध्य नाले पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

लखीमपुर के निघासन क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त बेलरांवा से तिकुनिया मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0एस0 कुशवाहा-

[जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में ग्राम बेलरांवा से तिकुनिया मार्ग लगभग ढाई कि0मी0 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस पर वाहन और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों में बहुत रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोकहित महत्व के विषय पर शासन से उक्त मार्ग को तत्काल ठीक कराये जाने की मांग करता हूं।]

मिर्जापुर के मंझवा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में अवशेष 20 प्रतिशत हैण्डपम्पों को स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मंझवा जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में शासन द्वारा 200 हैण्डपम्पों की सूची मांगी गयी थी। जिसके सापेक्ष मैंने 200 हैण्डपम्पों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दिया था। परन्तु कार्यदायी संस्था जल निगम मिर्जापुर द्वारा अभी तक 20 प्रतिशत हैण्डपम्प स्थापित नहीं कराया गया है। हैण्डपम्प स्थापित न किये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शेष हैण्डपम्पों को स्थापित किये जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत मैन्डदृदीनपुर एवं ग्राम मौलानीपुर में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जेदारों का कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखदेव राजभर-

[जनपद आजमगढ़ तहसील फूलपुर में ग्राम सभा मैन्डदृदीनपुर में भूमि नम्बर 138 रकबा 109 एयर, 363 रकबा 1 हे0 770 एयर, 375 रकबा 40 एयर जो जंगल भूमि के नाम सुरक्षित है। तथा ग्राम मौलानीपुर में भूमि नम्बर 215 रकबा 42 एयर, तथा भूमि नम्बर 39 रकबा 16 एयर खलिहान दर्ज है। इस प्रकार से सभी भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस भूमि को गांव के प्रभावशाली एवं दबंग लोग अवैध कब्जा करके सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग कर रहे है। भूमाफिया जनता जनहित में सक्षम अधिकारियों के यहां शिकायत करती रही मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकरण को लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया हैं। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल अवैध कब्जेदारों का कब्जा हटवाने की मांग करता हूं।]

फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत दपसौरा पम्प कैनाल के क्षतिग्रस्त पाइप बदलवाने एवं बहादुर पम्प कैनाल को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन गोपाल वर्मा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र का लोक महत्व की सूचना देते हुए शासन का दृष्ट आकृष्ट करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत निम्नलिखित दो पम्प कैनाल लगे हैं, जिनकी हालत बहुत ही दुर्दशाग्रस्त हैं :--

1-दपसौरा पम्प कैनाल जो यमुना नदी से संचालित है, उसके पाइप जो नहर में पानी गिराते है वह पाइप बुरी तरीके से झर गये हैं। और लीकेज हो गया है जिससे सारा पानी गिर जाता है, नहर में मात्र तिहाई पानी पहुंचता है, नहर में पानी 500 मीटर आगे नहीं जा पा रहा है।

2-बहादुर पम्प कैनाल की मोटरें खराब हैं आये दिन खराब रहती हैं जिससे सिंचाई के लिये किसानों तक पानी नहीं मिल पा रहा है।

अतः उक्त पम्प कैनाल के पाइप बदल कर/सुचारु रुप से चलाया जाय।]

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयी उनके नाम निम्न है :-

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की सूचना टेक्निकल ग्राउण्ड पर और श्रीमती विद्या चौधरी की सूचना, चूंकि अभी कल हुआ था इसलिए एक सप्ताह के नाते, अस्वीकृत हुयी, श्री दद्दू प्रसाद जी, श्री मुंशीलाल गौतम जी, श्री दीनानाथ कुशवाहा जी, श्री बीजू पटनायक जी और श्री राजेश कुमार जी।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, अनुपस्थित माननीय सदस्य की जगह मेरी सूचना को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

हां एक माननीय सदस्य श्री भगेलू राम जी अनुपस्थित है इसलिए उनके स्थान पर एक सूचना अस्वीकृत सूचनाओं में से लेनी है तो श्री भगेलू राम जी की सूचना की जगह पर श्री मुंशीलाल गौतम जी की सूचना ली जाती है।

(माननीय सदस्य श्री मुंशीलाल गौतम की स्वीकृत सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी।)

बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत शिकारपुर-पहासू मार्ग, शिकारपुर-अनूपशहर मार्ग व शिकारपुर-शिवाजी मार्ग पर रोडवेज/प्राइवेट बस चलवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुंशी लाल गौतम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में तहसील मुख्यालय शिकारपुर को आने वाली रोडवेज तथा प्राइवेट बसों की असुविधा रहती है। जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकारपुर से पहासू मार्ग, सरवा से शिकारपुर मार्ग पर कोई भी बस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं चलाई जा रही है। प्राइवेट बस पहले चलती थी लेकिन दो वर्षों से उनको भी बन्द कर दिया गया है। डग्गामार वाहनों की चांदी हो रही है, वाहन की व्यवस्था न होने के कारण आये दिन लूट-पाट सवारियों से होती रहती हैं अलीगढ़ से पहासू रोडवेज की मिनी बस चल रही है, अधिकांश क्षेत्र के प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य तथा आम जनता ने उन्हें शिकारपुर तक चलवाये जाने की मांग जिले के अधिकारियों से की थी लेकिन आज तक कोई भी वाहन शिकारपुर पहासू मार्ग व शिकारपुर अनूपशहर मार्ग, शिकारपुर शिवाली मार्ग पर चालू नहीं कराया गया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गो पर रोडवेज अथवा प्राइवेट बसों के संचालन की मांग करता हूं।।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 को नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई।

इसमें एक सूचना जो डा0 सुशील चौधरी की जो जनपद सीतापुर में थानगांव थाना क्षेत्र शंकरपुर झिसनी गांव में दिनांक 16 नवम्बर, 2006 को हुए नरसंहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है।

इसी तरह से श्री प्रमोद तिवारी की सूचना जो प्रदेश के किसानों का रबी फसल की बुआई हेतु डी0ए0पी0 खाद उपलब्ध न हो पाने के सम्बन्ध में है इस पर भी सदन में चर्चा हो चुकी है।

हाजी याकूब कुरैशी के कार्टूनिस्ट प्रकरण में अध्यक्ष पीठ से सुरक्षित किये गये निर्णय के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की सूचना जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 28 फरवरी, 2006 के उपवेशन में राज्य मंत्री श्री हाजी याकूब कुरैशी के कार्टूनिस्ट प्रकरण में अध्यक्ष पीठ से सुरक्षित किये गये निर्णय के सम्बन्ध में है, पर मुझे यह कहना है कि इसमें मैंने निर्णय कर लिया है। आज सदन के उठते समय मैं उसे सुना दूंगा या फिर 15 तारीख को सूना दूंगा। यह सही है कि उसमें कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि उसमें संवैधानिक प्रश्न भी जुड़े हुए थे और जटिल था।

मिड डे मील योजना के कारण बीमार बच्चों के प्रकरण में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा तीन दिन में जांच पूरी कर दोषी को दण्डित न करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना जो डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी की दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को मिड डे मील के कारण बीमार बच्चों के मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा तीन दिन में जांच पूरी कर दोषी को दण्डित न करने की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी बता चुके हैं कि मुकदमा लिखा दिया गया है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसमें तीन दिन में जांच करके दण्डित करेंगे यह आश्वासन दिया गया था।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा था कि तीन दिन में जांच करा लेंगे। यह भी बताया था कि एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी है इसलिए यह खत्म हो गया।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

उसमें मान्यवर कौन-कौन दोषी पाये गये यह पता चल जाता।

श्री अध्यक्ष-

आज आप मेरी बात मान जायें कृपया बैठ जायें।

जनपद वाराणसी में कपिलदेव मौर्या की पुलिस द्वारा की गई हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 11 एवं 22 नवम्बर, 2006 को मा0 अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र जी की है जो वाराणसी में कपिल देव मौर्य की पुलिस द्वारा की गयी हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 एवं 22 नवम्बर, 2006 को सदन में मेरे द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न होने के सम्बन्ध में है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह दो बार मामला आ चुका है यहां। यह कहा गया था कि इसकी जांच कराके एक सप्ताह में आख्या उपलब्ध करा दी जायेगी। आश्चर्य यह है कि यह 11 अक्टूबर को कहा गया था उसके बाद 22 नवम्बर को कहा गया और मेरे द्वारा निर्देश भी दिये गये थे लेकिन आज तक यह आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, जो आपकी पीठ से सरकार को निर्देश होते हैं उनका स्वतः पालन होना चाहिए। इसमें यह जरुरी नहीं है कि विभाग से मैं कहूं। इसमें मुझे खेद है कि इसका स्वतः पालन नहीं हुआ है। मैं स्वयं इसे देखूंगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इसकी सी0आई0डी0 जांच की मांग मैं करता हूं। आपने उच्चस्तरीय जांच की बात कही है उसमें कुछ होगा नहीं। क्योंकि पुलिस स्वयं इन्वाल्व है। पुलिस ने मर्डर किया है। संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया खड़े होकर कह दें कि इसमें सी0आई0डी0 जांच करा देंगे। एक गरीब आदमी को इसमें न्याय मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। संसदीय कार्य मंत्री जी ने खेद प्रकट कर दिया है विलम्ब के नाते।

आप बैठिये। मैंने इसे गंभीरता से लिया है।

उत्तर प्रदेश ब्वायलर आप्रेशन इंजीनियर्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2006 †

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ब्वायलर आप्रेशन इंजीनियर्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2006 को भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923 की धारा 29 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ब्वायलर अटेन्डेन्ट (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2006

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश ब्वायलर अटेन्डेन्ट (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2006 को भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923 की धारा 29 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सड़सठवां संशोधन) नियमावली, 2006 †

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सड़सठवां संशोधन) नियमावली, 2006 को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 115 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (अड़सठवां संशोधन) नियमावली, 2006 †

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (अड़सठवां संशोधन) नियमावली, 2006 को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 115 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कारखाना (उन्हतरवां संशोधन) नियमावली, 2006 †

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कारखाना (उन्हतरवां संशोधन) नियमावली, 2006 को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 115 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2006 †

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (सत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2006 को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 115 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (इकहत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2006 †

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (इकहत्तरवां संशोधन) नियमावली, 2006 को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 115 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री संजीव दरियाबादी, सदस्य, विधान सभा की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना है।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-86, दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :--

अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर ने अपने टेलेक्स दिनांक 01 दिसम्बर, 2006, जो इस सचिवालय में दिनाक 04 दिसम्बर, 2006 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि श्री संजीव दरियाबाद, सदस्य, विधान सभा को विशेष सी0जे0एम0, न्यायालय कानपुर के आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2006 के द्वारा रिहा किया गया है।

उक्त माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना इससे पूर्व इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-85, दिनांक 24 नवम्बर, 2006 एवं बुलेटिन संख्या-86, दिनांक 28 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच बसों के संचालन हेतु समिति के गठन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

एक और सूचना है--

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच बसों का संचालन बन्द होने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में माननीय परिवहन मंत्री के सुझाव पर मैंने विधान सभा के सभी प्रमुख दलों के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित कर दी है, जो इस प्रकार है :--

1-माननीय श्री नरेश अग्रवाल, परिवहन मंत्री	सभापति
2-माननीय श्री राजेन्द्र सिंह राणा, राज्य मंत्री, महिला कल्याण, संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार)	सदस्य
3-माननीय श्री वंशीधर राज, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
4-माननीय श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
5-माननीय श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
6-माननीय श्री विवेक बंसल, सदस्य, विधान सभा	सदस्य
7-माननीय श्री तेजपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा	सदस्य

† छापी नहीं गयी।

यह 7 माननीय सदस्यों की समिति गठित की गयी है जो इस संदर्भ में वार्ता करके इस समस्या का निवारण करायेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ये अपनी रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत करें, इसमें यह और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने कह दिया। वार्ता करेंगे निस्तारण करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, समाधान की जानकारी देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 से दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 06 दिसम्बर, 2006 से 14 दिसम्बर, 2006 तक सदन के उपवेशन न हों।

2-दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को सदन का उपवेशन हो।

3-दिनांक 5 दिसम्बर, 2006 को नियम 56 के अन्तर्गत दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 को ग्राह्य की गई एवं अवशेष सूचनाएं ही ली जायेंगी।

4-दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 से 15 दिसम्बर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>दिसम्बर, 2006</u>

05 मंगलवार 1-प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा और मतदान :-

"उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए जिसके कारण देश के इसाइयों और मुसलमानों के दलित तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है हमारी सरकार मांग करती है कि जिन वर्गों को भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित

जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है वह चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों उन्हें समान रूप से आरक्षण की सुविधायें मिलनी चाहिए। अर्थात् जिन तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों उन्हीं के हमपेशा वर्गों को चाहे वह मुसलमान हों या इसाई हों, उन्हें भी अन्य अनुसूचित जातियों के समान सुविधायें दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर इसाई और मुसलमान दलितों को अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत अनुमन्य कराये गये आरक्षण की सुविधाओं से अलग रखना न सिर्फ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 आदि के विपरीत है, बल्कि इंसाफ पर भी आधारित नहीं है। हमारा यह मानना है कि जिस प्रकार केवल धर्म के आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण की सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं उसी प्रकार केवल धर्म के आधार पर इसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण की सुविधा से महरूम करना संविधान का उल्लंघन है।"

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(1) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)।

(2) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 (आधा घण्टा)।

3-प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा-जारी।

4-प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, आधे घण्टे की चर्चा-जारी।

5-प्रदेश में अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की चर्चा-जारी।

6-उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर विचार।

7-उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की 'स्टिंग आपरेशन' सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर विचार।

दिसम्बर, 2006

06 बुधवार	बैठक नहीं होगी।
07 गुरुवार	
08 शुक्रवार	
09 शनिवार	
10 रविवार	
11 सोमवार	
12 मंगलवार	
13 बुधवार	
14 गुरुवार	
15 शुक्रवार	बैठक होगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 को घटित घटनाओं को लिये जाने की मांग

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही गम्भीर घटना पर नियम-56 के तहत मैंने कल नोटिस दिया था, दिन-दहाड़े हत्या हुई है और लोग वहां पलायन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह हो जाने दीजिए। जो कल का विषय है, उसमें तीन महत्वपूर्ण विषय हैं, पहले उनको ले लेने दीजिये। आप बैठिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज भी दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं लिया जायेगा कार्य-मंत्रणा समिति में था। लेकिन कल का अगर है तो हम देखते हैं कि क्या हुआ।

माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय टण्डन जी ने कहा था, आज प्रस्ताव पर बल देने के लिये और बोलने के लिये, लेकिन आज वह है नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कार्य-स्थगन पर, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी हैं, वह बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी, जब तक आप बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने कल की मेरी ...

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, कल की जो घटनायें घटित हुयी हैं उसकी आज सूचना दी गयी है, कृपापूर्वक आज उनको ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने कल निर्णय ले लिया था कि उनको आज नहीं लिया जायेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

महत्वपूर्ण हो चाहे जो हो, अब जब कल निर्णय हो गया था तो हम क्या करें। अब आप बैठिये, आज कोई नहीं लिया जायेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आप जानबूझकर क्यों व्यवधान करते हैं, जब कार्य-मंत्रणा समिति ने प्रस्ताव कर दिया, सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया, अब हम नहीं सुनेंगे और न आपका लिखा जायेगा। पंडित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

(रंगनाथ मिश्र द्वारा पुनः खड़े होने पर)

जब आप लोग नहीं चलाना चाहते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। जब तय हो गया कि आज नहीं लिया जायेगा तो मेरा क्या दोष है। केवल कल की सूचनाओं पर चर्चा होगी। प्रमोद जी आप बोलें।

नियम 311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 की ग्राह्य एवं अवशेष कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था और मैंने आपसे आग्रह किया था कि 27 नवम्बर, 2006 को, जैसा हर राजनैतिक दल अपना कार्यक्रम करते हैं हमने, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सत्तारूढ़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाजवादी पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 27 तारीख को जेल भरो कार्यक्रम रखा था मान्यवर, इस प्रदर्शन में प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता आये इसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सलमान खुर्शीद कर रहे थे, मैं स्वयं इस प्रदर्शन में शामिल था, जेल भरो कार्यक्रम में शामिल था।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जो इस सदन का सदस्य न हो, उसका नाम न लीजिये और आ गया हो तो उसे कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं सही बता दूं संसदीय कार्य मंत्री जी को कि अगर किसी घटना के संदर्भ में किसी का नाम है तो वह घटना बतायी जाती है घटना में नाम लिये जाते हैं कि इसने इसको मारा, इसके बिना पूर्ण कैसे होगा, संसदीय ज्ञान का मतलब यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहते रहें।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं फिर दोहरा देता हूं कि सलमान खुर्शीद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह हुआ था कि माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी लोग अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधान भवन के सामने पहुंचे। विधान भवन के सामने एक मंच लगा हुआ था, एक मोबाइल वेन थी और उस पर चढ़कर हम लोगों को अपनी बातें कहनी थीं। वहां पर कुछ और नेता भी आये हुए थे, उन्हें बोलना था, परन्तु मेरे बार-बार आग्रह के बावजूद भी विधान भवन के सामने सड़क पर कुछ लोग धरने पर निरन्तर बैठे रहते हैं, विशेष रूप से जब सदन चल रहा हो, कई संगठन बैठे रहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि उनको रोक दिया जाए अन्यथा यह लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मान्यवर, अभी मैंने अपना भाषण प्रारम्भ ही किया था कि पुलिस ने लाठी-चार्ज कर दी और पुलिस ने किस बर्बरता से लाठी चार्ज की इसका मैं गवाह हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। श्री सलमान खुर्शीद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंच से उतरे, हम भी उतरे हम लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया लेकिन यह कहने में मुझे दुःख तो जरूर है लेकिन कोई हिचक नहीं कि वह लाठियां सलमान खुर्शीद पर भी पड़ीं और मुझ पर भी पड़ीं। हम आये थे जेल भरो आन्दोलन में लाठियां पड़ीं तो हमें इसका रंजोगम नहीं है हम इसकी कठोर शब्दों में निन्दा करते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विधायक श्री सुशील चौधरी, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री अजय कपूर, श्री संजीव दरियाबादी बहुत से विधायक थे जिन्हें इस हादसे में चोटें आयी। मान्यवर, सौ से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए करीब 22 कार्यकर्ता ऐसे थे, जिन्हें सिविल हास्पिटल में भर्ती कराया गया कुछ लोगों को उसी दिन छुट्टी दे दी गयी प्राथमिक उपचार के बाद, कुछ लोगों को दूसरे दिन दे दी गयी, इसमें एक लड़की भी थी वह एक सप्ताह तक चिकित्सालय में भर्ती रही। मान्यवर, यह एक राजनैतिक आन्दोलन था कांग्रेस पार्टी का कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि वह तोड़फोड़ करे कांग्रेस पार्टी का कभी कोई विध्वंस का इतिहास

नहीं रहा है। क्या एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर एक जेल भरो कार्यक्रम के तहत जिसकी घोषणा हमने पहले ही कर दी थी, जिसके लिये अवगत करा दिया गया था, जिसमें हमारी पूर्व सूचना थी, उस पर यह बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करना क्या एक निरंकुश तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक नहीं है ? क्या हम विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहते, क्या दूसरे कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम करने की हम इजाजत नहीं देंगे ? अगर उनकी जायज मांगों को सुनने के लिये हम लाठियां बरसायेंगे तो कोई भी सरकार लाठी गोली के बल पर नहीं चल सकती। अगर इस सरकार ने ऐसा किया है तो इसे भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोई जन विरोधी आन्दोलन अगर है, कोई राजनैतिक आन्दोलन चल रहा है तो उसमें हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे दुःख है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है अभी सरकार की ओर से कहा जायगा कि लाठियां नहीं चलायी गयीं, इसके लिये मैं रिफरेंस के रूप में वह चित्र आपको दिखाना चाहता हूं कार्यकर्ता घिरे हैं और लाठियां चलायी जा रही हैं, महिलाएं घिरी हैं और लाठियां चलायी जा रही हैं। मैं इसे भेज रहा हूं, आप कृपया इसका अवलोकन कर लें लेकिन जब इसका अवलोकन करें तो कानपुर की तरफ भी ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष-

कानपुर का दिया है आपने ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, उसी में है, आप नीचे देख लें। कानपुर में भी जेल भरो आन्दोलन चल रहा था तो अजय कपूर और संजीव दरियाबादी दो विधान सभा के सदस्य उसमें शामिल थे। मान्यवर, उस समय समाजवादी पार्टी का भी अपना कार्यक्रम चल रहा था, समाजवादी पार्टी को भी पूरा अधिकार है अपने कार्यक्रम को करने का और हमें भी अधिकार है कार्यक्रम करने का। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हम पर लाठी चार्ज किया, वह अपनी जगह है। मान्यवर, यह चित्र मैं दे रहा हूं, आपको यह अखबार भेज रहा हूं, यह सिर्फ रिफरेन्स के लिये दे रहा हूं। पुलिस की लाठियां चले शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये तो यह समझ में आता है लेकिन मान्यवर बन्दूक और रायफल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चलायें, यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह कहां की घटना का उल्लेख कर रहे हैं ? नोटिस आपने लखनऊ की दी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नोटिस में नीचे देखें कानपुर की घटना का भी जिक्र है। चित्र में देखेंगे एक कार्यकर्ता है जो राइफल से गोलियां चला रहा है और उसने समाजवादी पार्टी का अपना प्रतीक चिन्ह पहन रखा है, दूसरा शख्स रिवाल्वर से गोलियां चला रहा है, तीसरा शख्स भी गोली चला रहा है। तीन-तीन बन्दूकें एक साथ चल रही हैं। कहीं अशान्ति उत्पन्न हो जाये तो पुलिस लाठीचार्ज करे लेकिन सत्तारूढ़ दल का कार्यकर्ता गोलियां चलाये, कहां से शोभनीय है, उचित है। इसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और इसकी निन्दा करता हूं। वहीं पर एक चीज और कहना चाहता हूं कि उसका परिणाम क्या हुआ ? गोलियां इधर से चली, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की तरफ से गोलियां चलाते देखी जाए,

लाठियां चलाते देखी जाए तो वह भी आपके संज्ञान में ला दिया जाय, इसको आप देखें। हमारी विधान सभा के सदस्य श्री संजीव दरियाबादी और अजय कपूर पर एक मुकदमा कायम होता है।

(सत्ता पक्ष द्वारा टोका-टाकी करने पर)

इतने संवेदनशील मुद्दे पर अगर हम लोग सहानुभूति नहीं रख सकते तो यह टोका-टाकी कहीं से भी उचित नहीं है। अगर आप यही करें तो हम बहिष्कार करके चले जाएं, आप सदन चलाइये चाहे गोली चलाइये, लाठी चलाइये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपा शांत रहिये। तिवारी जी आप अपनी बात कहिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी चली, गोलियां भी चली समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा। मैं यह चित्र भेज रहा हूं, सचिव महोदय, आप मंगा लें और अध्यक्ष महोदय को दे दें। उसके बाद क्राइम नम्बर 298 ए पर श्री संजीव दरियाबादी, श्री महेश दीक्षित, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और अजय कपूर पर मुकदमा कायम होता है। दफायें लगायी जाती हैं धारा-147 समझ में आया, धारा 395 डकैती की धारा है और आरोप क्या है कि उसके बाद श्री अजय कपूर, विधायक एक दुकान में घुस गये और 1000 या 1100 रुपये लूट लिया फिर 323 की धारा लगायी जाती है। मान्यवर, आपने तो बहुत राजनीतिक आन्दोलन किये होंगे। फिर 506, 307, 427 आई0पी0सी0 लगायी गयी। इसमें जमानत हो गयी। क्योंकि सामने देख रहे थे कि आरोप झूठे हैं, इसलिये जमानत हो गयी। मैं तो यह कहता हूं कि उत्पीड़न की इन्तिहां हुई। अब यह मुकदमा तरमीम नहीं हो सकता था। जिन पर आपने आरोप लगाया था वह जेल के अन्दर थे, वह नया कृत्य कर नहीं सकते थे। अब उसी 298 क्राइम नम्बर पर 298 बी का दूसरा मुकदमा कायम होता है जब हमारे विधायकगण जेल से निकलकर बाहर आते हैं उसमें 147, 323, 427, 336, 327, 435 और 511 की दफायें लगायी जाती हैं। मान्यवर, अगर ये धारायें लगानी थी तो क्यों नहीं पहले से लगायी। जब जमानत हो जाए और जेल से बाहर आने लगे उस समय वारण्ट सर्व किया जाए। फिर उसी क्राइम नम्बर पर मुकदमा कायम होता है 298 सी फिर एक दफा और जोड़ दी जाती है, 425 सी0आर0पी0सी0 का। मेरा सिर्फ यह कहना है कि राजनीतिक आन्दोलन को शांति के साथ समाप्त हो जाना चाहिए था और जेल ले जाना था तो ले जाते, हम तो जेल भरो आन्दोलन कर ही रहे थे और अगर मुकदमा कायम करना था तो दूसरी तरफ से क्यों नहीं हुआ ? सिर्फ उन पर ही क्यों जिन्होंने लाठियां और गोलियां चलाई उन पर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया है। मेरे पास जो अखबार हैं उनमें गोलियां और लाठियां चलाने वालों के चित्र हैं। उन पर उत्पीड़न का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया इतना ही नहीं जुल्म की इन्तहां यह हुई कि जिनके ऊपर मुकदमा कायम करके जेल भेजा गया उनके खिलाफ उसी क्राइम पर दूसरा व तीसरा मुकदमा कायम किया जाता है। मेरे पास सी0डी0 है। मैं आपको प्रस्तुत किये देता हूं और सम्पूर्ण सदन को आहूत करता हूं कि वह सी0डी0 देख ले। इस सी0डी0 में आप देखेंगे कि हमलावर कौन है ? किसने लाठियां और गोलियां चलाईं ? एक मुकदमें के बाद फिर दूसरा मुकदमा फिर तीसरा

मुकदमा कायम किया गया ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं समझता। इतना ही नहीं हमारे जिले प्रतापगढ़ में युवक कांग्रेस की अध्यक्ष के घर में रात दो बजे पुलिस वाले बिना महिला पुलिस के आये और उन्होंने ऐसी-ऐसी गालियां दी जिनको मैं यहां पर नहीं कह सकता हूं। यह लोकतांत्रिक सरकार चल रही है या पुलिस की सरकार चल रही है। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जब राजनैतिक आन्दोलन चले तो राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ उसका सामना करना चाहिए। पुलिस का प्रयोग करके अपराधियों का प्रयोग करके इनसे नहीं निपटा जाना चाहिए। मेरे पास चित्र है कहें तो मैं इनके नाम भी बता सकता हूं जहां पर धारा 144 लागू हो वहां पर कोई अपने असलहों का प्रयोग करें, लाठियां चलाये, फायरिंग कर रहा हो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो खाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही होगी तो यह जुल्म की इन्तहा है, ज्यादती की इन्तहा है साथ ही निरंकुशता की पराकाष्टा है। इसकी मैं कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं, निन्दा करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यह सिर्फ साधारण लोगों की बात नहीं है विधान सभा के दो सदस्यों का उत्पीड़न हुआ है। इसका क्या जवाब है आप अधिवक्ता हैं आपको पता है। जब एक मुकदमें में किसी को जेल भेज दिया जाय उसकी जमानत हो तो उस पर उसी क्राइम में दुबारा मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेज दिया जाय फिर उसी क्राइम पर तीसरी बार मुकदमा दर्ज कर दिया जाय यह कहां तक उचित है। क्या इसके लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी। मैं बहुत ही दुख के साथ, कष्ट के साथ विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने तीन-तीन बार मुकदमें चलाये हैं यह सारी बातें अमर उजाला, दैनिक जागरण और अन्य अखबारों में हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और यह जो मुकदमें कायम किये गये हैं यह मुकदमें तत्काल वापस किये जायं। इसी तरह से लखनऊ में जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है जिसमें हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुझ पर लाठियां चलाई गई उसकी भी मैं तीव्र स्वरों में निन्दा करता हूं। अराजकता की इन्तहा होती है, जुल्म की इन्तहा होती है, ज्यादती की इन्तहा होती है। इन शब्दों के साथ मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी के साथ एक अनुरोध है कि इस सदन की परम्परा रही है कि जिनके साथ घटना होती है उनको सुना जाता है इसलिये कृपया हमारे सदस्यों को भी सुन लें।

*श्री राम नरेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, सम्मानित तिवारी जी ने बहुत विस्तार से पूरी घटना पर प्रकाश डाला है और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं रह गई है जिसकी मुझे दोहराने की आवश्यकता हो। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह यह है कि संसदीय लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन का अधिकार छिन जायेगा, बर्बरतापूर्वक उसको दबाने का प्रयास किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को कलंकित और बदनाम करने की साजिश और कोशिश हो रही है। जिस तरह से राजनैतिक पार्टी होने के नाते, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय पार्टी ने फैसला लिया कि 27 तारीख को जेल भरो आन्दोलन चलाया जायेगा। एक निर्धारित समय पर और निर्धारित तारीख को जिस तरह से शान्तिपूर्ण ढंग से सारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। मान्यवर, उनके हाथ में लाठी थी न पत्थर और न ईंट के टुकड़े थे। जिस शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसक तरीके से वे अपना कार्यक्रम कर रहे थे उनके ऊपर जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और हमारे माननीय तिवारी जी भी मौजूद थे। हमारे बहुत से नेतागण और विधायकगण वहां पर मौजूद थे उन पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, रबर की गोलिया चलाई गई, वाटर कैनन चलाया जाय मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच में यह लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबाने की जो कोशिश हुई है वह बहुत ही निन्दनीय और धृणित कार्य है। यद्यपि हम स्वीकार करते हैं कि आज सरकार को हमारा समर्थन है लेकिन लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। कहीं पर यदि ज्यादती हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है तो इन सारी चीजों के चलते हमने उसके विरोध में अपना कार्यक्रम रखा था जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। इस तरह के हमारे कार्यक्रम पर जो पुलिस ने लाठी चलाई है इस घटना की जितनी निन्दा की जाय कम है। इसके साथ ही साथ कानपुर में जिस तरह से हुआ हमारे दो-दो विधायकों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया हमारी समझ में नहीं आता कि यह सरकार के लोग, यह पुलिस के लोग इस तरह से क्या करना चाहते हैं अभी आपने देखा कि जिस तरह से समाचार-पत्र में चित्र प्रकाशित हुआ है, जो सी0डी0 है उसको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह बहुत ही घृणित और निन्दनीय कार्य हुआ है। विधायक जमानत पर छूटता है उसके बाद भी उसको गिरफ्तारी के लिये पकड़ लिया जाता है और 8-8 दिन जेल में बन्द रखा जाता है। इसलिये ऐसे समय में सरकार से हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय चाहे वे इनकी पार्टी के ही लोग क्यों न हो। इनकी ही पार्टी के लोग थे, कानपुर में जिस तरीके से हुआ था उसमें दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और इसकी निन्दा भी इनको करनी चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह का स्थान नहीं रहेगा तो फिर आपका और हमारा सड़क पर चलना मुश्किल हो जायेगा। जो हमारी संसदीय परम्पराएं हैं वह कलंकित होती रहेंगी। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, मैं इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। जो भी इसके लिये दोषी है, बिना भेदभाव के उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस ने जो इस तरह की हरकत की है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और इसी के साथ मैं इस पर बल देना चाहता हूं।

श्री संजीव दरियाबादी-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 20 से 27 नवम्बर तक जेल भरो आन्दोलन का आह्वान किया गया था। 23 नवम्बर को कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने अपने मुख्यालय जिला मेस्टन सेन रोड कानपुर से एक जेल भरो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच कर रहा था। एक सप्ताह पूर्व सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। इस जुलूस में हमारे साथ विधायक अजय कपूर, कांग्रेस कमेटी के पूर्व विधायक और तमाम पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यह जुलूस जैसे ही बड़ा चौराहा पर पहुंचा वहां पर हम सभी कांग्रेस जन गिरफ्तारी देने के लिये तैयार थे। हमने वहां पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से गिरफ्तार करने के लिये कहा तो

उन्होंने कहा कि यहां पर जाम लग रहा है आप लोग कचहरी के सामने जो वाहन खड़ा है वहां जाकर गिरफ्तारी दे दें। जैसे ही वह जुलूस के रूप में वाहन पर चढ़ने की कोशिश करने लगे उसी से 200 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी का एक मंच लगा हुआ था जो केन्द्र सरकार की जन नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन लोगों ने कांग्रेस के लोगों पर हमला बोल दिया। जब कांग्रेस के लोग पीछे भागने लगे तो उन पर पथराव किया गया और गोलियां चलाई गईं। कांग्रेस के लोग जब फिर वापस बड़ा चौराहा पर आकर धरना देने लगे तो वहां पर 134 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। उस गिरफ्तारी में अजय कपूर नहीं थे। जब हमको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया और धारा 151 लगाकर जेल भेजने का काम किया। जो पथराव हुआ था उसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए थे। उनको चिकित्सा के लिये जिला अस्पताल ले जाया गया और घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराने के लिये गये तो कांग्रेस जनों की प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई। वहां पर जिस तरह से कांग्रेस के लोगों पर पथराव हो रहा था उसका रूप बाद में यह हो गया कि वकीलों और समाजवादी पार्टी के बीच में टकराव होने लगा जिसका कि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। 134 लोगों को धारा 151 में निरुद्ध करके जेल भेजने का काम किया गया। जब रिहाई का परवाना जेल में जाता है तो 130 लोगों को रिहा कर दिया जाता है लेकिन मुझे और मेरे साथी दीक्षित जी को, और दोनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धारा 116, 17 (3) के तहत कार्यवाही करके 25-25 हजार की जमानत करवाने का काम होता है जब दूसरे दिन जिला कारागार से निकलने वाले होते हैं तो उसी समय तमाम धाराओं के मुकदमों का वारंट जिला कारागार को न्यायालय में तरमीम करके वारंट लागू करने का काम किया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमला कांग्रेस जनों पर हुआ लेकिन हमला करने वालों के खिलाफ कांग्रेस जनों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई और जहां समाजवादी पार्टी का धरना चल रहा था जिस स्थान को जिलाधिकारी, कानपुर ने प्रतिबन्धित एरिया घोषित कर रखा था। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि यहां पर जिलाधिकारी ने किसी तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति किसी राजनीतिक दल को देने से मना कर रखा था तो किसके आदेश से वहां पर इस तरह के धरना-प्रदर्शन का आयोजन हो रहा था। धारा 144 लागू होने के बाद भारी संख्या में वहां असलहाधारी किन परिस्थितियों में मौजूद थे। मैं यह भी कहना चाहता हूं उसी सभा स्थल पर.....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री संजीव दरियाबादी-

उसी सभा स्थल पर एक ट्राली ईंटा, पत्थर और सरिया से भरी वहां मौजूद थी जहां घटना के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उसे क्रेन से हटवाने का काम किया। जिस जुलूस में डिप्टी एस0पी0 मौजूद थे रेपिड ऐक्शन फोर्स मौजूद थी तमाम अपर नगर मजिस्ट्रेट मौजूद थे तमाम सिविल पुलिस के लोग मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में हम पर हत्या, डकैती, लूट आगजनी का मुकदमा कायम किया जाए। तो या तो वह प्रशासनिक अधिकारी अक्षम थे या वह मुकदमें फर्जी थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इसी मुकदमें के सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री संजीव दरियाबादी-

अधिवक्ता पारसनाथ शर्मा ने भी उन सपा कार्यकर्ता लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया अगर मुकदमा लिखाना ही गिरफ्तारी का पैमाना है तो उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखाकर उनके खिलाफ कार्यवाही हो। दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो। हम और हमारे सहयोगी विधायक अजय कपूर जी के व अन्य के खिलाफ जो मुकदमें कायम किये हैं उनको वापस लिया जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, लखनऊ कानपुर दोनों घटनाओं की मैं उससे ज्यादा निन्दा कर रहा हूं जितनी प्रमोद तिवारी जी ने कड़े शब्दों में की है उन्होंने सिर्फ एक बात की निन्दा की है मैं हर उस बात की निन्दा कर रहा हूं जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है और गुण्डागर्दी को प्रोत्साहन मिलता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि राजनीतिक माहौल बनाने के लिये कुछ ऐसे काम कर दिये जाते हैं जिससे अखबारों की अच्छी खबरें बनें और बात को बहुत बेहतर ढंग से कहा जा सके। यह सही है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का मजबूती से अधिकार है लेकिन यह अधिकार कहीं नहीं है कि हम अपनी बात कहें और दूसरे को उसकी बात कहने से रोक दें। अपनी बात कहें उसकी हदें क्या होंगी, कब लाठी-चार्ज हुआ कितने सब्रो-बर्दाश्त के बाद हुआ। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ नहीं कर दिया उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। जाहिर है उन कार्यकर्ताओं को जिनका बहाना तो झंडा था लेकिन उसमें मोटी लाठियां लगी थी जो आज भी मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम जो यहां लिये गये हैं अगर वह इस पर उतर आये हैं कि झंडे लाठियों में लगेंगे और लाठियों से मुकाबला होगा पुलिस से और सरकार से, तो मान्यवर, एक आस्था है इस झंडे के बारे में और लोकतांत्रिक विरोध के बारे में एक आस्था है लोकतंत्र की और लोगों की कि झंडा किस चीज में होगा। अगर झंडा लाठी में होगा.....

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

अब आप भी वही भाषा बोलेंगे जो कांग्रेस बोलेगी तभी तो हम कहते हैं कि आप दोनों एक हैं। झंडा लाठी में होगा वह लाठी जिससे लड़ाई की जाए, वह लाठी जिससे मुकाबला हो तो झंडे का अपमान होगा और झंडे का सम्मान घटेगा और लोकतंत्र की इस नई परम्परा को मेरे ख्याल से मान्यता हासिल नहीं हो सकेगी। बहुत निन्दा की है, बड़े कड़े शब्दों में निन्दा की है, प्रमोद तिवारी जी ने, हम उससे ज्यादा कड़े शब्दों में उन लोगों की निन्दा करना चाहते हैं जिन्होंने उस दिन लोकतंत्र की हदों को बहुत पार कर लिया और हमलावर होना चाहते थे, विधान सभा पर, झंडों में लाठियां लगाकर हमला हुए, उनकी निन्दा उससे ज्यादा करते हैं, उससे ज्यादा कड़े शब्दों में करते हैं, जो नेता कांग्रेस पार्टी ने की है। मान्यवर, एक ऐसा दल जिसको अपने कर्मों की बिना पर बहुत बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, जुल्म, ज्यादती यह सब कांग्रेस इस्तेमाल करेगी, जिनके अमल से जुल्म को पहचाना गया है ? पिछले 45-50 सालों में, अगर जुल्म सुनना ही चाहेंगे तो उसके लिये तो फिर समय देना पड़ेगा कि कांग्रेस ने

क्या-क्या जुल्म किये हैं, ज्यादतियां की हैं, मात्र लाठीचार्ज और लाठीचार्ज कब ? तो कांग्रेस को कम से कम, नेता कांग्रेस को जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी ऐसे सुन्दर शब्द इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा दल का इतिहास देखना चाहिए। क्या भूल गये लोग, क्या हुआ था, माया त्यागी के मामले में और किसकी सरकार थी, बाद में क्या कार्यवाही हुई थी ? एक इसी पर क्यों कहें, फिर कहूंगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जायेगी। तो मान्यवर, एक विरोध प्रदर्शन था, बढ़िया हो गया, अच्छी खबर बन गयी, कल नेता कांग्रेस ने इस मामले को नहीं उठाया, खबर कल दब जाती तो आज उठा लिया, आज कोई बड़ी खबर नहीं है, आज आपकी खबर छप जायेगी, इतना तो मन है, समाजवादी सरकार का, कि छोटे-मोटे दलों की खबर भी यदि छप जाये तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है आपकी, क्या हैसियत है उनकी, इस तरह नहीं, हमलावर होकर, विधान सभा पर हमलावर होकर, झंडे लाठियों में लगाकर, यह झंडा ही कब था, यह लाठी के लिये था, पुलिस पर हमलावर होने के लिये, गाड़ियां तोड़ने के लिये, जख्मी करने के लिये और मान्यवर, कानपुर में क्या हुआ है, मान्यवर, राजनीति करने वालों में आपस में इतनी सहमति जरूर रहती है, कोई दल हो, हमारा तो बड़ा विरोध है, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कभी अगर कोई तारीख ऐसी आ जाती है, अपनी स्थानीय राजनीति में भी हम रास्ते बदल कर निकलते हैं, आपस में तय करते हैं कि हम आमना सामना नहीं करेंगे, समय बदल लेते हैं लेकिन आपको तो करना ही यह था, आप क्यों रास्ता बदल लेंगे ? आपने 1947 के बाद से जो रास्ता अख्तियार किया, उस रास्ते से हटेंगे नहीं, वह चेहरे नहीं हटे, सब कुछ बदला लेकिन चेहरे नहीं बदले, सब कुछ बदला लेकिन शक्लें नहीं बदलीं, जब शक्लें नहीं बदलीं तो चरित्र नहीं बदला, जब चरित्र नहीं बदला, तब काम करने का तरीका नहीं बदला और जब वह नहीं बदला तो देख रहे हैं कि नतीजा क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। तो कानपुर में टकराव खुद लिया, मान्यवर, देखिये जिस तरह से मारा है, मान्यवर, हमलावर होकर, चढ़कर दूसरे के कैम्प पर, उसमें कोई बात छिपी हुई तो है नहीं, अब एक तकनीकी बिन्दु है, नेता कांग्रेस का और वह इसलिये कि वह वकील भी हैं, मान्यवर, आप भी हैं। मान्यवर, बहुत से तथ्य बाद में सामने आते हैं, वारण्ट बाद में सर्व होता है तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आज पहली बार हुई है। आज यह तो आया है मान्यवर, प्रश्नकाल में डी0आई0आर0 के बाद मीसा, चलिए, यह तो बाहर करने पर सर्व हुआ, आप तो अन्दर ही सर्व कर देते थे, तो कुछ तो अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं ? जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, लोकतंत्र। 1975 में देश को इमरजेंसी की कैद में बन्द करने वाले अगर लोकतंत्र की दुहाई देंगे जबकि आज के दिन जब बहस हुई जिन्होंने लोकतंत्र को बचाया है सिर्फ इसलिये कि सिर्फ एक गद्दी खतरे में आ गयी। मान्यवर, उस दिन न्यायपालिका और लोकतंत्र भी खतरे में आ गया था, उस पर भी सवालिया निशान लग गया था। मान्यवर, यह आम मामला है, आये दिन विरोध होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। आपने तो खुशी का इजहार भी किया है कि बहुत अच्छा हुआ कि लाठीचार्ज हुआ। जब अच्छा हुआ है, खूब वाहवाही हुई है, खबरें छपी हैं। फर्क इतना है कि चूंकि कानपुर में भारत सरकार के राज्यमंत्री भी रहते हैं और उनका कार्यक्षेत्र अच्छाखासा बढ़ा हुआ है। मसलन कल रामपुर में ग्रामप्रधानी का चुनाव था, [× × ×] हमारे यहां नगर पालिका का चुनाव था तो गृह राज्यमंत्री गये और उनका फोटो छपा वह अच्छा था। [× × ×] यह जरूर है कि

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कानपुर में देश के भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री रहते हों तो वहां पर ज्यादा मनोबल था कांग्रेसजनों का [× × ×] दिल्ली में सरकार भी है, वहां के गृह राज्य मंत्री वहां रहते हैं, सांसद हैं वहां के [× × ×] यहां मान्यवर, नाम लिया गया एक साहब का जब वह धरने पर आ गये तो उनके लिये फिर पुलिस के सिर फोड़ने ही थे, लाठियां भांजनी ही थी, पुलिस पर और गाड़ियों पर क्योंकि वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। मेरे यहां रामपुर में नगर पालिका के चुनाव में 3-4 दिन वह रहे। जमानत नहीं बची। 34 हजार वोटों से हारे हैं। मात्र 42 प्रतिशत वोटिंग पर। 15 जिलों की पुलिस लगायी गयी, रामपुर की पुलिस हटाकर! अगर 4-5 हजार वोट से कंडीडेट जीतता तो कहा जाता कि बेईमानी हुई। झारखण्ड के मुख्य मंत्री आये, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री दो बार आये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी वहां रह गये हफ्ता भर। कैसे नहीं जाते। और [× × ×] भी गये, [× × ×] देखिए, हम जैसे कमजोर लोग कहां-कहां दबाये जाते हैं। हमारी हिम्मत है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता पर कोई ज्यादती कर दें। [× × ×] हम तो घर से निकलते हैं तो पूछते हैं कान्सटेबिल से कि वहां से कोई आदेश तो नहीं आया। अपना चुनाव लड़ते हुए भी डर लग रहा है कि अगर यह [× × ×] । कहना यह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का इधर मनोबल बढ़ा है, इसलिये मनोबल बढ़ा है क्योंकि वह समाजवादी कार्यकर्ताओं की खूब ठुकाई करने में कामयाब हुआ है। इतना तो सरकार करेगी ही कि कार्यकर्ता पिटेगा तो कम से कम मुकदमा तो कायम हो ही जाये। तो सिर्फ मुकदमा कायम हुआ है। आपने तो खुद बताया कि इधर अन्दर गये, और इधर बाहर आ गये। तो यह खुद ही अन्दर बाहर जल्दी-जल्दी हो रहे हैं। कानून अपना काम करेगा ही, अगर अराजकता फैलाई जायेगी। चुनाव सामने हैं इसको मद्देनजर रखकर सरकार को कमजोर किया जायेगा और सरकार की बर्खास्तगी के लिये माहौल बनाने की कोशिश की जायेगी और सरकार की बर्खास्तगी के लिये चार्टर को तैयार किया जा रहा है उसकी बर्खास्तगी के लिये मुद्दे तैयार किये जायेंगे। तो मान्यवर, यह बी0जे0पी0 को मजबूत करने के लिये किया गया। जो अभी कमीशन बैठाया था, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आयी, उसमें यह था कि समान अवसर [× × ×] हमें समान अवसर भी नहीं देंगे। और इसका रिएक्शन कहां हुआ-बी0जे0पी0 में। तो यहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मंशा क्या है ? जानते हैं कि खुद नहीं आ सकते तो बी0जे0पी0 को लाना चाहते हैं, इसलिये यह माहौल बनाया है। मान्यवर, मुझे खेद है क्योंकि मैंने ज्यादा निन्दा कर दी, नेता कांग्रेस को कष्ट हुआ होगा, मुझे उनसे सहानुभूति है। अगर कहीं कोई कमी है तो देखा जायेगा। पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि जिसने गलत किया है उसे सजा मिले तो यह अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक बहुत ही शांति के साथ सुनता रहा हूं। आप अपनी व्यवस्था दें इससे पहले जो सदन में गलत तथ्य रखे गये हैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। यह मेरा कर्तव्य है और मेरा अधिकार भी है। मान्यवर, सामान्यतया अगर कोई विधायक अपने साथ घटी घटना का वर्णन करता है, अपने ऊपर घटी घटना का वर्णन करता है, तो उसे ठीक माना जाता है। मेरी जानकारी जो है, संजीव दरियाबादी जी की जानकारी जो है तथा अजय कपूर की जानकारी जो है वह

नोट :-- [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हम सब भुक्तभोगी हैं, इसलिये हैं। आपकी जानकारी वह है जो आपको लिखा पढ़ा मिल गया हो, जो उन्होंने अपने आत्मरक्षार्थ गलत कामों को दबाने के लिये कहा। मैंने लखनऊ, कानपुर में जो कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया उसे कहा, लेकिन खाना नहीं पहुंचेगा जब तक वह रामपुर नहीं पहुंच जायेंगे और रामपुर पर गलत बयानी न कर लेंगे। मैं अपनी विधान सभा से त्याग-पत्र दे दूंगा नहीं तो यह अपनी विधान सभा से दे दें अगर यह बता दें कि एक सप्ताह तक सलमान खुर्शीद जी वहां पर रहे। मैं यह छोड़ देना चाहता हूं नेता सदन पर कि जिस भाषा का प्रयोग [× × ×] मैं नहीं समझता हूं कि वह एक वरिष्ठ मंत्री को शोभा नहीं देता है। [× × ×] की अपनी अलग गरिमा है। यह वह तय करें। इतनी महत्वपूर्ण बात को हल्के से लेना यह उचित नहीं है। मैंने स्पष्ट तथ्य रखे। मैंने कहा कि मैं वहां पर मौजूद था। मैंने यह भी कहा कि मैंने इसे भुला दिया हैं आज सुबह ही मेरी कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री से बात हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने रामपुर फोन किया था तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई है। तो संसदीय कार्य मंत्री यह बयान दे रहे हैं कि उन्होंने कल पंचायत के चुनाव पर फोन किया था। क्योंकि कल मुझसे कहा था इसलिए मैंने पूछा गृह राज्य मंत्री से उन्होंने कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई। यह गलत बयानी करके सदन को गुहराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार यह कहती कि जो लाठीचार्ज हुआ उसमें जांच करायेंगे, अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ज्यादती की थी तो उसे कहा जाता लेकिन इस तरह से हल्के ढंग से इसे लिया गया मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, इसमें कोई चर्चा तो नहीं हो रही है। आपने अपनी बात पहले ही कह दी थी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने गलत तथ्य रखे थे मैं उस पर अपना पक्ष रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी है। यह गलत बात है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, तीन-तीन विधायकों के साथ जो हुआ वह गलत नहीं है क्या ? उसे आप कहने की अनुमति तो दे दें ?

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर मुझे कुछ निर्णय तो देने दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, निर्णय तो मैं चाहता हूं, वही तो मैं कह रहा हूं अगर निर्णय आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप कहेंगे कि निर्णय तो हो चुका है इसलिए इस पर आप अब बोल नहीं सकते। तो मुझे जो कुछ भी कहना है वह आपके निर्णय से पहले कहना है, आप यह भी नहीं सुनना चाहते हैं जो हम पर बीती है।

नोट :-- [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

आपने तो अपनी बात पूरी कह ली।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अभी हमने पूरी बात नहीं कही है, मान्यवर, दो तथ्य गलत गुमराह किये गये बात इमरजेन्सी की है कहां की है वह अपना कहते रहते हैं उनकी आदत है, कहें मान्यवर, लेकिन मैं एक बात तथ्य पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं विधान भवन के सामने मौजूद था और मैंने अपनी बात सुन करके कहा था कि जिधर हड़ताली लोग बैठते हैं, धरने पर बैठते हैं उस गेट को बन्द कर दीजिए, वह जुलूस में शामिल हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मान्यवर, लाठियों की बात कही गयी, किस कार्यकर्ता के हाथ में लाठी थी ? और यह भी मान्यवर, मैं तथ्य कह दूं कि झण्डे जो होते हैं वह झण्डे में नहीं लगते तो क्या किसी के हाथ में लगेंगे मान्यवर, झण्डे तो रहे ही होंगे लेकिन लाठी और झण्डे में फर्क होता है मान्यवर, और किसी कार्यकर्ता ने लाठी नहीं चलाई मान्यवर, मैं मानता हूं कि कुछ हड़ताली और प्रदर्शनकारी लोगों ने बसें तोड़ी और जिस वक्त बस तोड़ी गयी मान्यवर मैं स्वयं उतर कर गया हूं और मैंनें उन लोगों से कहा कि आपका धरना अलग हमारा प्रदर्शन अलग, आप इसे नहीं तोड़ सकते मान्यवर, वहां पर जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उन्होंनें मुझसे खुद कहा कि आप चले जायें यह लोग इसी तरह करते हैं आप हट जायें यहां से। मान्यवर मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां तक बात हो रही है वारण्ट तो बाद में सत्यता आती रहती है तथ्य आते रहते हैं, कोई डकैत है, कोई अपराधी है जिनके बारे में सत्य और तथ्य आप एकत्र कर रहे हैं। जो अपराधी और डकैत हैं उनको तो आप संरक्षण देते हैं और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन पर तीन-तीन बार मुकदमें कायम हों मान्यवर।

(कई सदस्य इस बात का विरोध करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर आप भी नहीं सुनना चाहते हैं सरकार भी नहीं सुनना चाहती है तो मैं इस सरकार के विरोध में सदन का परित्याग करता हूं। मान्यवर, झूटे और गलत इल्जाम लगे, संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया, सदन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया।

श्री अध्यक्ष-

आप सिर्फ ग्राह्यता पर बोलें। यह कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। आप इसमें चर्चा की मांग करते। जब चर्चा की बात होती तो उसमें पूरा तथ्य आता, तब आप कहते।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी पीठ का आदर करते हुए कह रहा हूं रोकना आपको मंत्री को उस समय चाहिए था [× × ×] उस समय पीठ की गरिमा बढ़ जाती और मंत्री की भी गरिमा बढ़ जाती।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह आप क्या बार-बार गरिमा की बात कह रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते ?

नोटः--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री प्रमोद कुमार-

आप बिल्कुल ऐसी बात नहीं कह सकते इस तरह की अश्लील भाषा और अगर अश्लील भाषा कहते हैं तो पहले अपनी बात पर गौर करें मान्यवर।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आप जैसी चाहेंगें वैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार-

जो शख्स भारत माता को डायन कहता हो उस शख्स की बात कर रहे हैं आप। मान्यवर, हद हो गयी, एक तरफ लाठियां चलेंगी, जुल्म होगा, इन्तहा होगी और उसके बाद अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं होगा।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी इतना गुस्सा मत हो, आप तो धीरज, संयम से काम लीजिए क्योंकि इतना गुस्सा सदन में मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है, आपको अच्छी तरह पता है क्या यह गलत है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां धरना दे रहे थे आप खुल कर कहिये कि हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कुछ लोग जाने के पक्ष में थे कुछ लोग नहीं थे और कुछ लोग जाकर के सीधे पत्थर नहीं मारेंगे और पत्थर मारने के बाद समाजवादी पार्टी के बारे में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कितना झेलना पड़ा।

(कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप शान्त होकर बैठिये, ज्यादा मत कीजिए। आप ज्यादा बढ़ कर बात मत कीजिए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बाकायदा समाजवादी पार्टी के अगर नहीं सुनना चाहते हैं, यह सत्य नहीं है, यही सच्चाई है तो फिर वह भी तय हो जाय, जाते ही हमारे टेण्ट पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया और हमला करने के लिए जो पत्थर फेंकें वह वकीलों को लगे जाकर, वकीलों ने समझा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और वकीलों की तरफ से भी उत्तेजना हुयी और दोनों के घेरे में पड़ गये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा हेल्पर। आप इतने क्रांतिकारी नहीं, क्रांतिकारी थे अगर सन् 42 के क्रातिकारी हमारे ही पुरखे थे, और आज भी क्रांतिकारिता में हम पीछे नहीं हैं कभी भी, हमने भी बड़े-बड़े आन्दोलन किये हैं लेकिन इतना इस तरह से क्या माननीय प्रमोद तिवारी जी कहेंगें कोई यहां कह दे, पूरा हिन्दुस्तान टी0वी0 देख रहा था, कोई कह दे कि लाठियां किस तरफ से पुलिस पर मारी जा रही थी। लाठियां सही हैं या डण्डा, डण्डा तो होता है इतना सा, वह डण्डे थे ? चार-चार फुट के, मान लीजिए लाठी नहीं तो कुछ तो इन्तजाम आपने किया ही था और अगर नहीं किया था तो पुलिस किस लिए भाग रही थी, पुलिस को भागते हुए टी0वी0 में किसने नहीं देखा है। पुलिस को भागते हुए देखा गया है और पुलिस पिटेगी तो फिर बचा क्या ? कभी हम लोग भी झेले हैं, कभी गुत्थम-गुत्था तो हो गया है इस तरह से कभी

पुलिस पर लाठीचार्ज नहीं किया, कभी ऐसे पत्थर नहीं फेंकें। हम जानते हैं कि वहां क्या-क्या हुआ ? आपकी सरकार में क्या-क्या हुआ है ? गोलियां सीधे चलायी गयी हैं। तो यह हम लोग खूब जानते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का औचित्य क्या था ? उन्होंने क्या किया था ? बटन खोलेंगे तो क्या करेंगे आप पता नहीं किस भावना में जुड़ गये। बटन खोलने में गुस्सा भी तो आता है। अब बटन खोलने में आपत्ति क्या है क्या भावना थी। आपके यहां भी हैं बड़े समझदार लोग हैं गलत बात बोल रहे हैं। बोलते हैं लेकिन हम जवाब देते नहीं हैं। हम जानते हैं कि उनको कितना शहूर है। आपके गृह राज्य मंत्री हैं कहते हैं कि सरकार बर्खास्त होने के बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है। बर्खास्त होना चाहिए सरकार को तब चुनाव होगा। राष्ट्रपति शासन, गवर्नर रूल के अन्तर्गत चुनाव की बात कही जा रही है, क्या हमने उसे झेला नहीं है। क्या हम चुनाव लड़ेंगे नहीं और अच्छी तरह से लड़ेंगे। आपको क्या मिलना है। उत्तर प्रदेश में मिलना है तो बी0जे0पी0 को मिलना है यह दोनों मिलकर सरकार बना ले जायेंगे ? हम रह जायेंगे। आपको क्या मिलेगा ? एक मौका अच्छा आया था, आपको भूमिका अच्छी निभानी चाहिए थी। मैं कहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी का विरोध करने वाले हैं वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। वे लोग भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। हम पूरा सम्मान करते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की बात कहता हूं। हम लोग सिद्धान्तवादी लोग हैं।

इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी यह आंदोलन है। चाहे जैसी जांच करा लें जो सच्चाई होगी वह होगी। कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो वह सब उसमें सच्चाई आयेगी। कांग्रेस को ज्यादा मालूम है, समाजवादी पार्टी सरकार में यह चलता नहीं है। हम अपनी तरफ से कोई अन्याय जांच में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होने देंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जो अखबार की कतरने हमने आपके पास भेजी हैं वह माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी भिजवा देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

संसद में भी मैंने यही कह था कि अख़बारों की खबरों से संसद और विधान सभायें नहीं चलती हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने जिस सी0डी0 का जिक्र किया है वह मैं भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

जो आपके पास है वह भिजवा दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में झगड़े की बात कतई नहीं है। जो झगड़े हुए हैं वह अधिवक्ताओं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुए हैं। यह गलतफहमी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय प्रमोद जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर जा रहा हूं। शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये।

श्री अध्यक्ष-

कल सहारनपुर की घटना के सम्बन्ध में माननीय दण्डन जी ने कहा था। तो वे इस समय यहां हैं नहीं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, उसमें मेरा नाम भी था। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, जो 23 तारीख की घटनाएं हैं उसके बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सूचना दी थी। मान्यवर, 23 तारीख को नगरपालिका परिषद् सहारनपुर की बैठक थी। उसका एजेण्डा श्री यशवन्त सिंह अधिशासी अधिकारी ने जारी किया था। उसमें प्रस्ताव संख्या-2 में था कि अधिशासी अधिकारी को जो वित्तीय अधिकार रु0 एक हजार का है उसको 15 हजार रु0 कर दिया जाय। इसी तरह से चेयरमैन का जो अधिकार 50 हजार रु0 का है उसको 5 लाख रु0 कर दिया जाय। मान्यवर, उस दिन की घटना के लिए मात्र एक व्यक्ति जिम्मेदार है, श्री यशवन्त सिंह। मान्यवर, ऐक्ट में व्यवस्था है उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 में प्राविधान है ई0ओ0 5 हजार रुपये तक, चेयरमैन एक लाख रुपये तक एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में यदि आवश्यक हो खर्च तो स्वीकृति की प्रत्याशा में उसको कर सकते है। मान्यवर, अधिनियम के विपरीत प्रस्ताव लाये जब कि ई0ओ0 की जिम्मेदारी है कि अधिनियम का वहां पालन कराना। अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव को अपने हस्ताक्षर से जिस रुप में जारी किया पहला काम तो यह गलत किया।

इसके विरोध में वहां नगर पालिका परिषद् के 31 में से 25 सदस्यों ने लिखकर दे दिया था कि इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं इसके साथ-साथ वहां के सभासदों ने इस असहमति नोट के साथ-साथ उनको यह अनुमान था कि वहां सदन की बैठक में कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वहां के सभासदों ने अपने हस्ताक्षर किये और एक पत्र दिया 22 तारीख को कि कल की बैठक की सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर लें। वहां बैठक में महिला सभासदों के साथ या अन्य लोगों के साथ गड़बड़ हो सकती है और साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया यह लिखित पत्र है 22 तारीख का आप कहेंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। उन्होंने यह लिखित आग्रह किया कि सदन की बैठक में बाहरी तत्व प्रवेश न करें। उस 22 तारीख के पत्र के बावजूद 23 तारीख की बैठक में अधिशासी अधिकारी द्वारा जो सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करनी थी वह नहीं की गयी यह दूसरी गलती उनकी थी तीसरा उनका था कि इस सदन की बैठक में बाहरी व्यक्ति न जाय सदन की बैठक में पत्रकारों के नगर पालिका परिषद् के कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इसके अलावा चेयरमैन के डायस पर मेरे पास

फोटो है, चेयरमैन के डायस पर बाहरी व्यक्ति बैठा है और बराबर में ई0ओ0 यशवन्त सिंह बैठे है यह उनका तीसरा अवैधानिक कृत्य है। जब डीसेन्ट नोट के बावजूद उस अवैधानिक एजण्डे को 2 मिनट में पास कराया और वहां बैठक से निकल गये और बैठक से निकलते ही वहां उपस्थित सभासदों के ऊपर अस्तूरों से और चाकू से वार कर दिया गया। यह देखिये उस्तरे से घाव और महिला सभासद का सर फटा हुआ। (अखबार दिखाया गया) मान्यवर, मेरा यह कहना है कि तत्कालीन इ0ओ0 यशवन्त सिंह के द्वारा गलत प्रस्ताव प्रस्तुत कराया गया अधिनियम के विपरीत प्रस्ताव एजेण्डे के रूप में लाया गया और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबन्धित किया जाय, सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जाय यह 22 तरीख का सभासदों का पत्र होने के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया फिर मारपीट हो गयी इसके विरोध में अगले दिन सहारनपुर बन्द होता है और सहारनपुर बन्द के दौरान पुलिस की उपस्थित में पथराव होता है और पथराव में चोट से भाजपा के कार्यकर्ता युवा मोर्चा के मंडल के उपाध्यक्ष गुलशन गम्भीर की मृत्यु हो जाती हैं सरकार ने दो लाख रुपये सहायता के दिये। मेरा निवेदन यह है कि उस घटना के लिये काज आफ एक्शन इस सारी घटना के लिये जिम्मेदार है ई0ओ0 का कृत्य, कोई राजनैतिक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है अधिनियम की व्यवस्थाओं के विपरीत वह एजेण्डे में कार्य-सूची को शामिल करके अपने हस्ताक्षर से भेजता है जो नहीं करना चाहिये था। और चाहे तो वह बाद प्रस्ताव को शासन में भेजकर स्वीकार करा ले अधिनियम में जो व्यवस्था है उसके विपरीत वह कर नहीं सकता सबसे पहला वैधानिक कृत्य है उसने वह नहीं किया उसके बाद उसके द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था न करना बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित न करना चेयरमैन के मंच पर एक बाहरी व्यक्ति का उपस्थित होना और उपस्थित व्यक्ति को वहां से निकाला न जाना और दो मिनट में ही संवैधानिक एजेण्डे को पास करके बाहर निकलना और तुरन्त सभासदों पर हमला हो जाना, महिला सभासदों के साथ छेड़छाड़ हो जाना और फिर उसके विरुद्ध जनता के द्वारा सहारनपुर का बन्द होना, फिर भाजपा का पथराव होने से गुलशन गम्भीर जो मंडल के उपाध्यक्ष थे उसकी मृत्यु हो जाती है इसके बाद इसका मुकदमा कायम होता है। कायदे में तो सदन के भीतर घटना हुई थी इसके बाद एफ0 आई0 आर0 लिखाने की जिम्मेदारी सहारनपुर के अधिशासी अधिकारी की थी वह उन्होंने नहीं किया। एक एफ0 आई0 आर0 होती है, उस एफ0 आई0 आर0 पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं होती। उसके बाद अगले दिन जब बंद के दौरान गुलशन गम्भीर नाम के कार्यकर्ता की हत्या हुयी, उस पर भी एफ0 आई0 आर0 होती है, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी, तब लोकतांत्रिक तरीके से सविनय अवज्ञा आन्दोलन की भांति धरना घंटाघर शहीद भगत सिंह चौक पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया। उस धरने के दबाव में आकर एफ0 आई0 आर0 में नामजद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और तुरन्त थाने से बेलआउट कर दिया। लेकिन दूसरी एफ0 आई0 आर0, जिसमे गुलशन गम्भीर नाम के कार्यकर्ता की हत्या हुयी, उसमें अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मान्यवर, मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग कर रहा हूं और ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। आपके माध्यम से सरकार से यह बात कहना चाहता हूं कि सारे घटनाक्रम का मूल जनक वहां के अधिशासी अधिकारी का गैरकानूनी अवैधानिक व्यवहार और नवनिर्वाचित चेयरमैन के दबाव में अधिनियम के विरुद्ध काम करना और

लगता यह है सारे घटनाक्रम से, कि उनके बैठक से जाते ही हमला हुआ है, यह सब पूर्व नियोजित षडयंत्र था, केवल इसलिये कि उनका बहुमत इस सदन में नहीं है, चेयरमैन भले ही निर्वाचित हो गये हों भविष्य में विपक्ष के सभासद सदन की बैठक में आने से कतराये और फिर बिना किसी आवश्यक बहुमत के वह अपना काम शान्तिपूर्वक चला सकें यह उसका षड़यंत्र था तो मान्यवर, मैं इस कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि जिस बातों को मैंने सदन के समक्ष रखा है यह अधिशासी अधिकारी का अवैधानिक कृत्य,? इस पर तत्काल मंत्री जी को संज्ञान लेकर, सरकार को संज्ञान लेकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये। जिस गुलशन गम्भीर कार्यकर्ता की मृत्यु हुयी है, पुलिस के पथराव में हुयी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने दो लाख रुपये दिये हैं, मैं 5 लाख देने की मांग करता हूं और साथ ही साथ उसकी पत्नी को, जिसे मात्र 6 साल हुये शादी को, उसकी पत्नी को यदि माननीय मुख्य मंत्री जी सदाशयता पूर्वक, कृपापूर्वक घोषणा कर सके कि उसकी पत्नी को कहीं न कहीं सरकारी नौकरी मिल जायेगी क्योंकि राजनैतिक आन्दोलन के तहत घटी घटना में उसकी मृत्यु हुयी है तो मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इसकी ग्राह्यता पर बोलते हुए, सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह 23-11-06 का वाकया है जो नगरपालिका की बैठक हुयी है, जिसमें विवाद हुआ हैं उसके बाद यह असल वाकया बढ़ा है 24 तारीख को और जब विरोध हुआ 23 तारीख की मीटिंग के वाकये का विरोध हुआ और ऐसे इलाके से जुलूस निकला जहां से न निकलता तो शायद यह बात टकराव की न बनती। वहां से नारेबाजी हुयी चेयरमैन के पक्ष में और फिर उसमें टकराव हो गया। मान्यवर, इसमें कहीं भी किसी अपराधी की और किसी गलत काम करने वाले की हिमायत सरकार नहीं कर रही हैं पूरे वाकये की जानकारी माननीय मंत्री जी को है, अब वह बतायेंगे।

कर एवं निबन्धन व्यापार कर एवं राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे सम्मानित बाजपेयी जी ने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव से इस मुद्दे को रखने की बात की है और चर्चा कराने की मांग की हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में लाते हुये, हालाँकि बाजपेयी जी बहुत संवैधानिक कानूनों अधिनियमों और विधान सभा नियमों के ज्ञाता हैं पर उस सबके बावजूद जिन तथ्यों को इन्होंने रखा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस अधिशासी अधिकारी को इंगित करते हुए आपके द्वारा कहा गया कि कोई गैर संवैयधानिक मीटिंग में प्रस्ताव लाने की कोशिश अधिशासी अधिकारी ने की है, इस तरह की कोई बात नगरपालिका में नहीं हुयी है। इतिहास का और नगरपालिका अधिनियम का अगर आप दुबारा अध्ययन कर लेंगे तो उन तथ्यों की जानकारी साफ-साफ हो जायेगी। बात बहुत साफ है कि सहारनपुर के नगरपालिका के इस बार के चुनाव में उस इतिहास को दोहराने की बात की गयी कि 54 साल के बाद पहली बार दुबारा सहारनपुर की नगरपालिका पर एक अल्पसंख्यक हमारा मुसलमान भाई चेयरमैन बना और यह बात गले के नीचे से हजम होने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं हो रहा और इसीलिये बाकायदा आगामी विधान सभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुये, 8 दिन तक लगातार हमारे नगर को

दंगे की आग में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने झूठ पर आधारित मुद्दों को बनाकर वहां किया हैं। कोई कसर इस बात को छोड़ने की बात नहीं की गयी जिस बात को बेबुनियाद तरीके से चौराहे पर खड़े होकर गालीगालौज करके दूसरे अल्पसंख्यकों को इंगित करते हुये कोई कोशिश इन्होंने न की हो कि हम पूरे प्रदेश को दंगे के हवाले किसी तरह से करने का काम कर दें, मैं तथ्यों के आधार पर जिन चार बातों को बाजपेयी जी ने कहा है, उन पर आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम का आपने जिक्र अधिनियम की धारा 96(1) के माध्यम से किया है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि किस तरह अधिनिमय की धारा 96(1) में प्रावधान है कि नगर पालिका परिषद् द्वारा किये गये संविदा की दशा में 50 हजार रुपये और यह भी संशोधन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये सन् 2001 में संशोधन के माध्यम से हुआ था जो नगर पालिका द्वारा किये गये संविदा की दशा में अधिक धनराशि मुल्य के अन्तर्गत न होगा और यह दो मीटिंगों के बीच के विशेष खर्च करने में नगर पालिका के चेयरमैन को एक लाख रुपये तक की अधिकार को अधिनियम में देने की बात की गई इस अधिनिमय के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को लाने का काम वहां नहीं किया गया अध्यक्ष जी नगर पालिका में जो प्रस्ताव लाया गया वह अधिनियम धारा 96(2) के अन्तर्गत लाया गया जिसके अन्तर्गत विनियमित करने का अधिकार नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत नगर पालिका को दिया गया है और उसमें 297(3)(जी) के माध्यम से उस विनियमितीकरण का प्रस्ताव उसके अन्तर्गत आया था और सहारनपुर नगरपालिका में यह प्रस्ताव कोई पहली बार नहीं आया था। मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि इससे दो बार पहले चेयरमैन के कार्यकाल में जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे, उस दौरान इसी अधिनियम के अन्तर्गत उस प्रस्ताव को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने उस नगरपालिका में किया है। इसके पहले 1996 में श्रीमती राज दुलारी गर्ग वहां चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थीं और इसी तरह का प्रस्ताव 96(2) में लाने का काम उन्होंने किया था और उसके अन्तर्गत भाजपा के अध्यक्ष के कार्यकाल में बोर्ड के विशेष प्रस्ताव संख्या 210 दिनांक 31 जनवरी, 1996 के द्वारा 17 सदस्यों की असहमति के नोट के विरुद्ध 21 सदस्यों के मतों से विशेष प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत किया गया, जिसमें नगर पालिका अधिनियम की धारा 96(2), 297(1)(जी) के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत गजट नोटीफिकेशन दिनांक 28 फरवरी, 1996 को होकर प्रभावी हो गया। मैं उसकी छायाप्रति आपको दे दूंगा। उसके बाद दोबारा बोर्ड चयनित हुआ और दोबारा भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जीतकर आये और उन्होंने इस एक लाख 50 हजार रुपये की सीमा को मंहगाई का हवाला देकर अपने अधिकारों की बढ़ोत्तरी करते हुए उसी धारा में दोबारा प्रस्ताव लाकर इस प्रस्ताव की अनुमानित राशि को एक लाख रुपये करा दिया हरीश जी ने नगरपालिका परिषद् सहारनपुर के कार्यकाल में बोर्ड द्वारा विशेष प्रस्ताव संख्या 200 दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 के अन्तर्गत धारा 96(2), 297(1)(जी)(1) के अन्तर्गत 50 हजार रुपये को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया, जिसका गजट नोटीफिकेशन 23 मार्च, 2002 को प्रभावी हुआ इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, मैं चाहूंगा कि आप बाजपेयी जी को अपने कक्ष में बुलाकर इसे दिखा दें, जिससे कि उनकी हताशा दूर हो जाए। मान्यवर, इसी प्रकार का एक प्रस्ताव जब इस बार लाने की बात की गई वह भी उन्हीं धाराओं में जिन धाराओं में भारतीय

जनता पार्टी ने अपने चेयरमैन के अधिकारों की बात की थी। मंहगाई को देखते हुए इस बात पर चर्चा करते हुए हमारे 25 सभासदों ने यह बात लिखकर दी और उसके ऊपर विचार करते हुये बोर्ड में प्रस्ताव लाने की बात की गई और उसके अन्तर्गत दिनांक 23-11-2006 का विशेष प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत उन्हीं धाराओं में जिन दो धाराओं में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन बढ़ा चुके थे 96(2) और 297 (1)(बी)(1) के द्वारा एक लाख रुपये के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि करके पांच लाख रुपये तथा अधिशासी अधिकारी के वित्तीय अधिकारों के विनियमन में एक हजार रुपये के स्थान पर 15 हजार रुपये के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि करने का विशेष प्रस्ताव 22 मतों के मुकाबले 33 मतों से बहुमत के आधार पर पारित हो गया। यही गणपूर्ति का अधिकार जितनी उपस्थिति हो उसमें आधे से ज्यादा उपस्थित और विशेष प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए विशेष प्रस्ताव में बहुमतों को जो बात आपने कही है, 55 सभासदों की नगरपालिका में 21 सभासद भारतीय जनता पार्टी के और एक बहुजन समाज पार्टी के सभासद को मिलाकर कुल 22 सभासदों के मुकाबले 33 सभासदों के होने से यह प्रस्ताव मंजूर हुआ। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसे गैर संवैधानिक कहा जाए और इसे आधार केवल इसलिए बनाया गया है, चूंकि बीजेपी की हालत कुछ खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे जैसी है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर की नगर पालिका सीट हारी थी। तो पूरे प्रदेश की नगर पालिका और नगरीय इकाईयों में भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार समझती हैं उस एकाधिकार स अलग हटकर चूंकि वहां की जनमानस ने निर्णय देने की बात की थी और 7 हजार मतों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां हारा था, वह हार किसी भी रूप में पच नहीं पा रही थी और आगामी आने वाला चुनाव सामने था कि किस तरह से विधान सभा चुनाव में इस सीट को जीतने की बात करें चुनांचे तभी से इस प्रपंच को रचने का काम किया जा रहा था और बार-बार कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का जाता था तो इसी तरह से शोले बयान देने की बात करता था। 'एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला' हमें समझ में नहीं आता किस तरह के समाज की संरचना और किस तरह का उद्देश्य और किस तरह के मकसद के साथ राजनीति करने की शुरूआत करने की बात होगी और अगर एक अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने उस बात को रखकर अपने प्रस्ताव को संवैधानिक तरीके से मंजूर कराया। उस विशेष बैठक में मात्र दो प्रस्ताव थे और दो मिनट में उस प्रस्ताव को पास कराने की बात हुई आप पूरा का पूरा सहारनपुर का पूर्व बोर्ड का रिकार्ड इस बात का साक्षी है कि जो दो मिनट में प्रस्ताव पढ़े भी नहीं जा सकते, 60-60, 70-70 प्रस्ताव पिछले दस साल में सहारनपुर की नगर पालिका में मात्र एक मिनट में हाथ खड़े करके पारित कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है परन्तु अगर संवैधानिक तरीके से कोई दो प्रस्ताव पढ़कर कराने का काम कर लिया जाए तो इसलिए चूंकि मन में इस बात की साजिश थी कि किस तरह से साम्प्रदायिक स्वरूप देने का काम कर सकें। एक इस तरह का माहौल मीटिंग से पहले बनाने की कोशिश करने का काम किया जा रहा था। 22 तारीख को बीजेपी सभासदों ने एक विरोध दर्ज कराने का काम किया उन्होंने अधिशासी अधिकारी को लिखकर दिया, जो 23 तारीख को अधिशासी अधिकारी के समक्ष आया। भारतीय जनता पार्टी के सभासदों के लिए बैठाने के लिए अलग से अरेंजमेंट किया गया और अलग से स्थान उपलब्ध कराने की बात कही गयी। उस सबके अलावा वहां की सुरक्षा फिर दोबारा इस बात को दिमाग में रखकर

चूंकि मन में षडयंत्र था इसलिए इस बात की शंका जाहिर करने की बात हो रही थी कि कहीं झगड़ा न हो जाये। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सूचित कर दिया गया और वहां की फोर्स भी बुला ली गयी और उसके बाद जिन लोगों की फोटो दिखाने का काम आदरणीय बाजपेयी जी ने किया है। नगर पालिका बोर्ड में सदस्यों के अलावा विधायक और सांसद का भी मत होता है। विधायक और सांसद के प्रतिनिधि के रूप में वह जो सज्जन जिसकी आप बात कर रहे थे मुकेश चौधरी, सांसद प्रतिनिधि के रूप में वहां मीटिंग के अन्दर शरीक होने का काम कर रहे थे और जहां तक बाहरी व्यक्ति की बात है। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक थी और स्वाभाविक है कि पहली बैठक में इस तरह के दूसरे लोगों में जो जोश और उत्साह होता है उन लोगों का, समर्थकों का पहली मीटिंग में आना पूर्व वर्षों में पहले भी कायम रहा है। जितनी भी हमारी महिला सभासद थी चाहे वह किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती थी, उनका कोई न कोई पारिवारिक सदस्य पति या परिवार का सदस्य वहां मौजूद था। उस सबके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सभासदों के साथी वहां मौजूद थे। परन्तु प्रस्ताव न पास करके वहां किसी तरह से शोर-शराबा करने की कोशिश की गयी। बाकायदा पहले समाजवादी पार्टी के दलीय नेता ने नये बोर्ड में चेयरमैन का स्वागत किया और उसके बाद प्रस्ताव पढ़ा गया। प्रस्ताव पढ़कर 22 के मुकाबले 33 मतों के बहुमत के आधार पर पारित करा दिया गया। इन तमाम चीजों के करने के बाद चेयरमैन बाजपेयी जी ने खुद कहा कि चेयरमैन और सभासद प्रस्ताव पारित करने के बाद चले गये परन्तु उसी मानसिकता के तहत थाने में झूठी रिपोर्ट राजनीतिक षडयंत्र के तहत करायी गयी और चेयरमैन और कुछ सभासदों को उनके अन्तर्गत नामजद करने की कोशिश करने का काम किया गया। इसलिए जितने तथ्यों को इसके अन्तर्गत उठाने की बात की है उसको सुनने के बाद मैंने जवाब दिया है। मैं इन तथ्यों को आपके समक्ष रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि 'एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला' और उस सबके अलावा जिस दिन घटना घटित हुई शाम को मात्र 30-35 लोगों ने जाकर थाना जनकपुरी में दो रोडवेज की बसों पर पथराव करके शीशे तोड़ दिये और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हमने कहा कि चलो गुस्सा है, पुलिस भी मूकदर्शक बनी रही। उस सबके बाद वहां के ड्राइवरों ने मुकदमा दर्ज कराने का काम अगले दिन किया। वहां पर बन्द की काल दे दी। परन्तु लोग बन्द के पक्ष में नहीं थे। परन्तु भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जीप में डण्डे और पत्थर लेकर आतंकित कर सहारनपुर की बाजारों को बन्द करने में लगे थे। कई जगह इस बात को लेकर मुकाबला हुआ और बाजार कहीं 25, कहीं 40 फीसदी और कहीं 50 फीसदी और कहीं-कहीं पूरे के पूरे बाजार उसके मुकाबले खुले। परन्तु जब बन्द कामयाब नहीं हुआ तो दोपहर बाद इसी तरह की धक्का मुक्की की कोशिश की कि किस तरह से पूरे नगर को साम्प्रदायिक आग में झोंक दिया जाए। इसी तरह हमारे एक मुसलमान भाई के खोखे को धक्का देकर बन्द कराकर उसके साथ मारपीट करने की बात की। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से सहारनपुर के अपने सभी साथियों को विशेषतः मुसलमान भाइयों को कि उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया और उनके भड़कावे नारे के बावजूद एक भी साथी सड़क पर नहीं आया। इनकी गालियां देने के बावजूद कोई भी जवाब उन्होंने देने का काम नहीं किया। और शहर की अमन और चैन को बिगड़ने नहीं दिया। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती और इनका नफरत का हाथ एक

तरफ हिलता रहा परन्तु मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। गुण्डागर्दी इनकी ओर से शुरू हुई। इनके एक नेता राघवलाल पाल बाकायदा नारा लगा रहे थे कि तुम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं। इनके लोगों ने दो दिन पहले हनुमान मंदिर में लगे टायलों को तोड़कर उसको जीप में भरकर डण्डे व पत्थर लेकर [× × ×] आक्रमण किया तब पथराव शुरू किया तो उसको रोकने का काम पुलिस ने किया। इन्हीं की जीप के नीचे इनका साथी आ गया जिसे पुलिस ने उठाने का काम किया। इतना ही नहीं सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि जब मृत्यु के बाद यह लोग गौतम गम्भीर को लेकर शमशान में गए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सी0ओ0 की टोपी को अपमानित करके जूते मारने का काम किया इस तरह से राष्ट्रीय अपमान करने का काम किया जिस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है उस पर यह लोग भरोसा नहीं करते हैं। खुद को राष्ट्रप्रेमी कहते हैं और राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। मैं इस कृत्य की घोर शब्दों में निन्दा करता हूं साथ ही सहारनपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उसने सब्र के इम्तहान को पास किया इन्होंने तो दंगा कराने का पूरा प्रयास किया। जिस अधिशासी अधिकारी का बाजपेई जी ने हवाला दिया तो नगर पालिका अधिनियम को देख लें सारी चीजें वहां हुई हैं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराने का औचित्य नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दो बिन्दु हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब सारी बातें तो हो चुकी हैं। लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने सारी बातें रख दी हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मैं दो बातें कहना चाहता हूं अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको भी सुना और इनको भी सुना।

*श्री हुकुम सिंह-

मैं भी वहां गया था। इसमें विचारणीय बिन्दु यह है कि 23 तारीख को मीटिंग हो रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने सभासद गए थे उन सबको चोटें आईं। चोटें मामूली नहीं हैं चोटें तेज धार दार हथियार से आई हैं इसकी डाक्टरी मायने हुई है। डाक्टरी मायने में चोटें एक आध दिन बाद नहीं यह घटना के आधे घण्टे के अन्दर की है। सारे सभासद चोटिल है और बाकायदा अस्पताल में दाखिल हुए उनका इलाज हुआ। ऐसी कौन परिस्थिति बनी। गुण्डागर्दी कहां से हो रही है। हमला हमारी तरफ से हो रहा है और चोटें हमको आ रही हैं। उन लोगों के पास हथियार थे और उससे उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा। हमारी मांग यह थी कि जिन लोगों ने यह हरकत की है

नोट :-- [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध 307 का मुकदमा कायम हुआ तो जिन लोगों ने चोटें पहुंचाई हैं उनको गिरफ्तार किया जाय व प्रशासन हमें आश्वस्त करें कि अगले सुबह 10 बजे तक उनको गिरफ्तार कर लिया जायेगा। उनके आश्वासन पर हम घर चले जायं और 10 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या रोष नहीं आयेगा। क्या इस बात के लिये हम घर पर बैठे रहेंगे ? हमको यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपको यह चोट कैसे आई। मुकदमा कायम हुआ, लोग नामजद हुए। अगर इनके बकौल इनके कोई आदमी नहीं थे तो कोई तो था। क्या यह कहेंगे कि यह चोटें उन्होंने अपने आप को स्वयं लगा लीं। मान्यवर, अगर वहां जाकर प्रदर्शन करते हैं तो क्या हमको यह कहने का अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने नगर पालिका की सीमा के अन्दर अवैध तरीके से घुसकर भारतीय जनता पार्टी के सभासदों को इस प्रकार मारा-पीटा उनको गिरफ्तार क्यों न किया जाय। इसके बाद हम पर लाठी चार्ज हो और हमको प्रदर्शन करने का अधिकार न हो। उनकी वकालत इस तरह से यहां पर की जाय। पौन घण्टे तक मंत्री जी उनकी वकालत करने के लिये खड़े रहे और संविधान का हवाला देते रहे। हमारी हर तरह से बखिया उधेड़ने का प्रयास किया गया लेकिन एक भी शब्द उनके मुंह से ऐसा नहीं निकला कि जिस युवक की हत्या हुई है उसको 5 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी उसकी पत्नी को नौकरी का आश्वासन हो जाता। अगर आपके अन्दर संवेदनशीलता होती तो दो शब्द तो आप उस नवजवान के प्रति सहानुभूति के कहते। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। मान्यवर, हम इस पर सरकार से उम्मीद करेंगे कि बहुत ही होनहार नवयुवक की हत्या हुई है। उसके घर में कोई सहारा नहीं है। कम से कम उसको 5 लाख रुपये की सहायता दी जाय और उसकी पत्नी को नौकरी का आश्वासन दिया जाय।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह ऐसी घटना है कि जो सारी हमारी लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है उसमें जो इस सदन में कभी शर्मनाक घटना हुई थी उसी तरह की घटनाओं की शुरूआत हो गई। क्या मतलब है इसका ? मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी अगर यह कहते कि यह जो घटना हुई वह शर्मनाक घटना हुई है तो उनका स्टेटस कुछ घट जाता। लेकिन वे तो इसकी वकालत कर रहे थे। उन्हें ऐक्ट का यह प्रविधान नहीं मालूम है कि किसी चेयरमैन को या किसी सदन को अपने वित्तीय अधिकार स्वयं कानून पास कराकर बढ़ाने का नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नगर विकास मंत्री बैठे हैं वे बता दें कि क्या ऐसा हो सकता है। प्रस्ताव यह आया कि उनके वित्तीय अधिकार एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिये जायं खर्च करने के। लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध करने का परिणाम यह हुआ। मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है महिलाओं के सर फूट गये। कुर्सियां उठाकर मार दी गई। पुलिस का वर्जन है कि लोग मय उस्तरे के पकड़े गये। लोगों के पेट फाड़ डाले। 27-27 टांके लोगों को लगे हैं। चाकू चले इन सदनों के अन्दर। अगर यह सब होगा और वह भी लोकतंत्र की इन प्राथमिक इकाइयों में तो फिर इस देश के लोकतंत्र को भगवान ही बचा सकते हैं आपसे और बाकी सबसे तो ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो हम देख रहे हैं जो सारी व्यवस्था में दिख रहा है उससे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको बचाने की कुछ न कुछ तो कोशिश की जानी चाहिए। आपका एक ई0ओ0 इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि वह नहीं हटाया जा सकता। वह गर्वनमेंट का एक नुमाइंदा है अगर कोई अधिनियम के खिलाफ काम हो रहा है तो वह ई0ओ0 उसको रोकेगा। अगर वह उसको नहीं रोक सकता है तो सरकार को भेजेगा कि यह प्रस्ताव रद्द किया जाय। लेकिन इसका कुछ नहीं। चूंकि मंत्री जी हैं और मंत्री जी के रहते वहां पर किसी का कोई बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए जो गलत हो रहा है सब सही है और जो वह कह रहे हैं वह सब सही है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। भाला हमारे हाथ में है और मर गये हम ही। यानि हमारे ही लोग मारे गये। हमारा कार्यकर्ता मारा गया। जिस तरह से पत्थर चल रहे थे। वह अपनी जीप से आ रहा था। उसको पत्थर लग गया हेड इन्जरी हुई सिर फट गया और वह मर गया। आज जैसा हुकुम सिंह जी ने कहा। जरा सी आपमें आत्म संवेदनशीलता होती तो आपको खड़े होकर कहना चाहिए था कि उसकी पत्नी को नौकरी दिलवायेंगे वहां तो कह आते हैं कि उस परिवार के एक आदमी को नौकरी दी जाएगी वहां तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं यहां साम्प्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं वहां दंगा करवाते हैं। दोहरी बातें चलने वाली नहीं हैं। मैंने जो कहा अगर वह प्रस्ताव अवैधानिक है जिसको वहां के अधिकारियों ने अस्वीकार किया कि नियमानुसार नहीं आ सकता था तो जो लाया गया वह कैसे लाया ? वह प्रस्ताव रद्द हुआ ? क्या मा0 मंत्री जी के पास आया कि गलत प्रस्ताव आया है ? इस प्रस्ताव को रद्द किया जाए ? वहां के कमिश्नर छुट्टी पर गए थे डी0 एम0 आफिशिएट कर रहे थे तो क्या डी0एम0 ने प्रस्ताव को रद्द किया जो चाहे करें, लूट लेंगे, कहां पहुंच जाएं, यह सारी छूट दे दी जाए एक लाख से पांच लाख कर देंगे। 5 से 50 हजार कर दें। बरसों बजट की जरूरत ही नहीं है सब हो रहा है। यहां भी हो रहा है। शायद यह रिकार्ड होगा कि चौथी बार एक बजट में लेखानुदान पेश करने, अनुपूरक अनुदान पेश करने की बात आ रही है, तो मान्यवर, यह क्या हो रहा है कि वित्तीय अनुशासन छोड़ दो साम्प्रदायिक सौहार्द को आग लगा दो, लोकतांत्रिक मर्यादायों को थूक दो, और हमारी यह जो सभायें और बैठक हैं इनमें चाकू चलाओ। उस्तरे चलाओ। मुझे नहीं लगता मान्यवर, कि यहां के नाइयों के पास कोई काम बचेगा। वह भी सब यहीं आ जाएंगे क्योंकि अस्तूरा इनके लिए महत्वपूर्ण उपकरण हो गया है तो उन नाइयों को तो यहां बड़े सम्मान के साथ बिठाया जाएगा। उनकी वकालत मंत्री जी कर रहे हैं। ऐसी घटनाये होती हैं हमारे समय भी घटनायें हुई होंगी। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जो आप कहें उनके लिए सहायता करने को तैयार है। जो गलत हुआ है उनको पनिश करेंगे। जरा सी शिकायत आ गई उसमें ई0ओ0 हटाये गए हैं पनिश किए गये हैं। अगर आपको ऐक्ट का पता नहीं है कि यह प्राविधान है मैं उस विभाग का वर्षों मंत्री रहा हूं। बरसों रहा हूं शायद इतने समय तक बहुत कम लोग रहे होंगे और मैंने ही यह एक लाख की पावर की थी यहां से, सदन की प्रोसीडिंग में यह मौजूद होगा कि यहां पर प्रस्ताव लाकर पहले कम थी आर्थिक शक्ति खर्च करने की उसको एक लाख किया था आज मूल्यवृद्धि हो गई है तो कम से कम चेयरमैन है तो कर दें। मेयर का भी इसी तरह बढ़ाया गया लेकिन अगर यह अधिकार सबको मिल गया कि यह वित्तीय अधिकार सब अपने हाथ में ले लें। सब लूट डालें हमारे लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं आठ दिन तक वहां पर चौराहे पर धरना दिए बैठे रहे और एक वारदात नहीं हुई किसी ने किसी के ऊपर एक कंकड़ी नहीं मारी और

यह गांधी जी का नाम लेते हैं लोहिया जी का नाम लेते हैं वह नारे कहां चले गये। जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई गया कोई उनका धरना समाप्त कराने गया। उनका धरना समाप्त कराने मंत्री जी गए। मैं तो पहुंच जाता था यहां पर भीड़ होती थी प्रदर्शनकारियों की उनके बीच में मैं घुस जाता था। आज सारी मर्यादायें खत्म हो रही हैं। मान्यतायें खत्म हो रही हैं यह कहते हैं कि जबर्दस्ती कोई बाजार बन्द करा देगा। दो दिन तक सहारनपुर बन्द रहा। अभूतपूर्व बन्दी रही। और आप यहां पर एक सरकार फिरकी की तरह बता रहे हैं वहां जबर्दस्ती बन्द करा दिया गया। कहीं दस परसेन्ट बन्द था। कहां 5 परसेन्ट बन्द था। यह सारे वाक्ये बता रहे हैं आपको तो मंत्री की तरह बात करनी चाहिए थी। आप कहते किसी की गल्ती है तो वह सजा पाएगा तो मैं समझता कि यहां पर कोई रूल आफ लॉ के आधार पर आप चल रहे हैं लेकिन जिसकी लाठी, उसकी भैंस। अब यदि इस आधार पर लोकतंत्र चलेगा तो वह दिन दूर नहीं और इसका विकल्प कोई बड़ा भयानक आयेगा और इसके सूबेदार जो होंगे वह फांसी पर लटकाये जायेंगे। जब व्यवस्थाएं टूटती हैं, जनता का आक्रोश बढ़ेगा तो जो दलाली करते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की बकालत करते हैं, मर्यादाओं को बचाने का काम नहीं करते, बच नहीं पायेंगे। मैंने सुना है कि एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, मुझे तो कोई ऐसी तकनीक समझ में नहीं आयी है कि इनको लगेगा, इनको नहीं लगेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह सारा अनर्गल प्रलाप मंत्री जी का था। एक महीने पहले सारे अखबारों में चीखते फिर रहे थे कि मेरी नहीं सुनी जा रही है। मंत्री जी ने जिसका जिक्र किया, उसमें किसी अधिनियम का जिक्र नहीं था, राम लखन पाल की वजह से इनकी हवा खराब है।

श्री अध्यक्ष-

आप [illegible] मेरठ पर बोलेंगे ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

कल जो स्वीकृत हुई थीं, उनके लिए पहले।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरी भी स्वीकृत हुई थी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 में उसकी ग्राह्यता पर सुना, उसका कोई निर्णय देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्य-स्थगन के रूप में इसे आग्रह करता हूं। चर्चा पूरी हो गई है। आप अपना शुरू करें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

चर्चा होती तो मैं भी भाग लेता। मैं भी सहारनपुर गया था।

श्री अध्यक्ष-

ये लोग चर्चा कर ही डालते हैं, इसलिए इतनी देर सुनना ही पड़ता है।

नियम-56 में एक सदस्य को एक ही सूचना पर बोलने के नियम के बावजूद दूसरी सूचना लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा-

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, एक दिन में एक व्यक्ति का एक ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव होता हैं। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की दूसरी सूचना कैसे ले ली जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, नेता विरोधी दल ने 311 में दिया था और 311 में इनका भी नाम था, 311 जो 56 में परिवर्तित हुआ, तो वह आ गया, यह अवैधानिक नहीं है, आप बैठें।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 की ग्राह्य एवं अवशेष कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरठ में छः महीने पहले विक्टोरिया पार्क में अग्निकाण्ड हुआ था, मुख्य मंत्री जी स्वयं गये थे और घोषणा की थी कि पूरा चिकित्सा का व्यय सरकार उठायेगी, सरकार ने चिकित्सा व्यय को उठाया भी, लेकिन इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, वहां पर एक लाश रखी है, उसका डी0एन0ए0 टेस्ट के माध्यम से पता नहीं लग पा रहा है, एक तो मैं मांग करता हूं कि उसका अन्तिम संस्कार कराया जाए, एक मालती तायल जिसका शव नहीं मिला है, 6 महीने हो गये हैं, उसको भी मृतक घोषित करके मुआवजा दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं (फोटो दिखायी), मान्यवर, इस फोटो में जो व्यक्ति दिखायी दे रहा है, 6 माह बाद भी मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता है, उनकी उठने-बैठने की स्थिति भी नहीं है, पास-पड़ोस का व्यक्ति भी उनके पास खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में अपोलो अस्पताल या किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में उनके इलाज के लिये पैसा चाहिए। मेडिकल कालेज वाले कहते हैं कि दवा का बजट एक करोड़ था, सरकार ने 50 लाख कर दिया, हम लोकल परचेज कर नहीं सकते, इनके लिये डाक्टरों की टीम गठित कर नहीं सकते, इसलिये उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मान्यवर, जिलाधिकारी ने 21 सितम्बर, 2006 को सरकार को पत्र भेजा था कि टी0आर0 27 में जो पैसा आहरित किया था उसका पूरा विवरण भेजते हुए सरकार से मांग की थी कि मृतकों एवं घायलों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2 करोड़ 35 लाख की आवश्यकता है और निजी अस्पतालों की भर्ती के भुगतान हेतु 1 करोड़ 51 लाख 55 हजार 454 रुपये की आवश्यकता है। मान्यवर, वहां के मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि दवा का बजट एक करोड़ के बजाए 50 लाख कर दिया

गया है इसलिए बहुत कास्ट वाली दवाएं हम नहीं खरीद सकते हैं। अगर डाक्टरों की टीम गठित हो जाये और हफ्ते में दो दिन आपरेशन किये जायें तो यहां इलाज कर सकते हैं। उनको इलाज के लिये पैसा चाहिए। अगर उनका इलाज के लिये भी पैसा नहीं दिया जायगा तो सरकार के द्वारा उनके लिये इलाज हेतु अब तक दिया गया पैसा भी कहीं न कहीं बेकार हो जायेगा। मान्यवर, मेरी मांग है कि जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्र में मांगी गयी धनराशि तत्काल दी जाये और वर्तमान में मैं जो चित्र दिखा रहा हूं और घायलों की जो सूची मैंने दी है उनके इलाज के लिये आपरेशन के लिये डाक्टरों की टीम, दवाओं की व्यवस्था की जाये। अगर वहां पर यह सम्भव न हो तो इसके लिये निजी अस्पतालों में भी इलाज का खर्च सरकार वहन करे। वहां पर मालती तायल का 6 महीने से पता नहीं मिला है। उनके पति श्री रमेश चन्द्र का शव मिला था। वह मृत घोषित हो गये थे। इसमें मुआवजा दिया जाये। एक अज्ञात लाश सुभारती अस्पताल में रखी है, डी0एन0ए0 टेस्ट हो चुका है, उसका पता नहीं लग रहा है, किसका है। उसका अन्तिम संस्कार कर दिया जाये और मालती तायल को मृतक घोषित करके मुआवजा दिया जाये और अस्पताल की व्यवस्था और 21 सितम्बर, 2006 को जो पत्र जिलाधिकारी ने लिखकर पैसा मांगा है वह पैसा दिलाया जाये और माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा का पालन हो। इसके साथ ही मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें धन का आवंटन हुआ था और धन पूरा नहीं मिला है। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसमें धन आवंटन किया जाये। इसके साथ ही मैं इस सूची को अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सूचनाएं किस क्रम में आ रही हैं यह पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

2-3 सूचनाएं ली गयी थीं। बाकी सूचनाएं स्वीकार नहीं हुई हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपकी ही व्यवस्था है कि 4 तारीख को दी गयीं स्वीकृत एवं अस्वीकृत सूचनाएं आज ली जायेंगी।

श्री अध्यक्ष-

सब स्वीकृत कैसे होंगी। जो इम्पार्टेन्ट है वह लेंगे। कल तो आप समय ले लिये, अपने साथियों को बोलने नहीं दिया।

(श्री सुखदेव राजभर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये। जो पहले स्वीकृत हुई थी, पहले उन्हें सुन लें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, एक बहुत ही व्यापक और संवेदनशील मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि काशी बहुत प्राचीन नगरियों में से है। वहां पर जो मकान बने हैं वह भी बहुत पुराने हैं, हजारों की संख्या में मकान बहुत जर्जर हैं, गिरने की स्थिति में हैं और गिरते भी रहते हैं, जनधन की हानि भी होती रहती है। कालान्तर में बहुत से मकान मालिकों ने उन जर्जर भवनों को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से सामान्य मरम्मत, परिवर्तन और परिवर्धन करा लिया है। लेकिन अत्यन्त दुख का विषय है कि जो मूल आवश्यकता आदमी की होती है, उसमें मकान भी एक है, वैसे तो रोटी कपड़ा और मकान यह तीनों हैं, तो जो पुराने जर्जर मकान खड़े हैं वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे हजारों मकानों को नोटिस पकड़ायी जा रही है। जो वर्षों के मकान मरम्मत हुए थे उनके नाम नोटिस निकाली जा रही है और पुलिस और पी0ए0सी0 के बल पर गिराने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में बता देना चाहता हूं कि कोई एक विदेशी संस्था है, एन0जी0ओ0 है, कौटिल्य वह एक व्यक्ति विशेष के निर्माण के विरुद्ध हाईकोर्ट में गयी थी और हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन बी0डी0ए0 के जो अधिकारी हैं, जब मकान बनता है उसमें मरम्मत होती है इसकी जानकारी उनको रहती है, लेकिन विभिन्न कारणों से आंख बन्द किये रहते हैं और जब ऊपर से तलवार लटकने लगती है तो अ... जान बचाने के लिये मकान को तोड़ने का अभियान छेड़ देते हैं। यही स्थिति वाराणसी की भी है। मैं उनकी वकालत करने के लिये नहीं खड़ा हूं जिसने कभी इन्क्रोचमेंट करने का काम किया या फिर अवैध कब्जा करके मकान बनवाया है। मैं उन हजारों मकान मालिकों की तरफ से खड़ा हूं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई चाहे वह बैंक से लोन लेकर या फिर कहीं से कर्जा लेकर, अपने सर को छिपाने के लिये मकान बनाने का काम किया है। मैंने कहा था कि इस क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तित कर दीजिये और विकास प्राधिकरण ने.....

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। आपकी बात आ गयी है। आपने कहा है कि जो पुराने मकान हैं वह तोड़े जा रहे हैं, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, नेताओं को बोलने की कोई सीमा नहीं है। हमें आप दो मिनट भी नहीं बोलने दे रहे हैं। तो मैं यह कह रहा था कि बी0डी0ए0 ने भू-उपयोग में परिवर्तन भी करा लिया है और नक्शे स्वीकार किये जा रहे हैं, मकान बन रहे हैं, चिन्तनीय स्थिति है, वहां दूसरी तरफ बी0डी0ए0 मकान को गिरा रहा है। कल मैंने नोटिस लगायी थी लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। कल ही बी0डी0ए0 ने लाव लश्कर लेकर मकान गिराये हैं और लोगों को गिरफ्तार किया है। लाठियों से वहां पर लोगों को पीटा है। ऐसे हजारों लोगों की वेदना और पीड़ा को मैं यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। अगर उनके सिर से यह छाया छीन जायेगी तो इस जाड़े की रात में उनका परिवार कहां जायेगा, कहां सोयेगा। मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि शासक होने के साथ-साथ मानवीय संवेदना को भी

नहीं भूलना चाहिए और ऐसे लोग जिन्होंने सामान्य मरम्मत किया है, सामान्य परिवर्तन किया है और वर्षों पूर्व किया है ऐसे लोगों के साथ यह अन्याय पूर्वक कार्यवाही नहीं की जाये। अगर उन्होंने कोई अवैधानिक कार्य किया है तो उसके लिये उन्हें नोटिस दिया जाये और उनको अपील करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाय, अगर वह अपील में अपनी बात मनवा लेते हैं तो उनको इससे मुक्ति दी जाये अन्यथा ऐसे लोगों के मकान जमींदोज न किये जायें और जो विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वह सर्वविदित है कि जब मकान बनते हैं तो वह लोग वहां पर जाते हैं और सुविधा शुल्क लेकर के अपनी आंखें बन्द कर लेते हैं और मकान बन जाते हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, दूसरे की जमीन पर भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों की वकालत मैं नहीं कर रहा हूं मैं उन लोगों की वकालत कर रहा हूं जो काशी जैसे प्राचीन नगरी में बहुत पुराने मकान में है उनको संरक्षण दिया जाये उनके मकान को किसी भी हालत में जमींदोज न किया जाय। कानून के तहत उनको अपने मकान बचाने का मौका दिया जाय और विकास प्राधिकरण द्वारा उनके मकानों को तोड़ने न दिया जाय इसी के साथ अपनी नोटिस की ग्राह्यता पर मैं बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गयी, आप बैठ जायें और इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार का कुछ आश्वासन मिल जाय कि उनके मकान नहीं तोड़े जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में चैम्बर में बात करके आपसे भी बात करवा दूंगा। इसमें जो करने लायक होगा वह किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण घटना पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, एक पिछड़े समाज के बेटे की हत्या दिन दहाड़े 25 नवम्बर, 2006 को ब्लाक मुख्यालय कौशाम्बी के सामने 11 बजकर 45 मिनट पर की गयी, उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूं। मान्यवर, श्री बाबू लाल विश्वकर्मा जो निहायत गरीब हैं, भूमिहीन व्यक्ति था, मान्यवर, वह ट्रैक्टर से बाजार जा रहा था और ब्लाक मुख्यालय कौशाम्बी के सामने जैसे वह ट्रैक्टर पहुंचता है मान्यवर, वैसे ही एक काली रंग की बोलेरो गाड़ी आती है जिसका नम्बर यू0पी0-73 बी 9047 होता है, उसमें समाजवादी पार्टी का झण्डा लगा होता है उसमें से पांच लोग रायफल, बन्दूक से लैस होकर उतरते हैं उसमें उमेश गौतम पुत्र राजपत गौतम, गंगा सरन पुत्र मोहन, अमृत लाल पुत्र उदय नारायण गौतम, बलराम पुत्र राजपत गौतम, राजेन्द्र बलुआ पुत्र श्याम सुन्दर बलुआ, यह पांच लोग उसमें से उतरते हैं और रायफल बन्दूक से गोलियां चलाने लगते हैं और मान्यवर, जो बाबू लाल विश्वकर्मा हैं उनको रायफल से गोलियां मार कर उसकी हत्या दिनदहाड़े कर देते हैं। सैकड़ों लोग ब्लाक मुख्यालय के

सामने जमा थे 11 बजकर 45 मिनट का समय था और वहां पर ठीक सामने ही बैंक था और वहां पर दो सिपाहियों की ड्यूटी भी लगी थी, इतना बड़ा जनसमूह होने के बावजूद भी किसी ने बीच बचाव करने की हम्मत नहीं की और न ही उसको पकड़ने के लिये किसी पुलिस वाले ने हिम्मत की। मान्यवर, यह हत्या क्यों हुई चूंकि वह व्यक्ति हत्या करने वाला उमेश गौतम प्रधान है, वह समाजवादी पार्टी का प्रधान है उसकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झण्डा लगा है मैं दावे के साथ कहता हूं जांच करा लें समाजवादी पार्टी का झण्डा और हूटर लगा काली बोलेरो गाड़ी थी और पुलिस का पूरा सहयोग था मान्यवर, 18-01-2006 को। मान्यवर, यह घटना बहुत गम्भीर है। 18-01-06 को पहली बार उसके ऊपर घटना की गयी थी वह भूमिहीन व्यक्ति था वह बेगारी करने नहीं गया था मात्र उसका कसूर यह है। कोई भी अपराध उसके ऊपर अंकित नहीं था। मान्यवर, उसके घर पर चढ़ाई की गयी। गोलियां चलायी गयीं। लेकिन जब पुलिस थाने पर यह सूचना दी गयी और एस0पी0 से मिला गया तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसके ऊपर एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। फिर आई0जी0 के हस्तक्षेप से 27-4-2006 को घटना का मुकदमा लिखा गया जबकि घटना 18 जनवरी की थी। मुकदमा लिखे जाने के बाद भी मान्यवर पुलिस उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। दूसरी घटना 29-10-2006 को हुई जब धान कुटाई के बाद वह साइकिल पर चावल लेकर जा रहा था। उस पर जीप चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उस पर पुलिस द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया जाता है जबकि उसको जेल भेजा जाना चाहिए था। पुलिस का अंकुश उस पर न लगने के कारण उसको मान्यवर बढ़ावा मिल गया और इसका हौसला इतना बुलन्द हो गया कि बाबू लाल विश्वकर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी। यह उमेश गौतम द्वारा यह जो कार्य किया गया है ...

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, इन घटनाओं के बाद से गांव के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं।

मान्यवर, राम मंगल पोस्ट मास्टर हैं केन्द्रीय कर्मचारी हैं। वह अपना खाते है। उनके दो लड़के हैं अजय और शिव शंकर वह दोनों पढ़े-लिखे लड़के हैं। उनको उसने बेगारी के लिये बुलाया। जब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें उसने मारा पीटा। मान्यवर, जब 25-10-06 को इसकी सूचना दी गयी थाने पर कि उमेश गौतम ने मारा पीटा है और जब राम मंगल पुलिस थाने पर सूचना देकर लौट रहे थे तो उनका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करके उन्हें जीप में बिठाया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है और प्रताड़ित करके छोड़ दिया जाता है। मान्यवर, राम मंगल के साथ-साथ बृजलाल पासी को भी 24 तारीख को मारा पीटा जाता है और जब वह एफ0आई0आर0 कायम कराने के लिये जाते हैं तो एफ0आई0आर0 कायम नहीं होती है। मान्यवर, वह घटना भी इसी बदमाश उमेश ने की। मान्यवर, इस बदमाश उमेश गौतम ने राम बहादुर चमार के साथ मारपीट की घटना की।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, उसने पंगु [x x x] का मारा पीटा। बच्चा [x x x] को पीटा। गुलाब [x x x] के साथ मारपीट की। राम सवारे पाल, झुरई पाल को प्रताड़ित किया है। उसने राम छाया पाल, बच्चा पाल, लकड़ू पाल से बदसूलकी का काम किया। उसने राम दास केवट को मारा पीटा। उसके हाथ तोड़ दिये प्रेम केवट के साथ गाली गलौज किया और मारा पीटा। कौशल पुत्र सुन्दर लाल को जान से मारने की धमकी दी।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा तो नहीं हो रही है। पूरी घटना तो आपने बता दी है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, उसमें इसी तरह से झल्लर केवट, ठाकुर केवट, मोती पासी और विशेषर वैश्य के साथ मारपीट की घटनाएं की हैं। यह 14-15 लोगों को मारा पीटा। उसके ऊपर एफ0आई0आर0 कायम की गयी। पुलिस उसका थाने में स्वागत करती है। उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप हमें अलग से लिख कर दे दें। हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 26 धाराएं लगी हैं उसके ऊपर और पुलिस ने पकड़ा नहीं है। जो भूमिहीन है, जिसके ऊपर 7-7 बच्चों की जिम्मेदारी है 4 लड़कियां हैं। मान्यवर, यह सरकार पिछड़ों का दम भरती है और आप पिछड़ों की बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इतनी देर से आप अपनी बात कह रहे हैं, अब आप बैठिये आपने अपनी पूरी बात कह दी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप सरकार को भी तो सुनिये, यह गलत बात है।

(श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना घटी, एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी विवेचना हो रही है इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जायेगी और जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जो माननीय सदस्य ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी का झंडा लगाये थे। झंडा तो आप जैसा कि स्वयं जानते हैं झंडा का प्रचलन इतना ज्यादा हो गया है कि जिसकी सरकार होती है उसका झंडा टैक्सी तक में लगा लेते हैं तो इससे कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बन जाता है और न ही इससे कोई वास्ता है। एक आपराधिक घटना है इसमें जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी और कहीं भी किसी प्रकार का उस प्रक्रिया में कोई प्रभाव या दबाव कहीं भी प्रयोग में नहीं आयेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, हम आभारी होते बाजपेयी जी के अगर वह कुछ घोषणा करते। वह एक अनाथ परिवार, भूमिहीन परिवार से है। 7 बच्चे हैं, पहाड़ जैसी जिन्दगी है उसकी पत्नी की बच्चों का इतना बड़ा दायित्व है। इसमें सरकार को 5 लाख की घोषणा करना चाहिए था और टाइमबाउन्ड करती है कि उतने समय में वह अपराधी को पकड़ कर जेल भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कह तो रहे हैं कि कार्यवाही होगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, वह और हत्या करके जेल जाने की धमकी दे रहा है।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, 17 मुकदमें उसके ऊपर दर्ज है आसपास के गांव में आतंक है। 17 मुकदमों में लिस्टेड है और हत्या में मुल्जिम है और यह कह दिया गया कि इस मामले में विवेचना होगी तब कार्यवाही होगी। मान्यवर, वह एन0एस0ए0 तक का मुल्जिम है। जिसके पास एक पुड़िया गांजा नहीं उसको गांजा में चालान किया गया है और यहां 17 मुकदमें हैं और कुछ नहीं हुआ है। यह रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष-

वह हमें दे दें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जो पोस्ट मास्टर है, वह भागा है घरबार छोड़कर उसने इतनी दरख्वास्त दी उसने रजिस्ट्री किया, 3 बार हमला हुआ, अपहरण किया गया लेकिन मुकदमा नहीं लिखा पुलिस ने उसको भी हत्या की धमकी दे रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं मैं सरकार से मांग करता हूं पिछड़े समाज का बेटा मरा है 5 लाख रुपये की घोषणा करनी चाहिए और एन0एस0ए0 की कार्यवाही होनी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जिस घटना के विषय में माननीय सरोज जी ने कहा बाबू लाल विश्वकर्मा जिसकी हत्या हुई उसका देहान्त हो चुका। उस पर 17 अन्य मुकदमें वांछित हैं, वह हिस्ट्रीशीट कुख्यात अपराधी है और अगर माननीय मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि आजकल परम्परा चली है सत्ता पक्ष का झंडा लगा लेने की, मैं इससे कोई नाइत्तिफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर वह दोषी हैं तो माननीय मंत्री जी अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों सुनिश्चित नहीं कराये और थोड़ी भी संवेदना है जैसा कि माननीय मंत्री जी और सरकार खुद कहती है कि प्रदेश में अमन चैन है, प्रदेश में कानून का राज है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सरोज जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और इस घटना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसको गम्भीरता से दिखवाये। अब आप बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं कहना चाहता हूं कि 5 लाख रुपया मृतक परिवार को दिया जाय क्योंकि उनके 7-7 बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं रुपया तो नहीं दिलवा सकता। मैं कैसे मांग पूरी कर सकता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और वह भूमिहीन भी है, आप माननीय मंत्री जी को बुलवा दें। माननीय मंत्री जी से आप कह दें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार पूरा का पूरा [× × ×] मचाये हुये हैं, गुन्डे, माफिया अपराधी आज पूरे सत्ता के संरक्षण में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी गुन्डो माफियाओं के सामने घुटने टेक चुकी है। मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ लिखा नहीं जायेगा और न यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

(इस समय 2 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए)

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहली दिसम्बर दिन शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। यहां पर भेड़ीमंडी स्थित नगर निगम के स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विटामिन ए का घोल बच्चों को पिलायाा गया। इससे डेढ़ दर्जन बच्चे बीमार हो गये और उसमें से अस्पताल में एक लड़की मानसी की मौत हो गयी और दो बच्चे, एक बच्चा आकाश वेन्टीलेटर पर है और अन्य बच्चों की हालत गम्भीर है। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज शासन का क्या रवैया है। मेरे सामने रिपोर्ट रखी है, एक विभाग, स्वास्थ्य विभाग यह कह रहा है कि जो बच्चों की तबियत खराब हुयी है वह मिड डे मील खाने के कारण हुयी। शिक्षा विभाग कह रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने विटामिन ए का जो घोल पिलाया, इसलिये बच्चे बीमार पड़े और आज यह बात प्रकाश में आई है कि के0जी0एम0यू0 में ट्रामा सेन्टर में जो बच्चा भर्ती है, उसका इलाज हो रहा है वहां के डाक्टर यह कह रहे हैं कि कीटनाशक दवा पिलाने से इन बच्चों की हालत गम्भीर हुयी है और मानसी की मौत कीटनाशक दवा पीने से हुयी है। जहां 3-3 प्रकार की बातें आज फैली हुयी है, उससे एक भय का वातावरण स्कूलों में है और अभिभावकों में भय का वातावरण है। यहां पर सरकार की ओर से ए0डी0एम0 को नियुक्त किया गया कि वह इसकी इन्क्वायरी करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि ए0डी0एम0 इसकी इन्क्वायरी नहीं कर सकता यह उसके बस की बात नहीं है। मैं शासन से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच बहुत बड़ी बात है हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के पास इस तरीके की और घटनायें घटें, जहां पर बच्चों के विटामिन ए के नाम पर कीटनाशक दवा पिला दी जाय और प्रदेश के अन्दर भविष्य में और इस तरह की घटनायें घटें। यह अत्यन्त दुखद है इसलिये मैं इस घटना के बारे में यह मांग करता हूं कि एक सिटिंग हाईकोर्ट के जज से इसमें जांच कराई जाय। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि जो मानसी लड़की की मौत हुयी है उसके परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाय।

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, एक तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र के भेड़ी मण्डी में नगर निगम के स्कूल में परिवार नियोजन एवं बाल स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत बालकों को विटामिन ए दिया गया जैसे ही बालकों को विटामिन ए का पहले बालक को ड्राप पिलाया गया तत्काल घोल पीते ही बालक 5 मिनट के अन्दर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा, उल्टी दस्त प्रारम्भ हो गये। तत्काल अन्य बालकों को न पिलाया जाय, यह प्रयास किया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डाक्टरों ने लगातार वह घोल बालकों को पिलाया और जब बालकों की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो डाक्टरों ने आरोप लगाया कि यह मिड डे मील योजना के अन्तर्गत दिये गये भोजन से बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया है। बच्चों के अभिभावक जो वहीं रहते थे मान्यवर, नगर निगम में केवल गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, जब पूरे क्षेत्र के अभिभावक वहां इकट्ठे हो गये तब उन बालकों को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पहुंचते-पहुंचते एक बालक की मृत्यु हो गई और कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह जो केन्द्र सरकार की योजना के नाम पर बालकों को विटामिन की जगह जहर पिलाया जा रहा है, इसके लिये मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें और जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उनके घर वालों को पांच लाख रुपये और जो अस्पताल में हैं उनके अभिभावकों को दो-दो लाख रुपये दिये जायें। मान्यवर, अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती रहीं और वह भी उत्तर प्रदेश की राजधानी के अन्तर्गत तो प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से जनता का विश्वास उठ जाता है अभी भी गरीब लोग अपने बच्चों को पोलियों ड्राप पिलाने से मना कर देते हैं। इस गम्भीर समस्या पर मैं आपसे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं और मृतक के परिवार वालों को पांच लाख रुपये और जो भर्ती है उनके परिवार वालों को दो-दो लाख रुपये दिये जाने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।

(सदस्य श्री राम इकबाल सिंह का नाम पुकाने जाने पर)

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरा विषय दूसरा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले इस पर सरकार का जवाब आ जाए।

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, यह दुःखद घटना है, बच्चों के स्वास्थ्य पर विटामिन-ए का घोल पिलाने से जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, सरकार इसकी गम्भीरता से जांच कर रही है। जिन्होंने इसमें लापरवाही की है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। यह भारत सरकार की योजना है, इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को विटामिन ए पिलाये जाने की घोषणा की गई थी, जबसे यह घटना घटित हुई है तब से इसे पिलाने पर रोक लगा दी गई है। जांच चल रही है जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, नगरपालिका के स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, मैंने उनके परिवार को मुआवजा देने के लिए आग्रह किया था, उस पर माननीय मंत्री जी कुछ कह दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे ?

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं एक हृदयविदारक घटना की और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, हमारी सूचना गन्ना किसानों से सम्बन्धित है।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, हमारी सूचना पर पीठ की ओर से निर्णय आ जाए।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना पर मा0 मंत्री जी द्वारा बात आ गयी है। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य कर दी गई है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, नियम-56 में मेरी भी सूचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो मिनट में सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं मद संख्या-14 ले रहा हूं। मद संख्या-14 के संकल्प पर श्री हुकुम सिंह जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, नियम-56 में मेरी भी सूचना है। आज किसान लूट रहा है, पिट रहा है। क्रय केन्द्र नहीं लग रहे हैं, किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। मैंने गन्ना किसानों के ऊपर सूचना दी है, इसको सुन लें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, दो-दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, सिर्फ दो-दो मिनट में अपनी बात कहें।

*श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत गम्भीर घटना की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, समझ में नहीं आता है कि इस सरकार के रहते कितने लोग भूख से मौत के शिकार होंगे। कई घटनाओं का जिक्र मैंने विगत वर्षों में किया है। मेरे क्षेत्र में 2 नवम्बर, 2006 के दिन एक घटना घटी, एक भूमिहीन महिला, जिसके 8 बच्चे हैं उसका पति मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता था। सुबह के करीब 8.00 बजे के आसपास थाना नगरा, ग्राम गुठवां-गुठाई सेमरी की रहने वाली नेवाती देवी का निधन हो गया। मान्यवर, इसके पहले भी 23 सितम्बर के दिन अखबारों में जब समाचार छपा था उसके घर के लोगों ने कहा कि भूख से परेशान हैं मेरे पास जीने का कोई साधन नहीं है। मान्यवर, मैंने कुछ सहयोग भिजवाया था लेकिन जितना सहयोग शासन की तरफ से होना चाहिए वह नहीं हो पाया। उस गरीब महिला के 8 बच्चे हैं। यह मैं जानता हूं कि सरकार उन जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही नहीं करेगी, सरकार की विवशता है, कितने भूख से मरने वाले लोगों पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यवाही करेगी। मैं सरकार से केवल कहना चाहता हूं कि मृतक महिला के 8 बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची डेढ़ वर्ष की और सबसे बड़ा बच्चा 11 वर्ष का है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि घर में महिला का पति बचा है वह भी शारीरिक रूप से कमजोर है, क्योंकि कभी पेट भरा नहीं। मैं मानवीय आधार पर चाहता हूं कि 8 बच्चे हैं और आठों नाबालिग हैं, नौकरी की मांग नहीं कर सकता क्योंकि उनकी उम्र नहीं है इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि 8 बच्चे हैं। देश का दुर्भाग्य है, आजादी के 59 साल के बाद अभी पब्लिक में जागरूकता नहीं पैदा कर पाये कि लोग परिवार नियोजन के कार्यक्रमों पर अमल करें। अशिक्षा और अज्ञानता में गरीब अनगिनत बच्चे पैदा करते जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसी समस्या है मृतका के पास एक फुट जमीन नहीं है, एक झोपड़ी में रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस परिवार के जीवन के लिए उनके बच्चों की दो वक्त की रोटी मिल सके इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उस परिवार को करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं नियम-56 के तहत इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, सरकार से कुछ आश्वासन आ जाए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

इसका संज्ञान ले लिया है जो भी वाजिब कार्यवाही होगी अवश्य करेंगे।

हुकुम सिंह जी सहारनपुर वाले में या मेरठ वाले किसमें आपने आर्थिक सहायता की बात कही थी। उसकी विधवा की सर्विस के बारे में भी कहा था।

श्री हुकुम सिंह-

सहारनपुर के बारे में।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है, उसकी विधवा की सर्विस के बारे में एक दरख्वास्त दिलवा दीजिएगा सर्टीफिकेट लगाकर मुझे दे दीजिएगा। अगर यह रामपुर में हो जाए तो कैसा रहेगा ?

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है। मैं पूरी जानकारी करके आपको आवेदन-पत्र भिजवाऊंगा। यह जानकारी कर लूंगा कि वह पढ़ी-लिखी है या नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इनकी क्वालीफिकेशन क्या है।

श्री हुकुम सिंह-

इस समय जानकारी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक दरखास्त सारी सर्टीफिकेट के साथ विडो की दिलवा दीजिए इसमें जो भी वाजिब कार्यवाही होगी की जायेगी।

राम इकबाल सिंह जी की जहां तक सूचना का प्रश्न है इसमें जो भी वाजिब कार्यवाही होगी की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की है।

*श्री मुंशी लाल गौतम-

अधिष्ठाता महोदय आपने नियम-56 की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। मेरे जनपद बुलन्दशहर में सहकारी चीनी मिल अनूप शहर और बुलन्दशहर के जो गन्ना सेन्टर थे जो हमारी विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं उनमें 16 गन्ना सेन्टर निजी चीनी मिल साबितगढ़ को स्थानान्तरित कर दिए। एक तो सरकार ने अभी तक कोई गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया है किसान को अपना गेहूं बोना है किसी को ईख बदलनी है किसी को ईख पलटनी है। गन्ना क्रय केन्द्र न लगने के कारण किसान परेशान है जो तोल वहां पर लगी भी है उनमें 70 से 80 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना लिया जाता है। जबकि चीनी मिलों द्वारा 120 रुपये प्रति कुन्तल नगद भुगतान किया जाता है। किसान 70 से 80 रुपये में जो गन्ना दे रहे हैं उनको एक तो जब गन्ने का रेट बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ रेट नहीं मिल पाएगा। दूसरे तौल भी कम रहती है किसान दोनों तरह से लुट रहा है मेरा कहना यह है कि अगर निजी चीनी मिल को सेन्टर दिए गए हैं तो तत्काल यह सेन्टर लगवाए जायं क्योंकि गन्ना एक साल की फसल है इसी से किसान अपने बच्चे की पढ़ाई करवाता है, बेटे/बेटियों की शादी करता है सारे काम इसी पैसे से होते हैं लेकिन आज किसान लुट रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जाय और हमारे क्षेत्र में गन्ना क्रय केन्द्र खोले जायं जिससे चीनी मिलों द्वारा जो रेट निर्धारित है उसी रेट पर हमारे यहां के किसानों का गन्ना जा सके। यह तात्कालिक घटना मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। इसको लेकर जनता धरना प्रदर्शन कर रही है सभी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। अधिकारियों से भी मिले हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मैं भी इस पर दो मिनट में अपनी बात रखूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र केराना जिला मुजफ्फरनगर में है वहां पर 30 गांव ऐसे हैं जिनका गन्ना अभी तक शामली सुगर फैक्ट्री में जाता रहा है। इस बार कई कारणों से एक कारण यह बताया गया कि वहां से 50 कि0मी0 दूर तितावी मिल की क्षमता बढ़ाने के कारण 23-24 गन्ना सेन्टर शामली से तितावी मिल में जायेगा। तितावी सुगर मिल की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षमता अभी तक नहीं बढ़ पाई है जिस कारण उन गन्ना किसानों का गन्ना अभी तक क्रय नहीं किया जा सका है। न ही गन्ना शामली में जा रहा है न तितावी मिल में इस कारण किसान परेशान हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन भी किसानों की तरफ से दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी इससे अवगत हैं फिर से आपको अवगत कराने के लिए दो मिनट में मैंने अपनी बात रखी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हुकुम सिंह जी आप अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं कल से इस मामले में दिलचस्पी ले रहा हूं। इसमें अपने नेता से कानाफूसी कर लें। मैं बराबर इस कोशिश में हूं कि इस समस्या का निदान हो जाय। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं मैं भी इस समस्या का निदान चाहता हूं क्योंकि इसमें किसानों का भला है। जब किसानों का भला होगा तो उसका हमें भी श्रेय मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा सदन के माध्यम से संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश 1950 की क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किसी भी धर्म के अनुयायी को समानरूप से आरक्षण की सुविधा दिये जाने सम्बन्धी भारत सरकार से की गई मांग के संकल्प पर चर्चा †

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-14 में संकल्प प्रस्तुत हो चुका है। संशोधन आना है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री मुंशी लाल गौतम का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''संकल्प में जहां पर भी शब्द 'ईसाइयों और मुसलमानों' या 'ईसाई और मुसलमान' आये हैं उन शब्दों को संकल्प से निकाल दिया जाय।'' स्वाभाविक है कि जो मैंने संशोधन दिया है वह इस कारण से दिया है ताकि इस संशोधन के माध्यम से संकल्प का विरोध कर सकूं और विरोध करने के कारण बता सकूं। एक बात जो मुझे नजर आई है वह यह कि जो सदन की उपस्थिति आज है और जिस प्रकार से दो दल यहां से गायब हुए हैं कारण स्पष्ट है कि वे न तो इसका समर्थन कर सकते हैं और न ही इसका विरोध कर सकते हैं इसलिये वे किसी न किसी बहाने से यहां से चले गये और इससे इस प्रदेश की राजनीति कहां जा रही है, क्या दिशा ले रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम विरोध क्यों करते हैं पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि 3 साल से यह सरकार है और जब चुनाव के दो महीने रह गये तो आपको चुनाव के दो महीने पहले इस आरक्षण की याद क्यों आई। तीन साल तक आपको इस आरक्षण की याद क्यों नहीं आई। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपका कोई भी इरादा इनको लाभ

† दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 की कार्यवाही से।

पहुंचाने का नहीं है। आप इस आरक्षण का मुद्दा लाकर केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिये हम आप लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। एक हम ही आपके दुःखदर्द को समझने वाले हैं, आपके हितैषी है। आपको पता है कि तीन महीने में कुछ होने वाला नहीं है। जो आपकी कार्य शैली रही है वह यही है कि बात कह दें परिणाम कुछ हो न हो। लोगों को समझाने की कोशिश कर दें, लोगों को बरगला दो कि अकेली समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों का हित करने वाली है, आप लोगों की बेहतरी के लिये काम कर रही हैं। इसी कारण से इस तरह का प्रस्ताव लाकर एक भ्रम की स्थिति फैलाने के लिये यह काम कर रहे हैं अगर आप वास्तव में इसके लिये गम्भीर हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस संकल्प को लाने से पहले कोई सर्वेक्षण करवाया कि कौन से ऐसे वर्ग हैं, ऐसे समुदाय हैं जिनको आप आरक्षण की परिधि में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई सूची संकल्प के साथ आनी चाहिए थी कि यह जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ ले रही हैं और सर्वे करने के बाद आप जिनको हमपेशा कह रहे हैं उनको इसमें जोड़ने की बात करते। जिनको आप हमपेशा कह रहे हैं वे कौन-कौन से लोग हैं जो उस तरह के व्यवसाय में लगे हुए हैं, इसकी सूची संकल्प के साथ लगनी चाहिए थी। इससे आज हमको भी अपनी बात कहने में सुविधा होती। यहां पर यह बिल्कुल स्पष्ट भी नहीं है। आप प्रस्ताव ले आये हैं कि संविधान में संशोधन कर दिया जाय। मान्यवर, ऐसी स्थिति में आपको भी जानकारी है कि जाति व्यवस्था पर यह सारा आरक्षण खड़ा है। एक स्थिति हमारे देश की बिल्कुल स्पष्ट है कि मण्डल आयोग के बाद और उसके पहले ओ0बी0सी0 को जो आरक्षण दिया गया वह जातियों के आधार पर दिया गया। आप एस0सी0 की बात कह रहे हैं मैं ओ0बी0सी0 की बता रहा हूं। ओ0बी0सी0 में की जातियां किसी भी धर्म को मानने वाले थे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं दिया गया। उदाहरण देना चाहता हूं कि जाट मुसलमान भी है और जाट हिन्दू भी हैं। गुर्जर हिन्दू भी है और गुर्जर मुसलमान भी है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

ऐसा नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

ऐसा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा नहीं है तो फिर आप अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

अगर नहीं है तो वापस क्यों ले लूंगा। जब मुझे जानकारी है कि ऐसा ही है।

एक सदस्य-

इसका फैसला कैसे होगा ?

श्री हुकुम सिंह-

इसका फैसला हम करेंगे आप करेंगे। आपको भी पता है कि मुसलमान गुर्जर रायबरेली में है, सुल्तानपुर में हैं, अमेठी में हैं। अब चूंकि यह तो खां साहब है तो इनको जाट, गुर्जर कहां नजर आयेंगे। इनको तो सब खां नजर आते हैं। मान्यवर, यह चूंकि आरक्षण का एक आधार है। उस आधार को मानकर बिना किसी मजहब के बिना किसी भेदभाव के वहां आरक्षण किया गया। अब मान्यवर, थोड़ा सा इसमें देखें जिस प्रकार से यह संकल्प आया है, आपकी अनुमति से थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा-उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार .... क्या यह सरकार समाजवादी है ? समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या यह ? मान्यवर, यह गठबन्धन सरकार है। किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है और इस सरकार में समाजवादी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकदल भी है। यह राजेन्द्र राणा जी बैठे हुए हैं इनकी भी एक पार्टी अलग से है। इनको भी मान्यता मिली हुई है इसमें लोकतांत्रिक कांग्रेस की भी सहभागिता है। सरकार में सहभागिता है आपके समर्थन में थोड़े ही वह बैठेंगे, लेकिन यह सरकार एक पार्टी की नहीं है। यहां समाजवादी इस्तेमाल करके, क्या राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ नहीं है ? अगर यह कहते कि उत्तर प्रदेश सरकार तो मैं मान लेता। सरकार का वजूद सरकार का होता है। सरकार का वजूद पार्टी से अलग होता है। उसको पार्टी से चिन्हित नहीं कर सकते हैं। संविधान में जब संशोधन की बात आई, संकल्प आया है, तो यह मैं इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा 'टोटली इन कन्सीव्ड' क्या संदेश देना चाहते हैं आप ? क्या आपके सहयोगी आपके साथ नहीं है ? क्या संदेश देना चाहते हैं ? कौकब साहब भी नहीं है हम तो अकेले प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, लेकिन आज मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

टोटली इन कन्सीव्ड या मिस कन्सीव्ड इन या मिस।

श्री हुकुम सिंह-

दोनों।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह तो बताइए कि यह शब्द किन हालात में इस्तेमाल होता है।

श्री हुकुम सिंह-

उस हालत में इस्तेमाल होता है जहां मिस कन्सेप्शन हो जाता है वहां इस्तेमाल होता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नतीजा इस शब्द का फिर क्या होता है हो जाए तब या ना हो जाए तब ?

श्री हुकुम सिंह-

जहां मैंने शब्द का इस्तेमाल किया वह सही किया है। मेरा एतराज इस शब्द के ऊपर भी है कि संकल्प सरकार का होता है। संकल्प किसी पार्टी की सरकार का नहीं होता है मैं निष्कर्ष निकाल पाऊं या न निकाल पाऊं। आपके जो घटक हैं वह आपके साथ नहीं हैं अगर वह आपके साथ नहीं है

तो पार्लियामेन्ट की डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रणाली में, इस प्रकार के संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, आगे देखें इसमें 'भारत सरकार से मांग करती है' एक सरकार भारत सरकार से मांग कर रही है तो करे मांग। इस सदन को माध्यम बनाने की क्या आवश्यकता है। मान्यवर, सदन में वह संकल्प आते हैं जो सदन के संकल्प मानकर चले जाते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी जानना चाहता हूं यह संकल्प सदन का संकल्प नहीं है। कोई पहली बार शायद संकल्पों के इतिहास में इस प्रकार का संकल्प आया कि सरकार ने अपना संकल्प हमारे माध्यम से भेजने की बात कही। हमको तो केवल माध्यम माना है। आप हमारा अनुमोदन नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं संकल्प आपका रह जाए हमारे माध्यम से। जाए सदन के माध्यम से तो आपको सीधा संकल्प भेजने में भारत सरकार को क्या दिक्कत थी ? इस मशीनरी का, इस सदन का अपव्यय करने की क्या आवश्यकता पड़ी ? मैंने इन कन्सीव्ड, मिस कन्सीव्ड इसलिए कहा था कि भ्रान्तियों से भरा यह संकल्प है। मान्यवर, आगे कहते हैं कि ईसाइयों और मुसलमानों के दलित तबको को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है। कौन से हैं वह दलित तबके ? और संविधान के किस अनुच्छेद में किसको दलित इस्तेमाल किया गया है। आप पूरा संविधान देख लें दलित शब्द कहीं संविधान में नहीं है। संविधान के संशोधन की बात करें तो शब्दावली तो वही लायेंगे। उसमें मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द है। दोनों शब्द जाति से जुड़े हैं। कोई शब्द दलित वहां पर नहीं है तो आप कह रहे हैं, दलित तबकों को, लेकिन दलित तबके हैं कहां ? कौन से तबके की बात आप कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में बतायें कौन दलित तबका है ? हमारी सरकार मांग करती है कि जिन वर्गों को भारत के संविधान के अनुच्छेद-149 के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है वह चाहे किसी धर्म के अनुयायी हों उन्हें समान रूप से आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए।

''अर्थात्, जिन तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों उन्हीं के हमपेशा वर्गों को चाहे वह मुसलमान हों या ईसाई हों'', मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब धर्म की बात थी तो इसको ईसाई और मुसलमान तक ही सीमित क्यों रखा, आपने जैन की बात क्यों नहीं की ? मुसलमान और ईसाई में एक जाति नहीं होती, मुसलमान एक कम्पेक्शन है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, टाइम बढ़ा लें तो सही होता।

श्री हुकुम सिंह-

मैं अपना तर्क दे रहा हूं क्योंकि जैन एक माइनारिटी में है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि मुसलमानों में कोई जाति की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नहीं बढ़ाया गया। आजम साहब जाति की व्यवस्था जहां तक थी, मुसलमान में केवल वह जातियां थी जिन को किसी न किसी समय में, किसी न किसी शासनकाल में जबरदस्ती कहिए, विवशता कहिए, प्रलोभन कहिए या उनकी अपनी मर्जी से कहिए, उन्होंने एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार किया, लेकिन

स्वीकार करने के बाद भी अपनी जातियों को बनाये रखा, वह अब तक चला आ रहा है, उसी नाम से आज तक उनके समकक्ष जो हिन्दू जातियां थीं, जो सुविधाएं उपलब्ध थीं, वह आज भी उन्हें उपलब्ध है। आगे मान्यवर, अन्तिम देखें-"उसी प्रकार केवल धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण की सुविधा से महरूम करना संविधान का उल्लंघन है।" क्योंकि मैं दोबारा दोहराने की गुस्ताखी कर रहा हूं, यह 'मुसलमान दलित' शब्द कहां से आ गया ? किसी किताब में लिखा है, किसी सर्वेक्षण में आया है, किसी रिपोर्ट में आया है या संविधान में आया है ? कहीं यह शब्द नहीं आया, यदि आपने ऐसे किसी नए शब्द की परिकल्पना की है तो उसका स्वरूप हमारे सामने भी आना चाहिए कि इनको वंचित किया गया है, वह सामने आना चाहिए। कुछ और बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा आजम साहब ध्यान देंगे. इतिहास हम थोड़ा बहुत जानते हैं, 800 साल लगभग इस देश में वह शासन रहा, किसी भी परिवार का रहा हो, लेकिन उनका धर्म और मजहब मुसलमान था, चाहे सूरी, मुगल रहे हों या गजनी रहे हो, 800 साल के शासनकाल में उन वर्गों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ा पाए बल्कि 800 सालों तक जिस वर्ग को गुलाम बना कर रखा, उन पर जजिया कर लगाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। 800 वर्षों के शासनकाल में उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ा पाए तो आपको कितना काल चाहिए, आजम खां साहब, यह मैं पूछना चाहता हूं कि कितना कार्यकाल और चाहिए ? उसके बाद अंग्रेज आते हैं, लगभग 200 साल तक शासन उनका रहता है, उसके बाद भी उस शासनकाल में कितनी बड़ी संख्या, आपने भी विरोध किया होगा, उस शासनकाल में कितनी बड़ी संख्या ईसाइयों की बनी, गरीबों को प्रताड़ित किया गया और यदि उन 200 साल में ईसाइयों को सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ा पाए तो इस शासनकाल में किस प्रकार से मान सकते हैं कि वह पिछड़े हुए हैं। मान्यवर, या वह सामाजिक रूप से हटे हुए हैं या शैक्षिक रूप से पीछे हटे हुए हैं। देश के लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियां दी गयी हैं इन कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। हिन्दुत्व की रक्षा के लिए गुरू तेगबहादुर या गुरू गोविन्द सिंह की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है इन शहीदों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उस समय की व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत बड़े समुदाय के ऊपर अन्याय हो रहा था, एक बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित किया गया और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और आजादी के बाद इन बन्धनों को, अछूत वाले वर्ग को समाप्त करने का संकल्प था। यह राष्ट्रपिता का सपना था और उन शहीदों का सपना था जो फांसी के तख्ते पर लटकाये गये। मान्यवर, सारे राष्ट्र में एक रूपता लाकर संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था थी। मान्यवर, उस समाज को वोटों के लिए तोड़ने का प्रयास किया गया। जिन लोगों का सदियों से शोषण हुआ हो और संविधान में उनकी सुविधा के लिए कुछ व्यवस्था की गयी तो उसे भी छीनने का प्रयास मत कीजिए। उनके लिए विधान सभा, न्यायपालिका, पार्लियामेंट में, सेवा में आरक्षण की व्यवस्था की है। व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि जिन पर हजारों साल तक अन्याय होता रहा वह लोग मुख्यधारा में जुड़ें। मान्यवर, यह संकल्प हमारे राष्ट्र और समाज को बांटने का संकल्प है। मान्यवर, नमाज पढ़ने की आजादी हो, पूजापाठ करने की आजादी हो लेकिन कुछ लोग वोट बढ़ाने के लिए समाज को हिन्दू मुस्लिम के नाम पर तोड़कर आरक्षण की सुविधा देना चाहते हैं। समाज को तोड़ने का प्रयास यह कर रहे हैं। यह संकल्प समाज को तोड़ने

का प्रयास है। अगर आपके मन में राष्ट्र प्रेम है तो कहिए कि जो व्यवस्था है वह सबके लिए समान है। कहां पाबन्दी है आपके ऊपर। आप तो खां साहब हो। क्यों नहीं फौज में भर्ती होने के लिए जाते। सारी उम्र तलवार चलायी, तोप चलायी। देश को भी गुलाम किया और आज देश की रक्षा के लिए फौज में क्यों नहीं जाते हैं। इसलिए अगर एकरूपता लानी है तो देश की रक्षा के लए रक्षापंक्ति में आगे खड़ा होना पड़ेगा। अब्दुल हमीद बनिए। मैं तो खुद सेना में रहा हूं। हमारे जवान पाकिस्तान के साथ युद्ध करते थे, उन पर गर्व होता था। मेरा अनुरोध है कि यह सरकार इस संकल्प पर पुनर्विचार करके वापस ले ले और समाज को तोड़ने से बचाएं।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें थोड़ा समय की पाबन्दी कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, 5 मिनट में बोल लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें कितने सदस्य बोलेंगे इस पर यह तो आप ही तय करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें तीन सदस्यों के नाम हैं। पांच-पांच मिनट में यह बोल लें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

संविधान के संशोधन पर तो बोलने दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कहां समुन्दर में ले जाकर धक्का देने वाला मश्विरा तो नहीं दे रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं इससे अपने को सम्बद्ध करता हूं हमारा देश सैक्यूलर कन्ट्री है धर्म निर्पेक्षता और पंथ निर्पेक्षता कह लीजिये। संविधान के तहत व्यवस्था है और इसके अन्दर धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जा सकती। मान्यवर, मैं एक डिसकसन सुन रहा था, सुभाष कश्यप जी, जो महासचिव थे, इसके जानकार हैं, उनका वक्तव्य था अगर इसमें देखें तो नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार संकल्प लायी है, कांग्रेस के लोग यहां पर नहीं हैं, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आज धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करेंगे और सुविधाएं देंगे तो समाज को तोड़ने का काम तो नहीं चल रहा है ? आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यकों को कैसे ज्यादा समर्थन दिया जाय इसका प्रयास चल रहा हैं मान्यवर, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी वहां पर मुस्लिम को आरक्षण देने का उन्होंने काम किया था लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा कि वहां के उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने

उसे नहीं माना। पांच प्रतिशत दिया गया था। मान्यवर, शिक्षा हर गरीब आदमी को चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो उसे अवसर मिलना चाहिए। यहां पर दो विधेयक लाये गये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय का आपने बहुत विरोध किया था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी का भी विरोध किया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं तो भूल ही गया आपने याद दिलाया। आप ही के मित्र याद दिला रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पहले मुझे कह तो लेने दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने उसका विरोध किया था।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा मानना है कि शिक्षा में हर जाति, हर धर्म, अमीर गरीब सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यह सरकार का दायित्व भी है कि सबको शिक्षा दे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर वोट बैंक के आधार पर एक इन्टीग्रल यूनिवर्सिटी का विधेयक आया जिसमें पचास प्रतिशत आरक्षण की बात हुई, माइनॉरिटीज की और इसमें भी केवल एक का अन्य को सम्मिलित नहीं किया गया। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिक्र किया है कि मैंने उसका विरोध किया था तो मैंने इसलिए विरोध किया था कि जब उर्दू विश्वविद्यालय का विधेयक आया था। (व्यवधान) बात तो सुन लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप तो बहुत प्रतिष्ठित है। मैं आपको मन से पढ़ा लिखा मानता हूं, आप यह कहें यह शोभा नहीं देता। बिल पेश हुआ यहां वह उर्दू यूनिवर्सिटी का बिल था यहां से पास हुआ, उस पर आपने राय दी है। आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति मगर ऐसी बात करेगा, तो यह उचित नहीं हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं ब्रीफ में कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप जैसा व्यक्ति कहे यह ठीक नहीं है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। आप मेरा इशारा समझ गये होंगे। तो एक विधेयक आया, पचास प्रतिशत को दिया गया। उसमें सिख, जैन आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। उसमें नहीं

व्यवस्था है। पचास प्रतिशत उनके लिए नौकरियों में व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर इससे भी ज्यादा, कांग्रेस पार्टी के लोग यहां पर नहीं हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में बना था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतने वर्षों से चल रही है लेकिन इनको लगा कि माइनॉरटीज के लोग इनकी तरफ आ रहे हैं तो उसको माइनॉरटीज इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया। अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को निरस्त कर दिया। मैं मान्यवर, इसलिए कहना चाहता हूं धर्म के आधार पर इसमें जो संविधान में संशोधन की बात कही गयी है मान्यवर, अन्त में जो कहा गया है भारत के संविधान अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 आज के विपरीत है, इसलिए मान्यवर इसमें बाद में दलितों के आरक्षण की सुविधा महरूम करना संविधान का उल्लंघन है, मान्यवर संविधान है बहुत सोच-समझ कर बनाया गया है मान्यवर, संविधान में संशोधन की बात है तो मान्यवर, आज हमारे प्रदेश जैसे अनेकों राज्य हैं। क्या एक राज्य कुछ प्रस्ताव पास करेगा और दूसरा राज्य कुछ और प्रस्ताव पास करेगा मान्यवर, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मान्यवर अन्त में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आर्थिक दृष्टि से जो भी कमजोर हों, किसी जाति, धर्म के लोग हों, शैक्षिक दृष्टि से जो वंचित हों उनको सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं हमारी एन0डी0ए0 की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर हम लोगों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक माननीय कलाम साहब को बैठाला है। हमारे देश में नेता अनेकों बार मुख्य पद पर बैठे हैं। मान्यवर, योग्यता के आधार पर किसी को स्थान मिले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर धर्म के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया जायेगा तो मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, सरकार ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि दलित, ईसाई और मुस्लिम को अनुसूचित जाति के आधार पर ही उन्हें आरक्षण की सुविधा महरूम करने के सम्बन्ध में है। मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन माननीय राणा जी कह रहे हैं कि मत बोलो। श्रीमन् मैं अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट के आधार पर ही चुनाव जीत कर के आया हूं अगर मैं उनकी बात यहां पर नहीं कहूंगा तो और कहां कहूंगा। मान्यवर, हमारे उपनेता माननीय हुकुम सिंह जी ने जो संकल्प के विरोध में अपना संशोधन रखा है मैं उस पर बल दे रहा हूं। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प संशोधन रखा था पर वह अब यहां पर मौजूद नहीं हैं और कल भी यह संकल्प था, लेकिन उन्होंने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी और जब कभी इस समाज की चर्चा सदन में होती है तो बहुजन समाज पार्टी वाकआउट कर जाती है और मत प्राप्त करने के लिए इस समाज को बहकाती रहती है। मान्यवर, 1930 में पहली गोलमेज की बैठक हुई थी जो 20 नवम्बर, 1930 को हुयी जिसकी अध्यक्षता बरतानियां के प्रधान मंत्री रैम्से मैकडानाल्ड ने की थी। सम्मेलन की अनेक बैठकों और उस द्वारा गठित विभिन्न समितियों, उप समितियों को डा0 अम्बेडकर ने 30 बार संशोधित किया और 16-11-1931 तक यह क्रम चला। यह सारे दिनांक मेरे पास मौजूद हैं लेकिन अगर मैं सभी का जिक्र करूंगा तो समय लगेगा। इस गोल मेज सम्मेलन में डाक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,

मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, रियासतों व उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। साइमन कमीशन नाम से जाना गया। मान्यवर, 1936 में पहली बार आरक्षण का आदेश जारी हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि भारतीय ईसाई आरक्षण के हकदार नहीं हैं। 1946-1949 में संविधान सभा में भारत सरकार ऐक्ट बना। इसमें था कि अनुसूचित जाति को आरक्षण सामाजिक, पिछड़ेपन के आधार पर यानी छुआ-छूत के आधार पर दिया जाय। अछूतों की भलाई का काम केन्द्र सरकार अपने जिम्मे ले, अछूतों की हालत का पता लगाने और उनकी उन्नति की देखरेख के लिए एक विशेष विभाग कायम किया जाय। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में अछूतों को प्रतिनिधित्व दिया जाय और अछूत सहित सभी भारतीयों को अधिकार दिया जाय। मान्यवर, काका कालेलकर कमीशन पिछड़ी जाति के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण उनको हुआ जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनका छुआ-छूत का आधार नहीं रखा गया, केवल अनुसूचित जाति की उन जातियों को जिन्हें जाति के आधार पर शिक्षा नहीं मिली, जाति के आधार पर नदी, नालों और कुंओं का पानी नहीं पीने दिया गया, जाति के आधार पर मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, जाति के आधार पर गंगा स्नान नहीं करने दिया गया, जाति के आधार पर बहन-बेटियों की बारात नहीं चढ़ने दी गयी, जाति के आधार पर होटलों पर खाना नहीं खाने दिया गया, जाति के आधार पर अपने बाल नहीं कटवा सके, जाति के आधार पर उन्हें सम्मानित व अच्छे व्यवसाय नहीं करने दिये गये। नाली व गली साफ करना, पाखाना उठाना, कपड़े धोना, जूता बनाना, मुर्दा मवेशी को उठाना इन्हीं कार्यों को करने के लिए मजबूर किया गया। मान्यवर, इन जातियों ने अपमान झेला और उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ तो इन लोगों को ईसाई और मुस्लिम बनने का क्या शौक था, अगर इन्हें आरक्षण ही प्राप्त करना था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25(7) खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

मान्यवर, शासनादेश संख्या-1432/26-3-86-11 (वि0स0) दिनांक 10 जुलाई, 1986 एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (नं0-10/2003) दिनांक 7-1-2003 (भारत सरकार) तथा सचिव समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-3483/26-3-2003-3 (7)/03 दिनांक 30-9-2003 के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची दी गयी जिसमें जैसे अगरिया, बधिक, बादी, बहेलिया, बैगा, बैसवार, बजनियां, बाजगी, बलहर, बलई आदि हैं। चमार, धूसिया, झूसिया, जाटव, नट, कंजर आदि 66 जातियां हैं और अनुसूचित जनजाति में 15 जातियां थीं जो उत्तरांचल बनने से वह निकल गयीं। जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके इसाई बने वहां जाकर के मदर्स फादर्स बन करके और वह पादरी बन कर इसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिन्दू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता और वहां पर जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है वह इस आधार पर दोहरा लाभ पाना चाहते हैं। जो मुसलमान बने हैं वह कहीं न कहीं लालच में गये है। मुस्लिम धर्म में पांच शादियां करने का अधिकार है। कहीं वह शादी करने के उद्देश्य से तो नहीं गये बाबा साहेब ने इन धर्मों का विरोध किया था। संविधान के

अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां क्लाज एक में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुसूचित जाति डिक्लेयर करने का अधिकार है। इसी के साथ-साथ यह बताना चाहता हूं कि 3-4-1937 को संयुक्त प्रान्त के प्रथम मुख्य मंत्री श्री नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान नवाब छतारी बने थे तब से लेकर आज 5-12-2006 तक अनुसूचित जाति के विरोध में कोई भी ऐसा संकल्प या संविधान संशोधन नहीं आया। अगर ऐसा कोई निर्णय सरकार ले रही है राजनीतिक द्वेषभावना के कारण ले रही है। संविधान में काका कालेलकर कमीशन के माध्यम से पिछड़ी जातियों के अलग से प्राविधान है जो अधिकतर वह मुस्लिम जातियां उसमें शामिल है जिनको 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो हिन्दू धर्म को तोड़ने की साजिश विदेशों के आधार पर की जा रही है वह सही नहीं है। इससे प्रदेश और देश कमजोर होगा। उनका मानना है कि इनको जातियों में बांटों और इनको अलग-अलग करके रखो। देश को गुलाम बनाने की एक साजिश है। पहले इसी आधार पर देश पर आक्रमण हुआ था और देश गुलाम भी बना था जो आजादी में लोग लगे और शहीद हुए उन शहीदों और उन राष्ट्रभक्तों की भावना को आघात पहुंचाने की यह भावना है जो दलितों के वोटों के आधार पर आगे बढ़े है अच्छे-अच्छे पद पाये है चाहे मुख्य मंत्री बने हों या मंत्री बने हों वह अनुसूचित जाति के ही लोग इनके कल्याण और विकास की बात सदन में जब आती है तो वह दूर होते हैं। चाहे वह बहन मायावती हो या राम विलास पासवान दलितों के नेता हों। इन्हें जनता सब समझ चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान)

श्री मुंशी लाल गौतम-

[x x x]

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, जो यहां कांग्रेस की सरकारें रहीं उन्होंने सदैव जो मुस्लिम समाज के दबे कुचले हुए लोग हैं उनको वोट लेने का काम किया है। लेकिन उनकी भलाई की तरफ ध्यान देने का काम नहीं किया। हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने इन बातों को देखने का काम किया है और उसी उद्देश्य के अन्तर्गत जो यह संकल्प सदन में लाये हैं उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को और अपनी पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह संकल्प यहां से पास करके केन्द्र सरकार में भेजा जायेगा। जो यह संकल्प लाया गया है उसको पहले की जो सरकारें रही हैं उनको ही लाना चाहिए था। भारत में और उत्तर प्रदेश में कई सालों तक कांग्रेस ने राज किया और सिर्फ इन लोगों से वोट लेने का काम किया है। वोट को चाटने का काम किया है और कभी कोई सुविधा देने का काम नहीं किया है। मान्यवर, हमारे यहां आजमगढ़ में जो 4 सयादा कौमी तनजीम है उसके जो अध्यक्ष वसीउद्दीन साहब हैं उन्होंने भी इस बारे में दो ढाई साल पहले माननीय

मुख्य मंत्री जी को, आजम साहब को पत्र भेजा था और वहां पर एक एकता सम्मलेन किया था जिसमें वकार साहब तथा बलराज जी शामिल हुए थे जो अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नीलम उर्मिला सिंह जी हैं वह भी गयी थीं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कभी मुस्लिमों की भलाई के लिये काम नहीं किया है। जब कांग्रेस के लोग दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो ईसाइयों की बात कहते हैं। मान्यवर, 1947-1950 में सभी गैर हिन्दू दलितों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का काम किया गया था। यहां 1950 में यह कांग्रेस की सरकार ने इसको खत्म करने का काम किया और उस आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। हम कहना चाहते हैं कि उसके बाद आपने सिखों को और जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे उनको अनुसूचित जाति में आरक्षण देने का काम हुआ। हम कहना चाहते हैं कि इस पूरे भारतवर्ष में 23 प्रतिशत ऐसे लोग हैं मुसलमान 23 प्रतिशत में कोई भागो पाटी कर नहीं वह विधान सभा में नहीं पहुंच सकता, वह लोकसभा में नहीं पहुंच सकते वह कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वह मुसलमान बिरादरी का है। मैं आपके जरिये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं जो विरोध करते हैं विरोध के नाम पर विरोध करने का काम करते हैं। उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप बता दो कि मैला उठाने वाला अगर हिन्दू बिरादरी का होगा तो वह अनुसूचित जाति में जायेगा और मुसलमान में मैला ढोने वाला मुसलमान बिरादरी का होगा वह अनुसूचित जाति में नहीं जायेगा यह कैसा इंसाफ है ? यही नहीं जो फल बेचने वाला जो हिन्दू बिरादरी में है वह अनुसूचित जाति में जायेगा है और मुसलमान, ईसाई बिरादरी में है वह अनुसूचित जाति में नहीं जायेगा। हम और पूछना चाहते हैं आपसे कि चाहे वह नट हो, चाहे बंजारे हों चाहे जो भी लोग हों, कई बिरादरियां है कई बिरादियां है हलालखोर, मोची, धोबी, फकीर, (शाह, कलन्दर, गौरिया, पखिया, जोगी) नट, कंकाली, बंजारा, पवरिया गदहलद्दा भॉट, भटियारा, मनिहार, हज्जाम, मन्सूरी, हाश्मी, मीरशिकार, राईन, कुरैशी आदि यह जातियां हैं यह मालूम नहीं है आपको यह कहीं नहीं हैं। यह उन बिरादरियों को भी निकाल दिया गया। अगर हिन्दू बिरादरी में है तो उसको अनुसूचित जाति का लाभ दिया जायेगा लेकिन मुसलमान में है तो अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग के साथ कांग्रेस के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो मुसलमानों और ईसाइयों का वोट लेने का काम करते हैं लेकिन आज इस संकल्प में भाग लेने का काम नहीं कर रहे हैं और इस सदन को छोड़कर भागने का काम करते हैं हम उनकी निन्दा करते हैं। अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव का इस सरकार का और माननीय आजम साहब को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जो विरोध में मैंने प्रस्ताव दिया है संकल्प की प्रथम तीन लाइन के सम्बन्ध में "संविधान के आदेश 1950 के क्लाज 3 को समाप्त करने के स्थान पर यथावत् रखते हुए कि दलित से ईसाई, मुस्लिम बने लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, उपरोक्त के साथ मैं पूरे संकल्प का विरोध करता हूं।"

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रस्ताव में दि कांस्टीट्यूशन शिड्यूल कास्ट्स के आर्डर 1950 की क्लाज 3 में संशोधन की बात कही है। क्लाज 3 में बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है :-

नाट विथ स्टेडिंग एनीथिंग कन्टेन्ड इन पैराग्राफ 2 नो पर्सन हू प्रोसेस ए रिलिजन डिफरेन्ट फ्राम हिन्दुइज्म शैल बी डीम्ड टू बी ए मेम्बर आफ ए शेड्यूल्ड कास्ट।

हिन्दू धर्म के अतिरिक्त कोई व्यक्ति शिड्यूलकास्ट की परिभाषा में नहीं आयेगा यह उनकी व्यवस्था है उस व्यवस्था को परिवर्तन की बात माननीय मुख्य मंत्री जी संकल्प के माध्यम से लाये हैं। परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी को यह आभास हो गया था कि राजेन्द्र सच्चर रिपोर्ट आने वाली है क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के प्रति सच्चर रिपोर्ट आने के पहले और उसके अंशों को बाहर से जानकारी करके उसके आधार पर यह लाये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आंध्र प्रदेश में 5 प्रतिशत मुसलमानों को आरक्षण दिया गया तो होईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट ने धार्मिक आधार पर मानते हुए निरस्त कर दिया। इससे मुसलमानों में भेदभाव बढ़ेगा और धर्मान्तरण को मान्यता मिलेगी और धर्मान्तरण का प्रयास और बढ़ेगा। गुंटूर मेडिकल कालेज वर्सेज मोहन राव ए0आई0आर0 1956 एस0 सी0 1904 में शर्त लगाई है "यदि हिन्दू सहमत हो तब"। हिन्दू धर्मावलम्बी अनुसूचित सदस्य के अन्य धर्म स्वीकार करने पर मूल समाज संस्था द्वारा ईसाई धर्मान्तरण को मान्यता मिले बगैर उस धर्मान्तरित सदस्य को अनुसूचित जाति का सदस्य न माना जाय। चूंकि सिख, बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई नहीं है, यह सुप्रीमकोर्ट ने कहा। मान्यवर, जिस वक्त गांधी जी, अम्बेडकर का पूना पैक्ट हुआ था, 1935 में, गांधी जी के अनशन के बाद। उस वक्त भी गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया था कि हिन्दू से अलग वर्ग को अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण नहीं दिया जायेगा। 1935 में वह अधिनियम बना और 1936 में आरक्षण का आदेश जारी हुआ, 1937 में जब ईसाई मिशनरियों ने भी आरक्षण की मांग की तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसको अस्वीकार किया था कि ईसाइयों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके पीछे जो उनका आधार था कि ईसाइयो में कोई दलित तबका नहीं है, ईसाईयों में कोई छुआछूत, भेदभाव सामाजिक अन्तर नहीं है इसलिए ईसाइयों को आरक्षण नहीं दिया जायेगा, यह तत्कालीन ईसाइयों की सरकार ने, अंग्रेजो की सरकार ने, ईसाई मतावलम्बी सरकार ने कहा था। 341ए की व्यवस्था जब भारत के संविधान में हुयी और उसके तहत 1950 में एक सूची जारी हुयी, उस सूची को जारी करते समय यह आधार बनाया गया था कि शिक्षा, नौकरी और राजकीय क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया जायेगा। मान्यवर, हिन्दू, सिख और हिन्दू समाज का अंग, इसके अतिरिक्त आरक्षण नहीं होगा, यह व्यवस्था उस समय भी की गयी थी। माननीय अध्यक्ष जी, सन् 1950 में एस0सी0/एस0टी0 आरक्षण का 15 प्रतिशत, 56 साल बाद 7 प्रतिशत सीटें अभी भी बैकलाग की बाकी रहती हैं, सरकार के पास जो हैं, उसे भी पूरा कर नहीं पाती। ओ0बी0सी0 में ईसाई और मुस्लिमों को शामिल करके 27 प्रतिशत में आरक्षण दिया गया। आज मुस्लिम जितनी पिछड़ी जातियां हैं, उसमें 71 प्रतिशत मुसलमानों को वैसे ही आरक्षण है। तब फिर इस प्रकार के आरक्षण को देना, मैं आज इस पर चेतावनी देना चाहता हूं कि आज जो यह ईसाई दलित और मुस्लिम ईसाइयों के आरक्षण की बात का संकल्प लेकर सरकार आई है, सरकार इस संकल्प को भारत सरकार को भेजना चाहती है, संविधान संशोधन की दृष्टि से, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता

हूं कि इसके पहले अनुसूचित वर्ग में शामिल करने के लिये और ओ0बी0सी0 में शामिल करने के लिये कितने संकल्प सरकार ने भेजे उसमें से कितने संकल्प को सरकार वहां लागू करा पायी केवल राजनैतिक आधार पर तुष्टीकरण करने के लिये, आते हुये चुनाव को देखकर वोट की राजनीति करने के लिये संकल्प को सरकार ले आयी है, पिछले किसी संकल्प पर सरकार कार्यवाही करा पायी है क्या ? यहां सरकार ने कांग्रेस का समर्थन ले रखा है, दिल्ली की सरकार को आपकी पार्टी समर्थन दे रही है, इसके बाद भी सरकार अपनी मांग पूरी नहीं करा पायी तब भी इसको लाने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, इसके साथ-साथ एक और चेतावनी देना चाहता हूं यह राजनैतिक हिस्सेदारी मांगी जायेगी फिर वह कहेंगे कि दलितों के लिये आरक्षित सीट है, उसमें भी कोटा हमको दिया जाय तो हिन्दू दलितों के साथ उनके हकों को काटने का जो प्रयास चल रहा है, इसका विरोध करने के लिये मान्यवर, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के अनुसूचित वर्ग की जो कर्मचारियों की एसोसियेशन है, वह सुप्रीम कोर्ट में गयी है और सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेज की बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने 5 दिन तक सुनवाई करने के बाद अप्रैल, 2007 इसकी सुनवाई के लिये नियत की है, इसलिये मैटर सबजुडिस है इस दलित मुस्लिम ईसाई की बहस पर सुप्रीम कोर्ट जिस पर विचार कर रहा हो, अप्रैल, 2007 जिस पर उसने तिथि मुकर्रर कर रखी हो और इस पर उन्होंने सभी संगठनों को नोटिस जारी करके, भारत सरकार को भी नोटिस जारी करके, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी करके इस पर उनकी राय मांगी है। नागपुर के बौद्ध केन्द्र में जहां डा0 अम्बेडकर बौद्ध बने थे, उनको भी नोटिस मिला था, वह भी इसका विरोध कर रहे हैं। नागपुर की डेमोक्रेटिक संस्थाओं की ओर से हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट में कहा गया है कि इससे हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है और इससे सम्बन्धित हिन्दू एस0सी0एस0टी0 से नहीं पूछ रहे हैं, यह बात उस नागपुर की बौद्ध संस्था ने, जहां डाक्टर अम्बेडकर बौद्ध बने थे, उन्होंने भी अपना शपथ-पत्र दाखिल करके कहा है कि जब संविधान की व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है गुन्टूर मेडिकल कालेज वर्सेस मोहन राव कि यदि हिन्दू सहमत हो तब। तब हिन्दू अनुसूचित जाति के लोगों से पूछा नहीं जा रहा है इस बात पर उन्होंने भी इसका विरोध किया है। मान्यवर, पिछड़ेपन के कारण, जिसके कारण आज दलित मुस्लिम ईसाइयों के लिये यह आरक्षण की बात का संकल्प लेकर सरकार सदन में आई है और भारत सरकार को भेजना चाहती है इस पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार कौन है। इस पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार है, 60 साल से इस देश में सरकार चलाने वाले कांग्रेस के लोग। इस पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार हैं सरकार में बैठे हुये लोग, जो कांग्रेस का समर्थन करें, इन मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार लोगों का समर्थन कर रहे हैं, वह जिम्मेदार है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो ले आये हैं, सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। साठ साल तक इस देश में शासन करके मुसलमानों को केवल वोट बैंक का हथियार मानने वाले लोग मुसलमानों को, ईसाइयों को बिना उनका हक दिये बगैर उनको उन्नति का रास्ता दिखाये बगैर उनको शिक्षित किये बगैर, उनको रोजगार दिये बगैर आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर राजेन्द्र सच्चर के नाम पर वोट की राजनीति करना चाहते हैं। उसी प्रतिस्पर्धा के दौर में समाजवादी पार्टी की सरकार भी इसे लेकर आयी है। कृपा करके माननीय अध्यक्ष जी, सरकार से यह तो पता लगवा दीजिए कि इन मुसलमानों में कौन दलित है

अभी वसीम भाई बोल रहे थे, कह रहे थे हिन्दू का आदमी मैला ढोये तो उसे आरक्षण मिलेगा और मुसलमानों में जब कोई मैला ढोये तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। मुझे एक नाम बता दें जो मुसलमान सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने को तैयार हो घरों में मैला साफ करने का काम करता हो। मुसलमानों में छुआछूत नहीं है। यह सारी व्यवस्थाएं छुआछूत और ऊंचनीच के नाम पर की गई थी। मान्यवर, आरक्षण की वकालत करनी है तो सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करते और समाज के प्रत्येक वर्ग की वकालत करते।

श्री अध्यक्ष-

आपके सारे तथ्य आ गये। अब आप समाप्त करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सारे तथ्य अभी नहीं आये, एक मिनट और बोल लेने दीजिए। मान्यवर, मैं सूसी वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया, भारत सरकार।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कुछ समय-सीमा निर्धारित कर दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

बाजपेयी इतना बड़ा संकल्प भेज रहे हो कि इसके फोरेंसिक इफेक्ट होंगे, अगर हो जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपका वोट बैंक तो नहीं घट रहा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

हमारा वोट बैंक नहीं घटता है अपने वोट संभालने की चिन्ता करें। सूसी वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया में सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया है तब आंध्र प्रदेश के पांच प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण के विरुद्ध हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीमकोर्ट का निर्णय गुंटूर मेडिकल कालेज वर्सेज मोहनराव में सुप्रीमकोर्ट का निर्णय, सूसी वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया मे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एस0सी0/एस0टी0 की भारत सरकार के कर्मचारियों की एसोसियेशन 9 जजेज की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में गई और मामला विचाराधीन है, पांच दिन सुनवाई के बाद अप्रैल, 2007 की तिथि निर्धारित हुई है। तब इस प्रकार के प्रस्ताव और संकल्प का निश्चित तौर से केवल राजनैतिक मंशा से लाया गया है यह दलित ईसाई और दलित मुस्लिमों के लाभ के लिए नहीं लाया गया है, उनको भड़काने की दृष्टि से लाया गया है और इसका कोई लाभ देने की कोई नियति इनकी नहीं है, इन्हें शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और चेतावनी देता हूं कि सरकार को इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

*बाल विकास पुष्टाहार लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और हुकुम सिंह तथा बाजपेयी जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी बात आयी राजनीतिक फायदे की तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह संकल्प इसलिए पेश करवा रहे हैं कि वहां संविधान में संशोधन हो सके। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया वह उस समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बनाया। नियम और कानून परिस्थिति के अनुसार बदलते भी हैं, इसीलिए संविधान में अनेकों संशोधन हुए हैं अगर मूल संविधान को ही मान लिया जाता कि इस अनुच्छेद में यह लिखा है तो बीच में जितने संशोधन हुए हैं वह नहीं होते। कोई भी कानून और नियम परिस्थिति और काल के हिसाब से सरकार बनाती है और बने हुए नियमों में संशोधन करती है। मुस्लिम काल में मुसलमानों की स्थिति क्या थी, अंग्रेजों के समय में मुसलमानों की स्थिति क्या थी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन आज जो परिस्थिति है आज जो अल्पसंख्यक हैं और जो हरिजन से ईसाई हुए हैं उनकी परिस्थिति क्या है, इस पर विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को लाने का काम किया गया है। क्योंकि आज उनसे ज्यादा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीड़ित, पिछड़े, दबे हुए लोग और नहीं है। इन लोगों को इन सारी चीजों से वंचित रखा गया है, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए सामाजिक उन्नति के लिए और उनकी शैक्षणिक उन्नति के लिए उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जिन्दगी जीने के लिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस भावना से इसे सरकार लायी है किसी राजनैतिक फायदे के लिए नहीं। राजनीतिक फायदे तो यह लोग करते हैं क्योंकि यह हिन्दूवाद चलाते हैं, हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप मुसलमानों को ऊपर देखना ही नहीं चाहते हैं, उनका काम है मुसलमान विरोधी। यहां पर भाजपा के लोग बैठे हैं मैं पूरब की बात करता हूं वहां लालच से गरीबी से बेबसी से लाचारी से ईसाई लोगों ने हमारे जिले में, मैं अपने जिले की बात करता हूं और जहां से राम इकबाल जी आये हैं जीत करके वहां बहुत से हरिजन ईसाई हैं। वहां के बहुत हरिजन ईसाई हैं, क्या यह छाती पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि वह जो हरिजन ईसाई हुये हैं, वर्तमान हरिजनों से उनकी स्थिति दयनीय है या नहीं ? तो इसलिए वह ईसाई बन गये और मुसलमान हैं इन्होंने इतने दिन राज किया है इसलिए इनको आरक्षण के दायरे में नहीं लाना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। यह प्रस्ताव अपने आप में परिपूर्ण है और देश, काल और परिस्थति के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव है। हमको नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का विरोध होना चाहिए। इसको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अनुमति के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने दो वरिष्ठ सदस्य श्री हुकुम सिंह और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो विभिन्न पहलुओं पर बातें रखी उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं उसका समर्थन करता हूं। मैं दूसरे पक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए थोड़ी सी बात संकल्प पर रखना चाहता हूं। मान्यवर, आप यह सरकार और पूरा सदन संविधान की शपथ लेकर के यहां बैठा हुआ है। हम संविधान के अनुच्छेदों का पालन करने के लिए और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वचनबद्ध है, शपथ-बद्ध है। मान्यवर, इसके 3-4 वाक्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और उन वाक्यों को मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था भी चाहूंगा कि उसे निकाल देने से कोई मूल भावना पर असर नहीं पड़ता। मूल भावना यह है कि जो दलित हैं जिन्हें अनुसूचित कहा जाता है उसी तरह का कार्य करने वाले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें भी आरक्षण की सुविधा दी जाए। यह मूल भावना है। मान्यवर, जरा पढ़ें, 'धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत अनुमन्य कराये गये आरक्षण की सुविधाओं से अलग रखना न सिर्फ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 आदि के विपरीत है अर्थात् यह संकल्प यह कह रहा है कि संविधान के अन्दर जो अनुच्छेद और व्यवस्थायें हैं, वह आपस में परस्पर विरोधी है। शपथ का अर्थ यह नहीं है कि हम सदन के अन्दर संविधान की व्यवस्था, हमारा संविधान ऐसा है जो परस्पर विरोधी अनुच्छेदों को धारण करता है यह कहें इसे मान्यवर, मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि जरूर शासन अपनी तरफ से वापस ले ले, यह न सिर्फ विपरीत है बल्कि इंसाफ पर भी आधारित नहीं है। यानी अनुच्छेद की व्यवस्थायें गैर-इंसाफी हैं। हम शपथ लेते हैं और संविधान का अनुच्छेद इंसाफ पर भी आधारित नहीं है। मैं उन अधिकारियों को भी कहूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग अनुच्छेद के लिए कैसे हो गया ? इसलिए शपथ की बात अगर कहें है तो मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहूंगा क्या यह शब्दावली और संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन 3 वाक्यों को निकाल देने से मूल भावना पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि हम शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं, यह इंसाफ नहीं है, इंसाफ पर आधारित नहीं है कोई अनुच्छेद का यह कहना संविधान का अपमान मान रहा हूं। शपथ का उल्लंघन हम सब कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहूंगा कि 3-4 वाक्यों को निकाल देने से जो केवल मूल भावना के स्पष्टीकरण में कहे गये हैं। मूल भावना पर असर नहीं पड़ता है। इसलिए आपकी भी व्यवस्था चाहूंगा और आग्रह मैंने कर लिया है। दूसरा कोई भी धर्म, दुनिया का कोई धर्म हो वह व्यक्ति को गिराने का काम नहीं करता है वह किसी को दलित बनाने का काम नहीं करता है, वह किसी को हीन कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता। वह तो हमेशा इन्सान को उठाने की बात करता है। इसलिए कोई दलित है, अछूत है तो वह सामाजिक बुराईयों के कारण है। क्या यह अनुच्छेद लाने वाले लोग यह स्वीकार करेंगे कि अन्य धर्मों में अन्य जो समाज है उसमें इस तरह की कोई सामाजिक बुराई है जिसके कारण कोई अछूत कहा जाता है। पेशा एक हो सकता है, यहां दूसरे लोग करते हैं। लेकिन अछूत केवल इस देश का हिन्दू समाज जिसको कहते हैं उसमें यह सामाजिक बुराई के कारण पैदा हुई धर्म या सम्प्रदाय के कारण नहीं हुई। इसलिए अगर कोई इस तरह से दलित है तो सामाजिक स्थितियों की बुराइयों के कारण उसको ऊपर उठाने के लिए उस समय यह व्यवस्था की गयी जिस समय यह व्यवस्था की गयी उस समय संविधान समिति में एक उप समिति बनाई गयी। सम्प्रदाय के आधार पर आरक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है केवल इस बिन्दु पर विचार करने के लिए एक उप समिति बनाई गई जिसमें पं0 जवाहर लाल नेहरू, भीम राव अम्बेडकर, सरदार पटेल सदस्य थे। उस समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय 29 जून, 1949 को लिया कि इस संविधान और इस देश के अन्दर सम्प्रदाय के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता है। यह आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है यह सम्प्रदाय के आधार

पर नहीं है बल्कि स्थितियों की सामाजिक बुराई के दुष्परिणाम से जो लोग दलित कहलाए, अछूत कहलाए उनके उत्थान की विशेष व्यवस्था की गयी है। यह 10 साल के लिए होगी सदैव के लिए नहीं लेकिन बाद की राजनैतिक व्यवस्था के आगे यह कब तक चलेगी पता नहीं। मैं दो बिन्दुओं पर कहूंगा, समाज में जो भी दलित हैं, जो भी उपेक्षित हैं, जो भी पीड़ित हैं जो सामाजिक व्यवस्था के कारण पिछड़ गये हैं उनको सुविधाएं देकर आगे बढ़ाना। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात निश्चित रूप से उन महापुरुषों से ज्यादा दूरदृष्टि वाले नेता नहीं हैं। आज की राजनीति में पंडित जवाहर लाल नेहरू, भीम राव अम्बेडकर, सरदार पटेल से ज्यादा दूरदृष्टि आज भी नहीं है। आज तो तात्कालिक अगले चुनाव की बात सोचने वाली राजनीति हो गयी है। कुछ सोचकर उन्होंने ऐसा किया होगा। इसमें विघटन की बू आती है। आरक्षण में आरक्षण की बू आएगी। विधान सभा के अन्दर आरक्षण, लोक सभा के अन्दर आरक्षण। धर्म के आधार पर आरक्षण पर एक कदम चलना फिर पूरे देश के अन्दर जिला बनाने की बात होगी, प्रदेश बनाने की बात होगी। उन जातियों को जो पिछड़ गयी हैं उनको विशेष आरक्षण देने की बात पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। जो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात है इस पर जैसा श्री हुकुम सिंह जी ने कहा व बाजपेई जी ने विस्तार से कहा उसके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और संसदीय कार्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप अपने प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनः विचार कर लें। क्योंकि हम लोग जो यहां शपथ लेकर बैठे हैं उसका यह उल्लंघन है। कोई भी अनुच्छेद की व्यवस्था नाइंसाफी नहीं हो सकती है। इंसाफ के विरुद्ध कहना यह निश्चित रुप से संविधान का अपमान है।

*समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

अध्यक्ष जी मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर इस सदन में बहस हो रही है जिसमें सत्तापक्ष तथा विपक्ष के विद्वान सदस्यों ने बाजपेई जी ने, श्री ओम प्रकाश सिंह जी डाक्टर साहब ने अपने विचार रखे हैं। श्रीमन् दो तीन बातें इस सदन के अन्दर की बहस से प्रदेश की महान जनता के सामने जाएंगी। आज बहुजन समाज पार्टी जो अपने को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा और न जाने क्या-क्या कहती है आज यह संदेश गया है कि यह सही मायने में न दलितों की बात कहने वाले हैं न ही उनके लिए कोई काम करने वाले हैं उन्होंने जो समय समय पर लाभ लेने की बात करते हैं। दलितों के बीच में जाते है तो दलित की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों के बीच में जाते हैं तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं। आज पूरे प्रदेश में यह क्या संदेश गया! यह बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, जिसमें कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में मुसलमान और ईसाइयों के कुछ लोगों को शामिल करने के लिये माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर यह सदन से वॉक आउट कर गये हैं। इन पर जो पर्दा पड़ा था वह पूरी तरह से उठ गया है। यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह किसी वोट के लिये नहीं रखा गया है। न ही वह समाज के किसी वर्ग को खुश रखने के लिये रखा गया है क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है उसने सरकार के बनने के दिन से समतामूलक समाज बनाने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो संकल्प रखा था उस संकल्प को पूरा करने के लिये उसमें यह एक कदम है। श्रीमन्, माननीय सदस्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, मान्यवर, इनको तो विरोध करना ही करना था। मान्यवर, आदरणीय सदन में रामपुर में यूनीवर्सिटी बनने का जो विधेयक आया था उसका इन लोगों ने किस तरह से विरोध किया था। उस समय भी कितना विरोध किया गया था। बहुजन समाज पार्टी ने उस समय भी वॉक आउट किया था और कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया ही किया था। इस विधेयक को कितने दिन तक उलझाये रखा गया था। बी0जे0पी0 ने कितना विरोध किया था कितने समय तक किया था यह तो जग जाहिर है। जहां पर मुसलमानों का और ईसाइयों का सवाल होगा वहां पर तो इनको विरोध करना ही करना है। यह तो इनकी कार्य सूची में है। विरोध, विरोध के लिये है। इनके विरोध में कहीं कोई सार्थकता नहीं है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आप देखें स्पष्ट रुप से दिया हुआ है। श्रीमन्, आप स्वयं विद्वान हैं आप देखें उसमें व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सुविधाएं उन्हीं को मिलेंगी जो हिन्दू होंगें। तो श्रीमन् आज अनुसूचित जाति के हमपेशा करने वाले मुसलमानों में तमाम ऐसी जातियां हैं। धोबी हैं, बाल्मीकि हैं और जहां प्रदेश में मुसलमानों की आबादी में 20 फीसदी हो और उनमें जो हमपेशा के लोग हैं। माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं, मंत्री भी रह चुके हैं ओम प्रकाश जी। आप जिस समाज में है वहां पर कोई धोबी है, कोई बाल्मीकि है किस तरह का व्यवहार आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ रखते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह का व्यवहार कभी भी जाति जाति के लोगों के साथ नहीं रखते। जो समाजवादी होगा वह जातिवादी नहीं होगा और जातिवादी कभी समाजवादी नहीं हो सकता। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह कही गई कि केवल मुसलमानों को खुश करने के लिये और वह भी चुनाव के समय। मान्यवर ऐसा नहीं है। यह भारत सरकार के पास केवल मुसलमानों के लिये ही नहीं बल्कि निषादों के लिये, गोंड के लिये, कहार के लिये, मल्लाह के लिये तमाम ऐसी जातियां हैं जो उसी तरह की हैं उनको अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह सुविधा देने के लिये यह प्रस्ताव समय समय पर लाया गया है। मान्यवर, इस कुर्सी पर बैठने के पहले आप भी मंत्रि परिषद् में थे और इसका प्रस्ताव भारत सरकार को बनाकर भेजा गया था। भारत सरकार का क्या नजरिया है ? इसलिये किसी का हक लेने के लिये नहीं, हम देने के लिये इस तरह की योजनाएं हमारी चल रही हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में यह जो सरकार चल रही है उसमें चाहे गरीबों के लिये पेंशन का सवाल हो, दोपहर के भोजन का सवाल हो, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक से सभी बच्चों को किताब बांटनें का सवाल हो। तो इस तरह से यह कहना कि कौन अनुसूचित जाति की सूची में होगा कौन अनुसूचित जाति की सूची में नहीं होगा यह विषय भारत सरकार का विषय है। संविधान में संशोधन और संविधान का कहीं अपमान नहीं है पहले भी इस आदरणीय सदन में, जो देश के सारे प्रदेशों में सबसे बड़ा सदन है यह भारत सरकार के लिये पास करेंगे, सर्वसम्मति से भेजा जाएगा। पहले ऐसे लोग जिनको पहले अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है उसमें सिखों को 1956 में अनुसूचित जाति में रखा गया है। 1990 में बौद्ध को अनुसूचित जाति में रखा गया है पता नहीं इतने सीनियर विद्वान बैठे हैं इस पर किसी की नजर नहीं जाती नहीं है। श्रीमन् इसलिए यह जो संकल्प है इस देश प्रदेश में समतामूलक समाज बनाने के लिए यह बहुत ही सराहनीय कदम है इसकी

जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम समझते थे कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाएगा लेकिन आज यह जो चर्चा है अखबारों में छपा था यह एक पार्टी के लिए, पार्टी के एक नेता के लिए कि मुसलमान कट्टपंथी होता है तो आज यह इस बात की पूरी पुष्टि हो गई कि मुसलमान को कुछ मिलना होता है तो यह बाइकाट कर जाते हैं बहुजन समाजपार्टी के लोग। अब पता चलेगा इनको छठी का दूध। जब तीन महीने बाद जब चुनाव आएगा। इसलिए आपसे और मा0 सदस्यों से प्रार्थना है कि इसे सर्वसम्मति से पास करें। आपका तो स्वभाव है विरोध करना लेकिन संशोधन को वापस लेकर इसे सर्वसम्मति से इसे पास करें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों का जो इस पक्ष में बोलें और मात्र भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, जो इसके विपक्ष में बोले, उन सबका आदर है, स्वागत है, उनका धन्यवाद है। दो बड़े दल एक दिल्ली में और एक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजपार्टी, दोनों ने आज बहिष्कार कर दिया सदन का, इसलिए कि यह संकल्प आने वाला था इससे उनके एहसास का अंदाजा हुआ और आपकी इस ईमानदारी का, कि आप बड़ी मजबूती से चन्द साहिबान इसके विरोध में सदन में डटे हुए हैं। आपके दल में कितनी दिलचस्पी है और आपके दल के सदस्यों में, इसका अंदाजा आपको अच्छी तरह से होगा। हुकुम सिंह जी ने बात रखी थी वह बात दब गई। क्योंकि बहुत सी बातें और आ गई और ज्यादा सख्ती से आ गई। ज्यादा उग्र रुप से आ गई और फिर यहां तक बातें आ गई कि संविधान का हवाला हो गया। संविधान का भी अपमान हो गया। शरीर में मान्यवर, कोई बीमारी हो, जब तक मान्यवर शरीर में बीमारी है यहां तक कि सड़ जाए, कैंसर हो, मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा उस सड़े हुए जिस्म के साथ। मस्जिद में जाएगा नमाज पढ़गा। इबादत होगी। उसके कुछ दिन बाद वह सड़ा हुआ हिस्सा निकाल फेंका जाएगा। वह इबादत के काबिल नहीं रहता है लेकिन जब तक शरीर के साथ है वह सड़ा हुआ हिस्सा, वह काबिले-इबादत है भारत का संविधान काबिले-इबादत नहीं है काबिले-एहतिराम है। इसका सम्मान करते हैं। इसकी पूजा नहीं करते हैं यही वजह है जब-जब इस संविधान में कमी पाई गई कोई ऐसी चीज महसूस की गई जिससे आज के माहौल में उतना इंसाफ नहीं मिल पाता तब आप सबने यानि भारत की जनता ने बैठकर, क्योंकि लोकतंत्र है, उसने यह तय किया कि हमें अपने बारे में ऐसा निर्णय लेना है लिहाजा संविधान के उस हिस्से को बदल दिया गया अगर हम आज यह मान लें, मा0 ओम प्रकाश जी की बात को मान लिया जाए कि संविधान के किसी शब्द को बदलने से उसकी ली गई शपथ पर कोई असर पड़ता है। आपने यह तो फरमाया कि हम शपथ लेते हैं उस संविधान की शपथ लेते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

नहीं आपने कहा है। आपने कहा है संविधान की शपथ लेते है वफादारी की शपथ लेते हैं आपने कहा है। लिखा गया होगा। तो अब अगर संशोधन हो गया तो उससे पहले वाले और उसके

बाद वाले, उनकी शपथ तो बेकार हो गयी, वह तो सारे असंवैधानिक कार्य हो गये। तो अब इतना आगे बढ़ जायेंगे, इसका अन्दाजा नहीं था। होता है, आपकी कटुता का, आपकी नफरत का, आपकी नाराजगी का, एक तरफ तो आप दुहाई देते हैं, सबको साथ लेकर चलें, समाज एक हो, लोग एक हों, वर्ग एक हों, असमानता खत्म हो, डिक्सेनरी के जितने शब्द है, वह सब इस्तेमाल करते हैं। करते क्या हैं, करते यह हैं, हुकुम सिंह जी कि आप मुगलकाल का हवाला देते हैं और उस काल की सजा हमें आज आप देते हैं। 700-800 साल या जो भी हो, मुझे तो गिनती नहीं मालूम, आपने गिने होगें, जितने भी साल, जितने भी सौ साल रहे, उसमें आपने जो इतिहास पढ़ा है, वह प्रोफेसर शर्मा जी का इतिहास आपने नहीं पढ़ा, आपने डा0 तारा चन्द का इतिहास नहीं पढ़ा, आपने तो कुछ आर0एस0एस0 के वर्क्स की नावेल पढ़ ली है, कहानियां पढ़ ली आपने, इतिहास नहीं पढ़ा। अगर आपने इतिहास पढ़ा होता तो आपको मुगलकाल के इन्साफ का अन्दाजा होता। हम उसकी वकालत या हिमायत इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम आज भी उस सिस्टम से लड़ रहे हैं, चाहे अपना क्षेत्र ही क्यों न हो, हम सख्त विरोधी हैं, उस सिस्टम के, हम लोकतंत्र के हामी लोग हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए और अगर अब तक नहीं मालूम है तो इसे मालूम कीजिए कि मुगलकाल के बादशाहों में अलावा बादशाह के पद के अलावा वजीरे आजम से लेकर सिपहसलारों तक के सारे पद सिवाय हिन्दू भाइयों के और किसी के पास नहीं थे। इसलिए कि देश किसी धर्म से नहीं चल सका था, हिन्दुस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं था, हिन्दुस्तानियों का मुल्क था। पर यह तो बहुत बड़ा इल्जाम है, मान्यवर, अपने मन को शान्ति दे लें, सैकड़ों साल के राज के बाद भी कोई एक ऐसा वाकया जिसमें कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन हुआ हो, किसी काल में नहीं मिलता, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि औरंगजेब का हिन्दुस्तान कहां चला गया, कहां है औरंगजेब का हिन्दुस्तान, जो आठ-आठ बरस तक जंगलों में पड़ा रहा, टेण्ट लगाकर जंगें लड़ता रहा, हिन्दुस्तान को वर्शा करता रहा। वह हिन्दुस्तान तो है ही नहीं, हमारे पास, खो दिया वह हिन्दुस्तान, दे दिया औरों को, जो उसने जंग लड़के, तलवार से जीता था, रहमोकरम पर नहीं जीता था। किसी का धर्म परिवर्तन, किसी के साथ ज्यादती कितने वाकयात है, लम्बी बहस हो जायेगी, कितनी मस्जिदें गिराई गई, उनके कारणों पर यहां बात करने की जरुरत नहीं है, मैं इस काल की बात नहीं कर रहा हूं, मुगलकाल की, क्यों कोई मन्दिर गिराया गया, औरंगजेब के हुकुम से नहीं, हिन्दू धर्मावलम्बियों के हुकुम से, क्यों हुआ था उस मंदिर में, यहां आज जिक्र करने की जरुरत नहीं हैं, लेकिन मान्यवर, इतिहास को इतिहास की किताबों में पढ़ा जाए, किसी विचार के नावेल को पढ़ने से इतिहास की हदें तय नहीं होंगी। आन्ध्र प्रदेश का हवाला दिया, हमारे बुद्धिजीवी सदस्य मेरठ ने, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने और हमारे गौर साहब ने भी। गौर साहब तो इससे हटाकर शिक्षा पर ले गए, अगर आप शिक्षित कर देते तो यह दिन ही क्यों देखने को मिलते तो आप भी तो वही कर रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं, वह आपको मदद कर रहे हैं, आप उनको मदद कर रहे है। पाटशाला नहीं बना सकते, मान्यता नहीं देंगे आप, डी0एम0 और एस0पी0 से सर्टीफिकेट लेंगे कि यहां आतंकवादी गतिविधियां चलती है या नहीं चलती है ? हर मदरसा आतंकवादी अड्डा है, हर मस्जिद आतंकवादी अड्डा है, हर खानखाह आतंकवादी अड्डा है, क्या करें, स्कालरशिप नहीं लेने देंगे, आज भी हुकुम सिंह जी ने उर्दू वालों को स्कालरशिप दिए जाने की मुखालफत कर दी। भाषा है,

भाषा से क्या नफरत मान्यवर, किसी जबान से क्या नफरत ? यही कहा था हमारे नेता ने, नेता सदन ने कि अंग्रेजी का विरोध अंग्रेजी को मिटाने के लिए नहीं है। हिन्दी को बढ़ाने के लिए है। अंग्रेजी बढ़े, सारी भाषाएं बढ़ें लेकिन किसी जबान के साथ कोई ज्यादती हो, यह तो इल्म के साथ नाइंसाफी है। आन्ध्र प्रदेश में जो हुआ वही तो हम कहना चाहते है कि या तो आप बात को समझना नहीं चाहते या आप समझकर उसे स्वीकारना नहीं चाहते। आज का संकल्प न तो संविधान का अपमान है और न संविधान के अंदर के किसी शब्द का अपमान बल्कि समय समय पर संविधान बदला गया है। एक समय में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो संविधान की किताब अपने पर्स में लेकर चलती थी और कहीं उसमें कोई खामी नजर आती तो उसी में संशोधन कर लेती थीं, क्योंकि उनकी उस समय मेजोरिटी थी। अब लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। इन खयालात की वजह से लोकतंत्र कमजोर हुआ है। नेता विरोधी दल ने यहां तक कह दिया कि फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाएंगे। जी चाहता है कि घर छोड़कर भाग जाएं। अगर 2-4 साल बाद मैं फिर चुनकर आ गया तो यह तलाश होगी कि फलां-फलां को चढ़ाना है। वह बुजुर्ग आदमी हैं, पता नहीं जिंदगी का कितना समय बाकी है। लेकिन जिन लोगों को अभी जिंदगी का काफी सफर तय करना है उन्हें फांसी से बड़ा डर लगेगा। संविधान में संशोधन के लिए यह संकल्प भेजा जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी संविधान में संशोधन करने में सक्षम होती तो यह अवश्य कर दिया होता, और यह कानून बना दिया होता। हमने कभी धर्म के आधार पर इंसाफ नहीं किया। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही उस सदस्य पर एतराज किया जो पर्चा दाखिल करने जाते हैं तो अपना धर्म हिन्दू लिखते हैं जबकि वह मुसलमान हैं। क्योंकि वह बाल्मिकि समाज से मुस्लिम हैं। इस विभेद को दूर करने के लिए ही इस प्रकार की मांग की जा रही है। मैला नहीं उठाना चाहिए लेकिन आज भी लोग मैला उठाते हैं। उसमें मुसलमान भी हैं। आज मैला उठाने के लिए भर्ती खोल दीजिए, देखिए कितने मुसलमान वहां खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप तो कूड़ा उठाने के लिए भी उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। आज उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को ऊपर लाने की आवश्यकता है। मैंने कहा था और मसला भी रखा था जब राज्य सभा में मेरा आखिरी दिन था और मुझे इस सदन में आना था। तो मैंने कहा था कि मैं हिन्दू हूं, मेरे शरीर का 1/5 हिस्सा सड़ गया तो क्या आप यह कहेंगे कि शरीर स्वस्थ है। उसी के लिए आपसे निवेदन है कि मैं बड़ी स्वस्थ परम्पराओं के लिए कहना चाहता हूं कि आप जिस दिन इस वर्ग की हिमायत करेंगे उस दिन मुल्क का माहौल ही बदल जाएगा। क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे, मजबूर हैं। उन्हें सहना ही पड़ेगा। यह जाएं तो कहां जाएं। समुंदर में डुबाएंगे, आग लगाओगे। गुजरात में करके देख लिया। अब बर्दाश्त तो करना है। प्यार से कर लो। जो सताए हुए लोग हैं, बड़े दुखी हैं। जिनकी जिंदगी महंगी, मौत सस्ती है। तो इस तरह से जी रहे हैं उन पर वह तरस खाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम गुनहगार हैं कि हमें संकल्प पहले लाना चाहिए था यह हम देर से लाये हैं इसके लिए हम उन समाज से माफी मांगते है। लेकिन जो लोग यहां से दिल्ली तक सत्ता में काबिज रहे उन्होंने क्या सोचा। हमने कम से कम सोचा तो। देर से आये दुरुस्त आये। वह लोग तो नहीं चाहते हैं कि संकल्प यहां से जाये। जिस तरह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आयी है उससे कांग्रेस की मंशा साफ हो गयी है। इतना बड़ा फ्राड, इतना बड़ा धोखा इसका तो विरोध होना चाहिए था। हमें इस स्तर पर बेवकूफ बनायेंगे, धोखा देंगे इससे तो

यह लगता है कि यह संसद में पास नहीं होगा। जिस तरह से सच्चर कमेटी में हमको बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन इसे यहां से तो जाने दीजिये। जब हम संसद में होंगे, पार्लियामेंट में होंगे, सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी तब यह कानून दिल्ली की पार्लियामेंट में पास होगा और वंचित समाज को जीने का अधिकार मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और खास तौर से बी0जे0पी0 से, हुकुम सिंह जी से, ओम प्रकाश सिंह जी बोले उन्होंने जो लोग बोलें उसमें अनुसूचित जाति का नाम नहीं लिया जो सबसे ज्यादा कमजोर है, आप इसको पास कराये। धन्यवाद।

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आपने संशोधन रखा था ?

श्री हुकुम सिंह-

जी हां, मैंने संशोधन रखा था। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं वहीं से मैंने भी शुरु की और इन्होंने कन्क्ल्यूड किया। मंशा आपकी भी संशोधन की नहीं है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

हम आपका बड़ा आदर करते है, आपका कद बढ़ा है और आपका मान भी बढ़ा है। हमारी यह मंशा है कि इसे सर्वसम्मति से पास कराकर भेजें।

श्री हुकुम सिंह-

आपने यह कहा कि पास नहीं होगा। हम भी यह जानते हैं कि पास नहीं होगा। आप केवल एक वर्ग विशेष में संदेश देने की बात कर रहे हैं। आप श्यूडो सैक्यूलर के साथ रह रहे हैं। आपको याद नहीं है। पार्लियामेंट में आप थे, रक्षा मंत्री के पद पर आप काबिज थे, उस समय याद नहीं आया। आज आपको याद आ रहा है। इतनी देर से याद आया है। आपने कहा कि बहुत बड़ा फ्राड प्ले किया जा रहा है तो यह मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। इस फ्राड में बी0जे0पी0 का कोई सरोकार नहीं है। हम तो सब धर्मों के हितैषी हैं। चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला हो। इसलिए यह संकल्प एक वर्ग विशेष को धोखा देने के लिए यहां पर लाया गया है, उनकी भलाई के लिए नहीं है। हम तो इसके मतदान में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करती है।

(श्री हुकुम सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित नारे लगाते हुए सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी एवं श्री मुंशीलाल गौतम सदस्यगण, विधान सभा ने इस संकल्प के विरोध के लिए, जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, ''संविधान के आदेश 1950 के क्लाज 3 को समाप्त करने के स्थान पर यथावत रखते हुए दलित से ईसाई मुस्लिम बने लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए'' उससे यह सदन सहमत है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह तो सर्वसम्मति है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री हुकुम सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव संकल्प में जहां भी शब्द "इसाइयों और मुसलमानों" या "इसाई और मुसलमान" आये हैं उन शब्दों को संकल्प से निकाल दिया जाय से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए जिसके कारण देश के ईसाइयों और मुसलमानों के दलित तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हमारी सरकार मांग करती है कि जिन वर्गों को भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है वह चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों उन्हें समान रुप से आरक्षण की सुविधायें मिलनी चाहिए। अर्थात्, जिन तबको को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों उन्हीं के हमपेशा वर्गों को चाहे वह मुसलमान हों या ईसाई हों, उन्हें भी अन्य अनुसूचित जातियों के समान सुविधायें दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत अनुमन्य कराये गये आरक्षण की सुविधाओं से अलग रखना न सिर्फ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 आदि के विपरीत है, बल्कि इंसाफ पर भी आधारित नहीं है। हमारा यह मानना है कि जिस प्रकार केवल धर्म के आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण की सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं उसी प्रकार केवल धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण की सुविधा से महरुम करना संविधान का उल्लंघन है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी, आप संशोधन का प्रस्ताव रखेंगें ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे या बाद में बोलेंगें ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

साहब न बाद में बोलेंगें और न पहले बोलेंगें, इस पर तो बात हो गई थी माननीय हुकुम सिंह जी से और आप भी थे, सर्वसम्मति से तय हो गया था जो संशोधन आपने दिया था, वह संशोधन भी मान लिया था, एक टेक्निकल संशोधन था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आपकी माने तब गलत, न मानो तब गलत, करें क्या यह बताओ ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपने टेक्निकल चीज ठीक की है अपनी।

श्री अध्यक्ष-

यह संशोधन प्रस्तुत करके बोल रहे है या केवल सुझाव दे रहे हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

हां हम संशोधन प्रस्तुत करके बोल रहे है।

यह विधान सभा इतिहास में अपना क्या मुंह दिखायेगी ? जो अपना कार्यकाल शपथ के दिन की बैठक से न मान कर सदन की कार्य-सूची के साथ हुयी बैठक को पहला दिन मानकर उससे पांच साल कार्यकाल मानती है और इसमें सरकार लोकतंत्र की नगरीय सबसे निचली इकाई में शपथ ग्रहण को पहली बैठक मान कर उसका कार्यकाल पांच साल गिनना चाहती है, केवल एक तो बिन्दु मेरा विरोध का यह है वह लेने के बांट और इस विधान सभा के और देने के बांट और नगरीय स्थानीय निकाय की इकाइयों का कार्यकाल शपथ ग्रहण के दिन से और अपना कार्यकाल पहली बैठक के दिन से, एक तो मेरा पहला बिन्दु यह है। मान्यवर, दूसरा विषय यह है कि अधिनियम की मूल धारा 172 में संशोधन किया है, इसमें आपने 6 (ग) में कहा है कि हेलीकाप्टरों अथवा अन्य प्रकार के यानों पर, जब वह निगम के भीतर स्थित हेलीपैडों, हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों या इस निमित्त निर्मित स्थलों पर उतरते अथवा उड़ान भरते हों। नहीं यहां पर निगम के उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि निगम को प्राधिकृत करना कि वह नगर के भीतर रखे गये सवारी करने, सफर करने, लदान या भार के लिए प्रयुक्त पशुओं के स्थान पर हेलीकाप्टरों अथवा किसी अन्य प्रकार के यानों पर कर अधिरोपित

करे जब वे निगम के भीतर स्थित हेलीपैडों, हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों या इस प्रयोजन के लिए निर्मित स्थलों सश्पर उतरते अथवा उड़ान भरते हों। मान्यवर, इसमें केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं वह यह कि इसमें ग में लिखा है कि निगम को प्राधिकृत करना कि वह नगर के भीतर रखे गये सवारी करने, सफर करने, लदान या भार के लिये प्रयुक्त पशुओं के स्थान पर हेलीकाप्टरों अथवा किसी अन्य प्रकार के यानों पर कर अधिरोपित करें। जब वे निगम के भीतर स्थित हेलीपैडों, हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों या इस प्रयोजन के लिये निर्मित स्थलों पर उतरते अथवा उड़ान भरते हों। मान्यवर, इसकी क्या मंशा है जो हेलीकाप्टर और हेलीपैडों पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मुझे जो उद्देश्य और कारण है उसमें ख पर कहना है। इसमें लिखा है कि किसी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी या किसी निगम के नगर आयुक्त को सशक्त करना कि वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथास्थिति नगर पालिका या निगम के किसी ऐसे नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी को, जो किसी निषिद्ध हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, अपने काम पर उपस्थिति रहने के लिये तथा ऐसे कर्मचारियों जो उक्त आदेश का अनुपालन करने में विफल हो गये हैं द्वारा धारित पदों पर नयी नियुक्ति करने के लिये निदेश दे सकता है।

मान्यवर, यह तो तानाशाही आदेश है। यह समाजवादी पार्टी की सरकार है और डेमोक्रेटिक कन्ट्री है। मान्यवर, सूचना देकर हड़ताल करना वैधानिक अधिकार है। जो यह प्राविधान है इसका मैं विरोध करता हूं।

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री ने बहुत पहले घोषणा की थी कि सफाई कर्मियों की बहुत कमी है और एक लाख सफाई कर्मी नियुक्त होंगे। मान्यवर, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। मान्यवर, हमारे पूरे प्रदेश में जो नगर निगम हैं, नगर पालिकायें हैं वहां जितनी मिनिमम आवश्यकता है उनकी पूर्ति करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, लगभग 65 हजार लोग संविदा पर सफाई कर्मचारी रखे गये हैं और जरूरत होंगी तो और भी रखे जायेंगे। यह कोई तानाशाही नहीं है जैसा गौर साहब कह रहे हैं। मान्यवर, जब ऐसे हालात आते हैं जब सफाई कर्मचारी हड़ताल कर दें तो हमेशा सरकारों को यह अधिकार रहता है कि कभी-कभी प्रतिबन्ध भी लगा सके। यह केवल सफाई कर्मचारी पर ही नहीं है यह किसी भी विभाग में हो सकता है। बिजली विभाग है वहां होता है। मान्यवर, जो आवश्यक सेवायें हैं उनमें हड़ताल पर बैन लगता रहता हैं।

माननीय बाजपेयी जी को हेलीकाप्टर वालों से हमदर्दी हो गयी है। कमजोर लोगों से नहीं रही।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अगर सरकार ने कुछ श्रेणियों को मुक्त करने का प्राविधान रखा है तो यह अच्छी बात है। हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह इसलिए प्राविधान रखा है कि कुछ पैसा भी आ जाय जहाज वालों से मिल जाय। हो सकता है वह लोग बाजपेयी जी से मिले हों।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरी दोस्ती जहाज वालों से नहीं है। मैं थ्री टायर में सफर करता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

इसमें कहीं कोई तानाशाही नहीं हैं, अन्याय नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप अपना संशोधन वापस ले लें। आप भी छः महीने सरकार चला चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 कहा जायेगा।

अध्याय-दो

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, जिसे एतद्धीन इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 43-घ में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 की धारा 43-घ का संशोधन

"(4) नगरपालिका का गठन अथवा पुनर्गठन हो जाने के सात दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट इस धारा में विहित रीति से शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए नगरपालिका की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी डिप्टी कलेक्टर द्वारा की जायेगी। इस प्रकार बुलाई गयी बैठक को नगरपालिका की प्रथम बैठक माना जायेगा।"

3-मूल अधिनियम की धारा 68-क के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :--

नई धारा 68-ख व धारा 68-ग का बढ़ाया जाना

"68-ख (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सम्बन्धित नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका के किसी ऐसे नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी को, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधरा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, निर्देश दे सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय तक और रीति से अपने काम पर उपस्थित हों,"

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाए नये नियमो में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, -

(क) नगरपालिका के किसी नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी का सेवायोजन या उसकी संविदा, यदि कर्मचारी उक्त आदेश की प्रतिक्रिया में अपने काम पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगा।

(ख) जहां खण्ड (क) के अधीन किसी नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी का सेवायोजन या उसकी संविदा शून्य हो जाय, वहां ऐसे कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और ऐसा कर्मचारी अपनी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और ऐसी कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जांच की आवयकता नहीं होगी,

(3) विशेषतया, और इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् नगरपालिका किसी ऐसे कर्मचारी के वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

68-ग-सम्बद्ध नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाए गये नियमों या विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 68-ख में निर्दिष्ट कर्मचारी के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्धारित योग्यताधारी किसी व्यक्ति को अस्थायी आधार पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम होगा।"

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959 की धारा 85 का संशोधन

4-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 85 में, उपधारा (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :--

(1-क) निगम की धारा 9 के अधीन संगठन अथवा धारा 538 के अधीन पुनस्संगठन हो जाने के सात के भीतर नगर आयुक्त नगर निगम का एक अधिवेशन बुलायेगा। मण्डल का आयुक्त या उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा और तत्पश्चात् महापौर ऐसे पार्षदों को, जो निर्वाचित घोषित किये गये हों, शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा। ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता मण्डल के आयुक्त या उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। इस प्रकार बुलाये गये अधिवेशन को नगर निगम का प्रथम अधिवेशन माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौर जी, आप संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, जो विधेयक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड संशोधन विधेयक, 2006 लाया गया है। इसमें कुछ विसंगति सी लगती है। मैं अपने इस संशोधन के माध्यम से सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा। उद्देश्य और कारण में बताया गया है कि विशेषज्ञ के रूप में बड़ी संख्या में नियुक्त किया गया है और इस रूप में गत 6 वर्षो से कार्य कर रहे और इसी संस्था में बड़ी संख्या में रिक्तियां भी विद्यमान हैं इससे विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध विषय विशेषज्ञों का आमेलन आवश्यक हो गया है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विषयों के आमेलन के उपयुक्त प्राविधान करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया है। यानि 6 वर्ष कार्य किये हैं पद रिक्त हैं इसलिए किया गया है। इसमें जो विधेयक के खण्ड-3 के 21ग(1) में कहा गया कि निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे विषय विशेषज्ञों की एक सूची होगी जो विहित, शैक्षणिक और प्रशिक्षण

सम्बन्धी अर्हता रखते हों और उसके अन्तर्गत ऐसे विशेषज्ञ भी होंगे जिन्होंने महाअम्बिक प्राप्त किये हो और न्यूनतम दो शैक्षणिक सत्र तक कार्य किये हों और जो 21 सितम्बर, 2006 को कार्यरत थे। यहां पर 2 वर्ष की बात कही गयी है वहां पर 6 वर्ष कहा गया है। इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा ? इसको तीन भाग में जो यह कहा गया कि यदि कोई ऐसा विषय विशेषज्ञ जिसे धारा 2 के उपबन्धों अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी हो, अनुमन्य समय जो 7 दिन से कम नहीं होगा जो पद ग्रहण करने में विफल रहता है तो उसका नाम धारा 1 सूची में निकाल दिया जायेगा। कई बार इस तरह की सम्भावनाएं होती हैं कि कहीं नियुक्ति पत्र पहीं मिलता है कहीं नहीं पहुंच पाया तो उसका नियुक्ति सूची में नाम कट जायेगा। मान्यवर, उदाहरण दें कि विश्वविद्यालय में एक बार एक्ट संशोधन हुआ था कि जब प्रमोशन के लिए लोग अर्ह हो हर वर्ष एक वर्ष में उनका होना चाहिए 3-3 वर्ष तक नियुक्तियां नहीं होती है। तो आशंका है कि कहीं इसका मिसयूज न हो तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी विचार कर ले। और इस संशोधन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 में कुछ बाते मैं इस बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो कार्य है प्रदेश के अन्दर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज में प्रवक्ता हैं, एल0टी0 ग्रेड है या प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं उनकी नियुक्तियां की जांय। मान्यवर, चयन बोर्ड में एक वर्ष लगभग चयन प्रक्रिया में लग जाता है। मान्यवर, मुझे जानकारी है एल0टी0 ग्रेड के 600 शिक्षकों की नियुक्तियां हो गयी उनका सेलेक्शन कर लिया गया और प्रवक्ता ग्रेड में 200 लोगों का चयन कर लिया गया है। इनको नियुक्ति पत्र मिल गये है कि इन्हे कालेज में ज्वाइन नहीं कराया गया है, एक वर्ष हो गया। एक वर्ष चयन प्रक्रिया में लगा और एक वर्ष इधर घूम रहे हैं दर दर घूम रहे हैं और उनको कोई कालेज ज्वाइन नहीं करा रहा है। मान्यवर, इसके कारण क्या है इसमें सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले। एक तो जब देरी होती है तो एल0टी0 ग्रेड से लोग प्रमोशन तब तक हो जाते हैं। सेलेक्शन तो हुआ उस पद पर लेकिन पद ही नहीं रह गया तो कैसे ज्वाइन करें। दूसरा कारण है एकल स्थानान्तरण की व्यवस्था है। पद तो प्रकाशित हो गया सेलेक्शन भी हो गया और एकल स्थानान्तरण से वहां पर किसी को भेज दिया पद ही नहीं रह गया। इसके अलावा एल0टी0 ग्रेड से जिसको प्रमोशन नहीं मिला वह लोग कोर्ट से स्टे ले आये जब डिले होता है और एक चौथा कारण है कि मृतक आश्रित में नियुक्तियां हो जाती हैं। जो दर-दर भटक रहे हैं मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें कुछ व्यवस्था करें। जब हमारी सरकार थी तो एक शासनादेश 2001 में लाया गया था कि चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों को डी0आई0ओ0एस0 अगर कहीं पर भेजा जाता है वह संतुष्ट हो जाता है तो वह कालेजों में ज्वाइन करा सकता था। तो अब न्यायालय में कोई प्रकरण गया, यह जी0ओ0 2001 का है सरकर ने इसे वापस ले लिया। तो अधिकार रहा नहीं तो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें यह जरूर कहा कि सरकार एक्ट में संशोधन लाये तो मान्यवर, जो विधेयक लाया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि जो हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, हमारे पास सैकड़ो लोग इलाहाबाद में आते है क्योंकि वहां चयन बोर्ड है वह परेशान है। एक संशोधन अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शासन के पास लम्बित है। मैं चाहूंगा कि सरकार जो भी इसमें उचित हो, उस पर विचार कर ले जिससे उनके साथ न्याय हो सके।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, सिर्फ संतुष्टि के लिये एक आध शब्द कहे देता हूं। देखिये आप तो डिग्री क्लासेज और डिग्री सेक्शन्स और यूनिवर्सिटीज के मामलात में बोलते थे, अब आप छोटे बच्चों के मामले में भी राय देंगें। इण्टर वाले तो हमारे लिये बच्चे ही हैं, हमारे लिये तो डिग्री वाले भी बच्चे ही हैं। अब आपकी राय आती थी यूनिवर्सिटी के मामले में, प्रोफेसर्स के बारे में, रीडर्स के बारे में, लेक्चरर्स के बारे में, हेड आफ डिपार्टमेंट्स के बारे में, डीन्स के बारे में। अब यह समाज के इस वर्ग को भी थोड़ा सा मौका देने का प्राविधान किया है तो इसमें इन पर भी रहम कर दीजिये। कुछ नौकरी मिल जायेगी, कुछ धन्धा मिल जायेगा। यह तो शिक्षा की सेवा हो रही है, कुछ मिल जायेगें ऐसे लोग, जिनका थोड़ा सा स्पेशल वर्क भी होगा और उनको मान्यता मिल जायेगी क्योंकि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिये है, वरना तो यह अपने आप दम तोड़ दिया करते हैं तो एक सहायता हो जायेगी और यह आप जानते हैं कि नेता सदन चूंकि खुद अध्यापक रहे हैं इसलिये उनकी खुद इसमें काफी दिलचस्पी रहती है शिक्षा के मामले में और अध्यापकों की सहायता करने के मामले में। यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है, इसका तो स्वागत होना चाहिये आप खुद भी शिक्षक हैं, आपको स्वागत करना चाहिये था। मैं समझता हूं कि इसे आप सर्वसम्मति से पारित करें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हमने स्पष्टीकरण मांगा है और आशंका व्यक्त की थी, कि अगर 7 दिन से कम में ज्वायन नहीं करते हैं तो उनको दिक्कत हो जायेगी। हमने तो उनके हित में बात कही है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सूची सही तरीके से बनेगी। यदि दिक्कत होगी तो उसका समाधान भी यही बैठकर कर लेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

और मान्यवर, हमने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो दर-दर भटक रहे हैं। हम तो शिक्षकों के हित की बात कर रहे हैं। हम भी शिक्षक हैं और मुख्य मंत्री जी भी शिक्षक हैं। तो उसकी कोई ऐसी व्यवस्था बना लें कि लेक्चरर्स जो एल0टी0 ग्रेड में चयनित हुये हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो जाय। अगर एक्ट में संशोधन ले आयें, मैं तो चाहता हूं कि इससे उनका हित संरक्षित हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

नहीं मान्यवर, अभी हम संतुष्ट नहीं हुये हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 16 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-घ, 33, 33-क, 33-ख, 33-ग, 33-घ और 33-च" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 21-ड़, 21-च, 33, 33-क, 33-ख, 33-ग, 33-घ और 33-च" रख दिये जायेंगे।

नई धाराओं 21-ङ और 21-च का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 21-घ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

विषय विशेषज्ञों का आमेलन

21-ङ(1) निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे विषय विशेषज्ञों की एक सूची होगी जो विहित शैक्षिणिक एवं प्रशिक्षण सम्बधी अर्हता रखते हों और उसके अन्तर्गत ऐसे विषय विशेषज्ञ भी होंगे, जिन्होंने मानदेय प्राप्त किये हों और न्यूनतम दो शैक्षणिक सत्र तक कार्य किया हो और जो 30 सितम्बर, 2006 को कार्यरत थे। निदेशक द्वारा सूची ऐसी रीति से रखी जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) यदि किसी संस्था में किसी अध्यापक के पद में हुई किसी मौलिक रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो ऐसे पद को प्रबंधतंत्र द्वारा, निरीक्षक के आग्रह पर, ऐसे विषय विशेषज्ञ को दिया जायेगा, जिसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित किया गया हो।

(3) यदि कोई ऐसा विषय विशेषज्ञ, जिसे उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी हो, अनुमन्य समय, जो सात दिन से कम नहीं होगा, के भीतर पद ग्रहण करने में विफल रहता है, तो उसका नाम उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची से निकाल दिया जायेगा।

(4) धारा 16 के अधीन किसी संस्था में किसी अध्यापक की नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची समाप्त न हो जाय।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित विषय विशेषज्ञों को उन संस्थाओं में आमेलित किया जायेगा, जहां कोई मौलिक नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी हो। किसी विषय विशेषज्ञ का किसी विशिष्ट पद पर नियुक्ति के लिये कोई दावा नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :-इस धारा के प्रयोजनों के लिये,-

(क) 'निदेशक' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश है और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ख) शब्द 'निरीक्षक', 'सस्था', 'प्रबन्ध तंत्र' और 'अध्यापक' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में उनके लिये दिये गये हैं, परन्तु 'अध्यापक' के अन्तर्गत प्राचार्य या प्रधान अध्यापक नहीं होंगे ;

(ग) 'विषय विशेषज्ञ' का तात्पर्य संविदा के आधार पर नियत मानदेय पर विहित रीति से नियुक्त सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों से है ;

प्रबंधतंत्र द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति

21-च(1) जहां प्रबंधतंत्र निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धारा 21-ङ की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विषय विशेषज्ञ का पद देने में विफल हो वहां निरीक्षक ऐसे विषय विशेषज्ञ के लिये स्वयं नियुक्ति पत्र जारी कर सकता है और सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ अध्यापक के रूप में अपना वेतन प्राप्त करने का उस दिनांक से हकदार होगा जिस दिनांक को वह ऐसे नियुक्ति पत्र के अनुसरण में पद पर कार्यभार ग्रहण करता है।

(2) जहां विषय विशेषज्ञ, जिसे उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति पत्र जारी किया जाय, प्रबंधतंत्र की ओर से किसी कार्य या त्रुटि के कारण पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो वहां ऐसा विषय विशेषज्ञ निरीक्षक को अपने कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है और इसके पश्चात् वह उस दिनांक से अपना वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जिस दिनांक को वह उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006†

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा च बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक के पुरःस्थापन सम्बन्धी अनुपूरक कार्य सूची उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पुरःस्थापित होने के समय कापी तो मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

कापी पिजन होल में है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप दिखवा लें।

---

† दिनांक 18-12-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रमुख सचिव साहब आप दिखवा लें और एक कापी निकलवा कर दिलवा दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पिजन होल में हम लोग सुबह जाते हैं, अगर पूरक एजेन्डे के माध्यम से कोई चीज आती है तो पूरक एजेन्डा भी हमारी मेज पर आता है, तो वह बजाय पिजन होल में जाने के हमारी मेज पर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रमुख सचिव साहब को निर्देशित करता हूं कि जब कभी भी इस प्रकार की बात हो तो पूरक एजेण्डा माननीय सदस्यों के हाथों में दिया जाय।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र -छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी नहीं हैं इसे मैं समाप्त करता हूं।

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चारी चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, देश में बढ़ती हुई मंहगाई ...

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अग्निशमन व्यवस्था पर सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की ...

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मेरी सचिव साहब से बात हुई थी यह सारे मद स्थगित किये जा रहे हैं अब यह 15 तारीख को लिये जायेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसे स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह समाचार पत्रों का भाग बन चुका है और आज अगर सदन स्थगित हो जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि विधान सभा मुंह चुरा रही है। मैं कृपापूर्वक आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि सदन की इच्छा और सर्वसम्मति के अनुरूप आपके निर्देश पर यह बनायी गयी।

श्री अध्यक्ष-

पुलिस वालों को बुलाकर कार्यवाही करनी थी मद सं0-22 वह है, मैं इसे स्थगित करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इसे कर दीजिये।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 23 भी वही है, इसे भी 15 तारीख को ले लिया जायेगा।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, 15 तारीख को न रखियेगा, क्योंकि उस दिन हमारी बहन की शादी है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप नहीं रहेंगे तब भी हो जायेगा।

श्री सलिल विश्नोई-

नहीं, अध्यक्ष जी, उसमें हमारा रहना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे देख लेंगे।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, क्या मद सं0-19 को समाप्त कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

हां क्यों क्या जवाब देना चाहते हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद-

हां मान्यवर, जवाब देना है, मेरा अनुरोध है कि उसे स्थगित कर दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

ठीक है मद सं0-19 को स्थगित करता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार का प्रकरण का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी हमारी प्रमुख सचिव से बात हुई थी तो यह हुआ था कि इसे स्थगित कर दिया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसका औचित्य इसलिये नहीं रह गया क्योंकि सारा देश और प्रदेश यह जान चुका है आपके साथ उनकी फोटो है। अगर आज इस मुद्दे को स्थगित करेंगे तो इसका मतलब हो जायेगा कि विधान सभा अपने कर्तव्यों के पालन से बच रही है, मुंह चुरा रही है। मेरा विनम्र अनुरोध यह है, आपका निर्णय शिरोधार्य है निर्णय पर कोई मतभेद नहीं है, मतभेद तो केवल प्रक्रिया के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 24 गौर साहब का है, इसे स्थगित करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

ठीक है, मद सं0-24 को स्थगित कर दीजिये।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 24 और 25 एक साथ ही रहेगी।

स्टिंग आपरेशन सम्बधी जांच समिति के अन्तर्गत प्रतिवेदन की संस्तुतियों के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण को स्थगित किये जाने पर आपत्ति

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, बिल्कुल नहीं निर्णय पर कोई मतभेद नहीं है बस केवल प्रक्रिया पर मतभेद है। सर्वसम्मति से इस सदन ने आपसे आग्रह किया और आपने एक समिति बना दी, आपके निर्देश पर समिति ने काम प्रारम्भ किया और उस समिति के काम में रुकावट आई और उस रुकावट के कारण समिति ने आपको अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया, उसकी संस्तुतियों पर आपके द्वारा विशेष निर्देश मिले कि इसे सदन के समक्ष रखें और मैंने आपके निर्देश का पालन करते हुये इसे सदन के समक्ष रख दिया। और उन संस्तुतियों को रखते समय कार्यसूची में 27 तारीख को आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा की स्टिंग आपरेशन जांच सम्बन्धी समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में दी गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया जाय और सदन ने उसे स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद आपने

निर्देश दे दिये, जब से तारीखें लगती रहीं। तारीखों के बाद यह दिन आया, मैं केवल विनम्रतापूर्वक इतना कहना चाहता हूं कि जब सदन में आपके निर्देश पर बनी समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन और उसकी संस्तुतियां थीं और उन संस्तुतियों को आपके निर्देश के तहत प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई। मैंने आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके सदन में उसे प्रस्तुत कर दिया, जब सदन ने उसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया तो उस प्रस्ताव का हश्र क्या हुआ वह हाईजेक हो गया और उसके बाद जो समाचार-पत्रों में छपा है उन्होंने साफ-साफ कहा कि सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में खुली बहस होनी चाहिये जनता में और सदन के सदस्यों के बारे में, विशेषाधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिये। विधान सभा के मान-अवमान का निर्णय आप करते हैं। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यदि सदन की सर्वसम्मति राय पर, कृपापूर्ण आपके निर्देश पर बनी समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन को आपके निर्देश पर प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, उसका हश्र यह हुआ कि सदन के बाहर कक्ष में बैठकर निर्णय हो गया। विनम्रतापूर्वक मेरा निवेदन है कि एक अखिल भारतीय स्तर के नेता का नाम है उसका निर्देश प्राप्त हुआ और उसके निर्देश के तहत अध्यक्ष जी के कक्ष में निर्णय हो गया। मेरा विनम्रतापूर्वक निवदेन है ..

श्री अध्यक्ष-

मुझे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, किसी को मिला, वह आपसे आकर आग्रह कर लिया। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस सदन का माखौल मत बनाइये। इस सदन के विशेषाधिकार का माखौल मत बनाइये, उसकी सुरक्षा करने का काम करिये। जो निर्णय हुआ, निर्णय यही होना था लेकिन उसका तरीका गलत था। अगर आपको निर्णय करना था तो दूसरा प्रस्ताव सदन में रखकर सर्वसम्मति से स्वीकार करके कक्ष में माफ कर देते कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिये विनम्रतापूर्वक निदेवन करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया के बाद स्टिंग आपरेशन समिति को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। हम किससे अवमान की बात करेंगे ? सदन के मुखिया ने हमारे अवमान की रक्षा नहीं की, इसलिये स्टिंग आपरेशन कमेटी को समाप्त करने की मांग करता हूं। उस अधिकार को आप अपने में निहित कर लीजिये फिर जो चाहे निर्णय लीजिये। निर्णय तो यही होना था। निर्णय से सहमति है, प्रक्रिया से अन्तुष्ट हूं। अतः इस बात को रखते हुये आपका कृपापूर्ण निर्णय चाहता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो कहा उससे सहमत हूं। आप अवगत होंगे हमारे साथियों पर कुछ आरोप लगे थे उसकी जांच के लिये स्टिंग आपरेशन समिति बनी थी। समिति ने अन्तरिम प्रतिवेदन दिया कुछ बात कही थी, निर्णय दिया था। उस पर आपने सर्वसम्मति से और सदन की पीठ से निर्णय सुनाया तथा आई0 बी0 एन0/सी0एन0एन0 के एडीटर को पुलिस कस्टडी में सदन में लाने को कहा था लेकिन किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया। वास्तव में यह हम लोगों के गले नहीं उतर रहा है। मुझे समाचार-पत्रों से जानकारी मिली कि मूल सी0 डी0 उपलब्ध करा दिया। मूल सी0

डी0 उपलब्ध हो गयी। मैंने तो सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था। लेकिन क्या समिति ने मूल सी0 डी0 देखी है, मूल सी0 डी0 में क्या है, जानकारी मिलनी चाहिये। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस तरह की चीजें भविष्य में न हों।

श्री अध्यक्ष-

मा0 बाजपेयी जी और गौर साहब ने स्टिंग आपरेशन पर अपनी बात रखी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सभापति स्टिंग आपरेशन सदन में मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी भी राय ले लें।

श्री अध्यक्ष-

वह अपनी राय देना नहीं चाहते। माननीय बाजपेयी जी ने और डा0 गौर साहब ने प्रश्न उपस्थित किया। पहला प्रश्न यह है कि मूल सी0 डी0 दे दी है। जब यह मामला सदन में आया था तो सी0एन0एन0/आई0बी0एन0 के एडीटर को पुलिस कस्टडी में लाने की बात कही गयी थी। तुरन्त ही उन्होंने मुझसे मिलने का प्रयास किया। जब मैंने मिलने से इंकार कर दिया तो हमारे कार्यालय को सी0 डी0 देने की कोशिश की गयी लेकिन वहां से भी मना कर दिया गया। उसके बाद रिग्रेट पत्र लिखकर कहा कि क्षमा कीजिये और बाई पोस्ट पत्र व सी0 डी0 भेज दिया और क्षमा याचना कर ली। तो मैं किसी से तथ्य छिपाना नहीं चाहता हूं। सभी नेताओं के साथ चैम्बर में बात हुई और नेताओं की राय बनी उसमें नेता विरोधी दल भी थे, सभी दलीय नेता थे। उसमें यह बात उभरकर आयी कि इनके खिलाफ विशेषाधिकार समिति की कोई वैसी रिपोर्ट नहीं है केवल सी0 डी0 देने और न देने का मामला था और क्षमा याचना कर लिया है इसलिये इसको समाप्त किया जाय। वह कल पूरे दिन मौजूद रहे लेकिन सदन अव्यवस्थित था सुबह से आकर बैठ गये थे लेकिन यह हुआ कि यही रिग्रेट कर दें तो छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

उसी बात को लेकर वहां यह बात आई। कल सदन अव्यवस्थित रहा इसलिये कल सदन में इस बात को नहीं रखा जा सका। इसीलिये मैं इसको आज स्थगित कर रहा था इस पर 15 तारीख को चर्चा हो जाती और पूरी बात स्पष्ट हो जाती। चूंकि आपने कह दिया कि जो निर्णय है उसे स्वीकार करते हैं इसलिये आज इसको समाप्त करें ? न चाहें तो इसे 15 तारीख को रख दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

पहले भी सदन अव्यवस्थित रहा है लेकिन अव्यवस्थित सदन में कार्य-सूची को पूरा किया गया है। कम से कम हमको संरक्षण देना आपकी पहली जिम्मेदारी है आप नेतागणों के निर्णय से हमें अवगत कराते। एक लाइन का प्रस्ताव रख देते।

श्री अध्यक्ष-

इसलिये मैं कह रहा था कि आज इसे स्थगित कर दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरी जानकारी में है कि पूरी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय करके समिति का पूरा इस्तीफा आपको सौंपने का निर्णय कर लिया है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे इस्तीफा नहीं मिला है। अगर त्याग-पत्र आ जाएगा तो फिर से समिति बनाई जायेगी।

*डा0 पी0 के0 राय-

अध्यक्ष जी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो भी निर्णय लिया गया। समिति की लगातार बैठकें करने के बाद जो समिति को टर्म आफ रेफरेंस सौपे गये थे उसमें यह भी था कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो और मीडिया पर अंकुश लगाने का काम समिति के द्वारा किया जाय, सुझाव दिये जायं। अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस अन्तरिम रिपोर्ट को सदन से सर्वसम्मति से उसको पारित भी किया। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है समिति की बैठक बुलाकर और समिति के समक्ष ही अगर उनको क्षमा मांगने के लिये खेद प्रकट करने के लिये व्यवस्था की गई होती तो समिति का भी सम्मान रह गया होता जबकि समिति ने उनको पूछताछ के लिये बुलाया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने भी उन सज्जन की शक्ल नहीं देखी है न ही समिति के किसी सदस्य को बुलाया गया। इससे निश्चित रूप से समिति के सदस्य आहत हैं। बाजपेयी जी ने जो अपनी बात कही है उनकी जो भावनायें हैं वही भावनायें सभी सदस्यों की हैं। इससे वह आहत है।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

कभी-कभी अपनी कोताही मान लेना सही बात होती हैं यह सही बात है कि उस दिन सदन अव्यवस्थित था यह भी सही है कि बहुत चीजें जो वहां तय हुई थीं वह आप हालात की मजबूरी के बिना लागू नहीं कर सके। यह बात वहां आई थी कि सदन को विश्वास में ले लिया जाय मैंने भी यह बात कही थी। वहां पर नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस वगैरह सभी बैठक में थे लेकिन इसके बावजूद कोताही हुई है। दिले-आजारी समिति के सदस्यों की उस समय होनी चाहिये। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि एक कोताही हो ही गई है। लिहाजा इसका वापस किया जाना तो सम्भव है नहीं। भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाय। क्योंकि जिस दिन यह फैसला लिया गया उस दिन सदन में सभी एक मत थे आज भी हैं और हम भी उसी मत के हैं। यह प्रकरण हाजिर न होने के बारे में है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उस हद तक का मामला था बाकी तो प्रकरण जैसा था वह जांच चलेगी उस जांच की रिपोर्ट भी आयेगी।

श्री अध्यक्ष-

वह सी0 डी0 जांच के लिये उपलब्ध है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

लेकिन इस सबके बावजूद भी सच बात यह है कि समिति के सदस्यों को होना चाहिये था। यह कोताही हुई है और इसके लिये कम से कम मैं अपने तौर से मांगी मांगता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, चलिये ठीक है, इसको 15 तारीख को चर्चा के लिये जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

आपने छेड़ दिया। मैं तो पहले ही इसको स्थगित कर रहा था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे एक आश्वासन चाहते हैं कही भगवान के वास्ते किसी दिन पूरी विधान सभा आपके कक्ष में लग जाय और हम लोग यहां बैठे रह जायं और वहां पर कोई विधेयक और प्रस्ताव पारित हो जाय। ऐसा न हो इसके लिये मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन जो है यह सभी नेताओं की और आपकी सबकी राय से चलता है।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, हमारा वाला भी उस दिन हो जाय कहीं ऐसा न हो कि वह भी ऐसे ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपका मामला दूसरा है। आपका 15 तारीख को होगा। वह ऐसे नहीं होगा। आपका दंड देने की सिफारिश है। इसमें तो उनके हाजिर न होने के कारण कि वे हाजिर नहीं हो रहे थे और सी0 डी0 नहीं दे रहे थे इसलिये उन्हें पुलिस कस्टडी में लाना था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

यह सुयोग्य माननीय नेताओं का जो वर्जन है उस दिन क्यों नहीं आया था ? बाद में क्यों आया। उस दिन आ गया था तो सदन में आना चाहिये था।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, जो हुआ उसको वापस नहीं किया जा सकता। मेरा एक आग्रह है कि जो माफीनामा उन्होंने दिया है उसकी एक-एक कापी समिति के सभी सदस्यों को दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कल ही उसकी फोटो स्टेट कराकर रखी है। मैं कल ही सबको देना चाहता था लेकिन कल जिस तरह से सदन अव्यवस्थित था उस वजह से यह सम्भव नहीं हो पाया। मैं सबको उसकी एक एक कापी उपलब्ध करा दूंगा।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जैसा बाजपेयी जी ने भी कहा कि एक तरफ उन्होंने माफीनामा दे दिया और आपने उन्हें क्षमादान दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अखबार में उनका बयान आता है कि "विधायिका के विशेषाधिकार पर बहस हो-राजदीप सर देसाई"। क्या इस

तरह के बयान से एक बार फिर इस विधायिका का अपमान नहीं कर रहे हैं वे। उनके इस तरह के बयान से क्या विधायिका को चुनौती नहीं दी गई है। क्या विधायिका का अपमान उनके द्वारा नहीं किया गया है इस पर विचार करना चाहिये और जहां तक मूल सी0 डी0 का सवाल है वह मेरे संज्ञान में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सी0 डी0 अभी मेरे कार्यालय में रखी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने अभी कहा ना कि उनकी इस तरह की भावना है तो इसके लिये विशेषाधिकार का अलग से नोटिस लाइये।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक उनका यह कहना कि विधायिका के विशेषाधिकार पर चर्चा हो। यह विशेषाधिकार समिति है यह इस पर विचार करे कि विधायिका पर विशेषाधिकार का चर्चा करना विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जायेगा या नहीं माना जायेगा। पहले यह तो विचार करिये कि किसी के अधिकार पर चर्चा करना उसके अधिकार का उल्लंघन है कि नहीं। यह भी एक विषय है। समिति इस पर विचार करे अगर यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है तो उसके लिये फिर से अलग से नोटिस लाइये।

बाल विकास एवं पुष्टाहार लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, विधायकों का विशेषाधिकार है तब ही तो विशेषाधिकार समिति बनी है।

श्री अध्यक्ष-

उनके इस बयान पर विशेषाधिकार का नोटिस दीजिये। उस पर कौन रोकता है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने तो अभी जब डाक्टर साहब इसके बारे में बता रहे थे तो कहा है कि आप विशेषाधिकार का नोटिस इस पर दे सकते हैं

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 दिसम्बर, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना अमरजीत सिंह जनसेवक की प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने गृह जनपद की गलत सूचना देकर गृह जनपद में तैनात रहने के सम्बन्ध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दूसरी सूचना श्री रामनरेश यादव की पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहरों में पानी न आने, राजकीय नलकूप खराब होने तथा रसायनिक खाद उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद स्थित मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत 2004-2005 एवं 2005-2006 का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवी सूचना श्री घूरा राम की लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर रसड़ा से पहसा के बीच क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद शहर की विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु 132 के0वी0ए0 का पावर सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 7 कि0मी0 सड़क योजना को पूर्ण किये जाने हेतु पूरी धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ विकास प्राधिकरण में रिक्त अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी की प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों से वर्ष 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पारिवारिक पेंशन की विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की भोजपुरी को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई तथा

ग्यारहवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही में एस0पी0 राजकीय डिग्री कालेज तक छात्रों के आने-जाने हेतु मोरवा नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष-

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सुन्दर सिंह, श्री मदन चौहान, श्री अमर सिंह परमार, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रेम पाल सिंह यादव, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री आर0एस0 रिजवी, श्री आर0एस0 कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री राजेश कुमार, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री कौशल किशोर, श्री लालजी वर्मा, श्री रणवीर राणा, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रामकरन आर्य, श्री बीजू पटनायक, श्री प्रागी लाल अहिरवार, डा0 सुशील चौधरी, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री भगेलू राम, श्री महेश त्रिवेदी, श्री प्रमोद कुमार, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा डा0 विनोद तिवारी की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नात्तकोत्तर स्तर का बनाये जाने विषयक दिनांक 23 अगस्त, 2006 की कार्य सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-4 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गई सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-27 आधे घण्टे की चर्चा है इसको स्थगित किया जाता है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जब सदन हो तो इसको पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 15 तारीख को पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सांय 5 बजकर 3 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 05 दिसम्बर, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13पर)

संख्या : 2145जेड/6-सा-1-06-55 जी/90

प्रेषक,

डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

1-समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2006

विषय : देश में आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में जेल में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा देश में आपातकालीन अवधि दिनांक 25-6-1975 से 21-3-1977 के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मानित किये जाने हेतु निम्नलिखित सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) आपातकाल के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) मासिक सम्मान राशि दी जायेगी। यह राशि दिनांक 1-4-2006 से देय होगी।

(2) उपरोक्त राजनैतिक बन्दियों को उनके एक सहयोगी सहित उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी।

(3) उक्त राजनैतिक बन्दियों को "लोकतन्त्र सेनानी सम्मान-पत्र" से सम्मानित किया जायेगा।

2-उक्त सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु वे व्यक्ति पात्र होंगे जो आपातकाल के दौरान मीसा/डी0आई0आर0 में राजनैतिक बन्दी के रूप में निरुद्ध रहे हों। राजनैतिक कारण के अलावा अन्य किसी कारण से निरुद्ध व्यक्तियों को उक्त सुविधायें अनुमन्य नहीं होंगी। यह सुविधा केवल उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासियों को ही अनुमन्य होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3-उक्त सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस शासनादेश के अनुलग्नक में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी प्रत्येक मामले में नियमावली में विहित प्राविधानों/निर्देशों के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कराकर सम्मान राशि स्वीकृत कर सीधे भुगतान करेंगे।

4-राजनैतिक बन्दी जिस जिले के स्थायी निवासी हों, उसी जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सम्मान राशि स्वीकृत की जायेगी। नव सृजित जिलों के जिलाधिकारी मूल जनपद के जिलाधिकारी से अपने जिले की आवश्यता के अनुसार धनराशि की मांग कर नियमानुसार सम्मान राशि स्वीकृत करेंगे। यह सम्भव है कि किसी जनपद की सूची में किसी और जनपद के व्यक्तियों के नाम आ गये हों, तो ऐसी स्थिति में उनको सम्मान राशि की स्वीकृति स्थायी निवास के जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी और इसके लिए धनराशि सम्बन्धित जनपद को उस जनपद से प्राप्त होगी जहां से सूची भेजी गयी हो तथा जिसे शासन द्वारा धनराशि आवंटित की गयी हो।

5-उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर नवसृजित जनपद के जिलाधिकारी मूल जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित करेंगे और सम्मिलित सूची वाले जिले अपने स्तर से पूरी सूची के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को भेजेंगे। यदि इसमें कोई कठिनाई होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा। मण्डलायुक्तगण कृपया अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6-राजनैतिक बन्दियों को प्रदेश भर में उनके परिचय-पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहायक के साथ निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की जायेगी।

7- राजनैतिक बन्दियों को "लोकतन्त्र सम्मान-पत्र" सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

8-अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने जिले के स्थानीय अखबारों के माध्यम से निःशुल्क व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों को प्राप्त कर तथ्यों व विवरणों के बारे में सम्यक् जांच कराकर सम्मान राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

9-यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-12-1378/दस-2006, दिनांक 02-09-2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

10-कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह0

डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

प्र0सं0 : संख्या : 2145(1)जेड/6-सा-1-06-55 जी/90 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12

4-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5-निदेशक/सचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ।

6-मंत्री, स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ।

7-आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,
ह0
अशोक कुमार,
सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

देश में आपातकालीन अवधि दिनांक 25-6-1975 से 21-3-1977 के दौरान निरुद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों द्वारा सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. पूरा पता स्थायी : .....
   अस्थायी पता : .....
4. क्या आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है ? .....
5. जेल में निरुद्ध रहने की अवधि : (जेल जाने तथा मुक्त होने की तिथि सहित) .....
6. बन्दी रहने का स्थान तथा जिले का नाम जहां यह स्थित है : .....
7. कार्यकलापों का विवरण जिसमें भाग लेने पर बन्दी बनाया गया : .....
8. दफा जिसमें बन्दी बनाया गया : .....
9. बन्दी सम्बन्धी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां : .....
10. ऊपर मद संख्या-7 में दिये गये विवरण का प्रमाण-पत्र : (यह प्रमाण-पत्र भूतपूर्व या वर्तमान दो विधायकों/संसद सदस्यों द्वारा दिया जायेगा) .....

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मैं निजी जानकारी पर प्रमाणित करता हूं कि प्रार्थी द्वारा ऊपर मद संख्या-7 में दिये गये विवरण सही हैं।

प्रमाणकर्ता व्यक्तियों के हस्ताक्षर,

पद तथा पूरे पते।

(1) .....

.....

(2) .....

.....

प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक यह शपथ लेता हूं कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है। यदि कोई विवरण गलत पाया जाय/सिद्ध हो तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी सम्मान राशि बन्द कर दें और जो भी धनराशि मुझे सम्मान राशि के रूप में दी गयी है उसे भूमिकर के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।

दिनांक : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

.....

प्रमाण-पत्र

संख्या : ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये विवरणों की जांच कर ली गयी है और उन्हें सही पाया गया है।

जिलाधिकारी

मोहर।

आवश्यक नोट : (1)

(2)

पी0एस0यू0पी0-एल0 354 विधान सभा (606)-13-3-07-813-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा